खण्ड-102, अंक-1
सोमवार, 5 ज्येष्ठ, शक संवत् 1874
(26 मई, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 102 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २६ मई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३८८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़, श्री
अब्दुल लतीफ़, श्री मुहम्मद
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, माननीय श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आनन्दस्वरूप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उलफ़त सिंह चौहान, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, माननीय श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
काली चरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किंदर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलास प्रकाश, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
खयाली राम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री

गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहस, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चरण सिंह, माननीय श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
तारा चन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल श्री

दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धरम सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नफ़ीसुल हसन, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव उपनाम सत्यानन्द, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद, श्री
बलवन्त सिंह कुंवर, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बशीर अहमद, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतदीन, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भोपाल सिंह, श्री
भोला सिंह, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मञ्जूरुल नबी, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हुसैन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मत रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, माननीय श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह यादव, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, कुंवर
रतन लाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री

राधामोहन सिंह, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
राम दास आर्य, श्री
राम दास रविदास, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
राम नाथ तिवारी, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
राम बली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
राम राज कशुल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर विवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग शर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री (कुण्डा)
रामस्वरूप, श्री (दूधी)
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप विशारद, श्री
रामहरष यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ट नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, माननीय श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विशम्भर नाथ पाण्डेय, श्री
विश्वम्भर सिंह, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिव नारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री

शिवबचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
श्याममनोहर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
सईद जहां मख़्फ़ी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्य नारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सियाराम गंगावाल, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुगनचन्द्र, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरख़याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, माननीय श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हामिद खां, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
ोतीलालदास, श्री

संसद भवन

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

ओ० टी० आर० कर्मचारियों की हड़ताल के अवसर पर

गोरखपुर में गोली-कांड

*१---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर गोली-कांड में (ओ० टी० आर० कर्मचारियों की हड़ताल के अवसर पर) हताहत व्यक्तियों की वास्तविक संख्या (नाम व पतों के साथ) क्या थी ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (गृह मन्त्री)---गोरखपुर में ओ० टी० आर० के कर्मचारियों के प्रदर्शन के अवसर पर जो गोली चली उसमें ९ व्यक्ति आहत हुए थे। उनके नाम व पते निम्नलिखित हैं। इनमें से सर्वश्री जीवानन्द श्रीवास्तव तथा सुक्खू की अस्पताल में मृत्यु हो गई।

१---श्री जीवानन्द श्रीवास्तव, गांव अचलगढ़, थाना सहतवार, जिला बलिया।

स्थानीय पता---मोहल्ला हुमायूंपुर, थाना कोतवाली, गोरखपुर।

२---श्री सुक्खू, अहनौली खुर्द, थाना सिकरीगंज, गोरखपुर।

३---श्री अनवर, ब्रिजमैनगंज पलजोर, थाना पुरंदरपुर, गोरखपुर।

४---श्री नजीर अहमद, मोहल्ला बसंतपुर, थाना कोतवाली, गोरखपुर।

५---श्री शेख फतेह, नयागांव, थाना पीपीगंज, गोरखपुर।

६---श्री दुर्जन, गोपालपुर, थाना सोनहा, बस्ती।

७---श्री रामयश, सचापार, थाना लार, देवरिया।

८---श्री लारेंश जेशवा, बशारतपुर, थाना कोतवाली, गोरखपुर।

९---श्री रामनारायण, कैहर, थाना पीपीगंज, गोरखपुर।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गोली चलाने की आज्ञा किन अधिकारी द्वारा दी गई थी ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिला मैजिस्ट्रेट।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जब सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस ने बिला लिखित आज्ञा के गोली चलाने से इंकार कर दिया, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सबसे पहले गोली चलाई ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द---दोनों ही बातें ग़लत हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय गृह मंत्री...

माननीय अध्यक्ष---जब मैं नाम पुकारूं तब माननीय सदस्य बोला करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि लाश किसकी आज्ञा के द्वारा जलाई गई ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लाश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की आज्ञा द्वारा जलाई गई ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि लाशों का कोई पोस्टमार्टम वगैरह भी हुआ ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां पर पुलिस की गोली से कोई आदमी मरता है वहां पर पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पोस्टमार्टम तो इसलिये किया जाता है कि काज आफ डेथ (मृत्यु का कारण) का पता लग जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो घायल व्यक्ति थे उनमें से कितने व्यक्ति इतने घायल हो गये कि जो परमानेन्टली डिसएबिल्ड (स्थायीरूप से अयोग्य) या हमेशा के लिये काम करने के नाकाबिल हो गये ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि मृत व्यक्ति के परिवारों को या स्थायी रूप से आहत हुये व्यक्तियों के परिवारों को कोई कम्पेंसेशन (प्रतिकर) दिया जा रहा है ।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

*२—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि गोरखपुर गोली कांड की जूडीशियल इन्क्वायरी होने की कोई आज्ञा सरकार द्वारा दी गयी है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जब जुडीशियल इन्क्वायरी नहीं हुई, तो कोई डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी वगैरह की गई ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय राज्यपाल के भाषण के सम्बन्ध में जो बहस हुई थी उसमें मैंने जिक्र कर दिया था कि कमिश्नर द्वारा इन्क्वायरी हुई।

अधिष्ठाता-मंडल की नियुक्ति

माननीय अध्यक्ष—अधिष्ठाता-मंडल के लिये मैं निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करता हूं—

१—श्री बेचनराम गुप्त
२—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)
३—श्री कैलास प्रकाश
४—श्री जयपाल सिंह
५—श्री निहालुद्दीन
६—श्रीमती प्रकाशवती सूद
७—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल
८—श्री सुल्तान आलम खां
९—श्री सुरेश प्रकाश सिंह
१०—श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी।

साप्ताहिक कार्यक्रम की सूचना

माननीय अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी जो सप्ताह का आगे कार्य होगा उसके विषय में अगर सूचना देने को जरूरत समझें तो दे सकते हैं।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)—इस सप्ताह में जो बिल अब तक पेश किये जा चुके हैं वही वाद-विवाद के लिये उपस्थित किये जायेंगे और पास भी हो जायेंगे, यह आशा है। एक बिल जो शुगर कंट्रोल के बदले में जो कि पहले पेश हुआ था, पेश किया जायगा जिसमें कि जो शुगर कंट्रोल ऐक्ट इस वक्त है उसकी कई दफाओं को अलग करने के लिये प्रस्ताव होगा। उस वक्त यह था कि पहले का ऐक्ट जैसा है वह रख दिया जाय अब उसके बदले में यह होगा कि जो बिल में कई धारायें ऐसी हैं उनके अलग करने के ऊपर विचार किया जायगा। उसके अतिरिक्त और कोई खास तजवीज मेरे सामने ऐसी नहीं है जो कि मैं इस वक्त पेश कर सकूं और अगर कोई होगी तो मैं इस हफ्ते के बीच में ही बता दूंगा।

वित्त तथा अन्य समितियों के निर्वाचन-कार्यक्रम में परिवर्तन

माननीय अध्यक्ष—माननीय मंगला प्रसाद जी ने प्रार्थना की कि जो कायनेंस कमेटी तथा अन्य कमेटियों के लिये नामांकन का समय है उसको कुछ और बढ़ा दिया जाय। तो उसके लिये मैं २ बजे तक का समय बढ़ाता हूं। सूक्ष्म निरीक्षण का समय ३ बजे तक का रहेगा। इसके बाद नाम वापिस लेने का समय और चुनाव का जो कार्यक्रम था वह वैसा ही रहेगा।

नार्थ-ईस्टर्न, सेंट्रल तथा वेस्टर्न रेलवे की परामर्शदात्री समितियों के लिए एक एक सदस्य निर्वाचित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

माननीय श्री गिरधारी लाल (निर्माण मंत्री)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, नार्थ-ईस्टर्न, सेंट्रल तथा वेस्टर्न रेलवे की परामर्शदात्री समितियों के लिये एक एक सदस्य निर्वाचित करे।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, नार्थ ईस्टर्न, सेन्ट्रल तथा ईस्टर्न रेलवे की परामर्श-दात्री समितियों के लिये एक-एक सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।).

माननीय अध्यक्ष—अब यह प्रस्ताव जो अभी स्वीकृत हुआ है उसके अनुसार जो कार्यक्रम मैं निश्चित करता हूं वह इस प्रकार है। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि २७ मई को ३ बजे तक, नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा का समय २७ तारीख को ४ बजे और नाम-निर्देशन पत्रों की वापसी का समय उसी दिन ५ बजे तक होगा। निर्वाचन की तिथि, स्थान तथा समय—२८ मई को ४ बजे सदन में।

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का विधेयक, १६५२ ई०

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) के विधेयक, १६५२ ई० पर विचार किया जाय।

इस बारे में मुझे कोई लम्बी तकरीर करने की जरूरत नहीं मालूम होती । अब तक जो नियम मंत्रियों के वेतन और भत्ते आदि के बारे में हैं वही अब भी रहेंगे सिवा एक बदलाव के। अब तक जो कानून है उसके मुताबिक मंत्री १,५०० रुपये तनख्वाह पाने के मुस्तहक़ हैं लेकिन अब १,५०० के बदले १,२०० रु० रक्खे गये हैं । आज तक मंत्रियों के वेतन पर जो इनकम टैक्स पड़ता था वह उसके वेतन से काटा जाता था लेकिन अब जो इनकमटैक्स पड़ेगा वह उसके वेतन से नहीं कटेगा, बल्कि हमारी स्टेट के खजाने से वह इनकम टैक्स दिया जायगा । इस तरीके पर साधारणतया जो इनकमटैक्स १,२०० रुपये के वेतन पर पड़ता है वह मैं समझता हूं, ठीक तो नहीं कह सकता, ७० या ८० रुपये आज की जो शरह है उसके मुताबिक पड़ेगा । तो कुल मिला कर १,२७० या १,२८० रुपये के करीब मंत्रियों का वेतन होगा और मौजूदा जो १,५०० रुपये का वेतन है उससे कम रहेगा । ऐसी हालत में जो तजवीज इस बिल में की गई है वह खर्च को कम करने के लिये है । इस भवन के सदस्य जानते हैं कि सन् ४६ में जब कि १,५०० रुपये की तनख्वाह मुकर्रर की गई थी, चीजों की कीमत आज के मुकाबले में कम थी, लिविंग इंडेक्स आज के मुकाबले में कम था। इस तरह से इस बात पर बदलाव किया जाता तो तनख्वाह और भी शायद बढ़ने की गुंजाइश होती और काफी बढ़ाने की गुंजाइश होती । मगर हम लोगों ने दो तीन साल से खुद ही गो कि कानून में १,५०० रुपये हमें तनख्वाह पाने का हक था और वही मुकर्रर किया गया था, उसमें कमी खुद ही कर दी थी और हम उसमें १२ १/२ फी सैकड़ा नहीं ले रहे थे और इस ढंग से कोई १८७ रुपये ८ आने माहवार हम १,५०० में से कम लेते थे । उसमें से फिर जो इनकम टैक्स था वह कट जाता था। अब हमारे लिये सवाल यह था कि हम १,५०० रुपये वेतन रखें और फिर अपने ऊपर यह छोड़ दें, जैसा अब तक १२ १/२ फी सैकड़ा हम छोड़ते रहे, उसे छोडते रहेंगे या हम अपनी तनख्वाह को कम करें । यह बात कुछ असंगत मालूम हुई कि हम कानून यह पास करें कि हमें १,५०० रुपये का हक होगा लेकिन लेवें कम । इसलिये यह मुनासिब समझा कि कोई एक रकम सीधी साधी उसमें हो तो बेहतर है बमुकाबले इसके कि हम १,५०० रुपये रखते और उसमें से फिर १८७ रु० ८ आना छोड़ कर १,३१२ रु० ८ आना अपनी तनख्वाह रखते या १,३०० रखते । यह अच्छा नहीं लगा । हमने सोचा कि थोड़ी-सी बरायनाम कम होने दें तो कोई बुरी बात नहीं है । इसलिये १,२०० रुपये तनख्वाह हमने रखी है । इसलिये भवन जो हमने १,२०० रुपये तनख्वाह कम करके रखी है उसे मंजूर करेगा । हमने इसमें यह रखा है कि इसमें से इनकमटैक्स नहीं कटेगा लेकिन जैसा मने आप से कहा उस इनकम टैक्स को मिला कर भी तनख्वाह का शुमार किया जाय तो १,२७० या १,२८० के बीच में शायद तनख्वाह रहेगी। १,२७५ रु० से शायद ज्यादा न होगा। ऐसी हालत में कम से कम २२५ रुपये की कमी हम उसमें करने जा रहे हैं और वह भी यह समझते हुये कि सन् १९४६ से अब खर्चा बढ़ गया है । फिर भी हम चाहते हैं कि जो कुछ कमी हम कर सकें वह करें। इसलिये मुझे उम्मीद है कि इस भवन में इसके विरुद्ध कोई बात न होगी। इसके अतिरिक्त इस बिल में और जो बातें कही गयी हैं उनमें से जहां तक कि उनका ताल्लुक मंत्रियों से है व वही हैं जो सन् ३७ में थीं अथवा सन् ४६ में थीं।

इसके अलावा उसमें उपमंत्रियों की तनख्वाह और भत्तों का भी जिक्र है । अब तक हमारे यहां उपमंत्री नहीं थे, केवल मंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज ही थे। हम समझते हैं कि उपमंत्रियों का होना प्रदेश और भवन के लिये एक हित की बात होगी। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का काम साधारणतः शासन में हिस्सा लेना नहीं है। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और उसमें बहुत से ऐसे कामों को करने की जरूरत होती है जिनके लिये स्वयं मंत्रियों को कर सकने का समय नहीं है, इसलिये यह आवश्यक है कि उपमंत्री रखे जायं। वैसे तो मंत्री अपने विभाग के लिये जवाब देह रहेगा ही, परन्तु उपमंत्री न केवल पार्लियामेंटरी काम ही करेगा, बल्कि शासन संबंधी ऐसे कामों को करने का भी उसे अधिकार होगा जो मंत्री उसके सुपुर्द करें । आज हम जानते हैं कि हमारी स्टेट इंगलैंड, स्काटलैण्ड, यूनाइटेड किंगडम और वेल्स से बहुत बड़ी है यहां की आबादी ड्योढ़ी है। क्योंकि उसके वैलफेयर (भलाई) के लिये हमें बहुत से काम करने

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

हैं इसलिये उनको करने के लिये इस बात की जरूरत है कि हमारे बहुत काफी तादाद में काम करने वाले लोग हों जो काफी अच्छे ढंग से उस काम को चला सकें। चूंकि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को वे सब अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं जो उपमंत्रियों को हो सकते हैं। इसलिये उपमंत्री रखे जा रहे हैं। इसलिये भी कि केबीनेट को बहुत बड़ा बनाना ठीक नहीं होता और उसमें खर्चा भी ज्यादा पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी होने चाहियें जो शासन से बराबर सम्बंध रख सकें और जरूरत पड़ने पर ज्यादा बोझे को उठा भी सकें। इन सब बातों के लिये उपमंत्रियों की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि हमारे यहां केंद्र में भी उपमंत्री हैं और स्टेट्स में भी कई जगह हैं तथा यह भी संभव है कि और जगहों पर भी हों। हमारा प्रदेश सब प्रदेशों से बड़ा है, बाज प्रदेशों के मुकाबले में तो कई गुना बड़ा है। इसलिये इसके काम को भी अच्छे ढंग से करने की कोशिश करने के लिये इस बात की जरूरत है कि उपमंत्री हों। उपमंत्रियों का वेतन इसमें ७५० रुपया रखा गया है। इसके अलावा २५० रु० उनके लिये मकान का किराया और इधर-उधर आने जाने के खर्चे के लिये रखा गया है। इस तरह उनका यह सब मिला कर, १००० रु० आता है, जिसके लिये मैं समझता हूं कि किसी तरह से भी बहुत ज्यादा नहीं समझा जायगा। इस वक्त जो भी मंत्री या उपमंत्री हमारे प्रान्त में होंगे उनको हमारे प्रदेश के कामों की पूरी बातें नजर में रखनी हैं। और इसके लिये कम से कम कोशिश करना है कि सब विभागों का काम उनसे अच्छे सम्पर्क रखते हुये ढंग से हो सके। इसीलिये इसमें उपमंत्रियों का भी इस तरीके पर एक प्राविजन रखा गया है। और भी कई छोटी-मोटी बातें हैं, उनके लिये भी इसमें प्राविजन रखा गया है, नियम भी बना दिये जायेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस भवन में इस वेतन के संबंध में कोई मतभेद न होगा और इस भवन के सभी माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामनारायण—स्पीकर महोदय, आज इस सदन के सामने जो मंत्रियों और उपमंत्रियों की तनख्वाह के बारे में बिल रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं। इसके विरोध के कई कारण हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हिन्दुस्तान की गरीबी का भी तनिक ख्याल रखें। शुरू में जब हम लोग स्वातंत्र्य संग्राम के सैनिक की हैसियत से लड़ाई लड़ते थे तब हम बराबर हिन्दुस्तान की गरीबी का हवाला दिया करते थे। जब जब हमको अवसर प्राप्त हुआ तब तब हिन्दुस्तान में जो चौकीदार होते हैं, उनकी और वायसराय की तनख्वाह को लेकर विषमता दिखलाया करते थे कि जो चौकीदार है वह केवल ३ रुपये मासिक तनख्वाह पाता है और वाइसराय जो २० हजार रुपये से अधिक मासिक पाते हैं, यह कहां की और कैसी पद्धति है और यह कहां का न्याय है? तो हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि जिन उद्देश्यों को लेकर, जिस आर्थिक विषमता को मिटाने के लिये, जिस न्याय और समानता का आधार कायम करने के लिये हमने अपने लक्ष्य को बना कर आजादी की लड़ाई लड़ी, आज वह उद्देश्य हमारी आंखों से ओझल क्यों हो रहा है? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो संशोधन उनके सामने पेश हो रहे हैं उन संशोधनों पर वे गौर करें। वे संशोधन जो पेश हो रहे हैं केवल विरोध के नाम पर विरोध करने के लिये नहीं होंगे, बल्कि . . . .

माननीय अध्यक्ष—(श्री विष्णु शरण दुब्लिश से) माननीय सदस्य क्यों खड़े हैं?

श्री विष्णु शरण दुब्लिश—मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न) उपस्थित करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य संशोधन पेश कर रहे हैं या प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष—यह जनरल डिस्कशन हो रहा है। जो बिल है उसके सिद्धांतों पर बातें कर रहे हैं ।

श्री राजनारायण—इसलिये हमारे यहां जो भी प्रस्ताव उपस्थित किया जाय उसमें कुछ समानता और कुछ सिद्धांत कायम होना चाहिए। जब एक चपरासी की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तब तो देश की राष्ट्रीय आय की बात की जाती है कि हमारी राष्ट्रीय आय कम है, मगर जब मंत्रियों और उपमंत्रियों की तनख्वाह की बात आती है तब महंगाई का सवाल हमारे सामने रखा जाता है। सन् १९३७ ई० में जब पहली बार यह मिनिस्ट्री आयी थी तो उस समय इस बारे में भवन में जो विवाद हुआ था उसे आप गौर से देखेंगे तो मालूम होगा कि मंत्रियों के बारे में या सदन के सदस्यों के बारे में जो बातें तय होती थीं कि कितनी तनख्वाह लें, कितना भत्ता लें, किस क्लास का किराया लें, उस पर हम नीचे की तरफ देख कर चलते थे। हमारा यह लक्ष्य होता था कि अगर भीड़ के कारण सदस्यों को इन्टर क्लास का टिकट न प्राप्त हो सके, तो वे सेकन्ड क्लास में नहीं चल सकेंगे, बल्कि थर्ड क्लास में ही सफर करेंगे और वही भत्ता उनको लेना होगा। मगर इतने दिनों में ही हमारे प्रदेश में कहां से धनराशि का पहाड़ टूट पड़ा कि आज हमारे मुख्य मंत्री जी मंत्रियों और उप-मंत्रियों के लिये इस तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें १,२०० रुपये तनख्वाह रखी गयी है। पहले से अगर आप सचमुच हिसाब लगा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि कमी इसमें पहले से कुछ नहीं हुई है बल्कि केवल कहने के लिये (नामिनल) सैलरी तो कम हुई है मगर रीअल सैलरी (वास्तविक-वेतन) कम नहीं हुई है। पहले भी १,५०० रुपये लेते थे जिसमें साढ़े बारह प्रति शत कटौती होती थी और इनकम टैक्स वगैरह सब मिला-जुला कर जहां तक मेरी जानकारी है और मुझे मालूम हो सका है वे १,२०८ रुपये पाते थे और अब उनके लिये १,२०० रुपये रखे गये हैं, तो इसमें आपने कौन सा बड़ा कमाल कर दिखाया है कि अब आप १,२०७ रुपये लेंगे या १,३०० रुपये लेंगे। अब अगर आप १,२०० रुपये लेंगे तो भारत की गरीबी का कहां ध्यान किया गया ?

इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी जी के क्या अरमान थे उन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चहता हूं। हिन्दुस्तान में जब विदेशी हुकूमत टूटी और भारतीय हुकूमत आयी "तो हमारे देश, के मंत्री और हमारे देश के गवर्नर कैसे रहें" इस पर गांन्धी जी ने हरिजन अखबार में जो अपने विचार प्रकट किये थे उन्हें मैं आपको बतला देना चाहता हूं। सन् १९४७ के हरिजन में गांधी जी ने एक आर्टिकिल निकाला था कि इंडियन गवर्नर और मंत्री अगर इस तरह की पैलिशियल बिल्डिंग्स (प्रासादों) में रहें तो जो पहले भारतीय संस्कृति का राग अलापा करते थे उनकी वह संस्कृति कहां चली गयी । उस समय महात्मा जी ने कहा था कि हम भारतीय परम्परा को और भारतीय मर्यादा को भूल जाते हैं। इसलिये अगर हम गांधी जी का नाम लेना चाहते हैं तो हमको साफ कहना चाहिये कि हम गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले नहीं है और अगर हम गांधी जी का नाम लेना चाहते हैं या उनका नाम लेने वाले हैं तो हमें ईश्वर के नाम पर गांधी जी के बताये हुये रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। गांधी जी के बताये हुये एक सुन्दर लीप पोतकर एक अच्छा सा काटेज जिसके ऊपर छप्पर भी छाया हो और उसके अन्दर ३,४ कमरे हों जिससे आपकी सारी जरूरत पूरी हो सके और जिसमें आगन्तुक भी आपसे आकर मिल सकें वही रहने के लिये अगर आप रखें तो सारी बातें उससे आपकी हल हो सकती हैं। यह विशाल भवन आवश्यकता से परे ही मालूम होगा। मैं तो सचमुच यह देखता हूं कि जब कभी मंत्रियों के पास जाने का अवसर होता था तो मैं अपने जूते साफ करके अन्दर घुसा करता था कि कहीं यह गलीचें मेरे जूतों से खराब न हो जायं और उन पर दाग न पड़ जाय। आपको तो ऐसा स्थान रखना चाहिये जहां पर आम जनता आसानी से पहुंच सके और जहां पर जाने में हर एक आदमी को झांक लगे ऐसा स्थान आप को अपने लिये भवन से नहीं मांगना चाहिये था। हमारे गांधी जी बार बार कहा करते थे कि हमारे मंत्रियों का निवास स्थान ऐसा होना चाहिये जहां पर आम जनता बिना किसी हिचकिचाहट के पहुंचे सके ।

[श्री राजनारायण]

आप अगर इस तरह से अपनी तनख्वाह का बिल पास करा लेंगे तो यह एक बड़ा अन्याय होगा और देश के साथ अन्याय होगा। आप जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े थे उससे आप नीचे गिर जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा और माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापस लेवें और अगर वे इस बात के लिये तैयार न हों तो इस भवन के माननीय सदस्य इस विधेयक को ठुकरा दें, क्योंकि आप जरा दूसरे मुल्कों की आमदनी का भी मुलाहिजा फरमायें। अमेरिका में पर कैपिटा कैपिटल ४ हजार है, ब्रिटेन में ३ हजार है और हमारे मुल्क में १५० रुपया है। भला आप जरा विचार कीजिये कि जिस देश में कैपिटल लगाने की ताकत इतनी कम हो और उस देश के मंत्री, मुख्य मंत्री और उपमंत्री इस बात का विधेयक लायें कि उनकी १,२०० रुपया तनख्वाह हो और जिसका पूर्ण विवरण भी नहीं है तो वह उचित नहीं कहा जा सकता। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैंने इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि एक मंत्री के ऊपर स्टेट का कितना खर्च पड़ता है। मैं एक दफ्तर में गया तो कहा गया कि कांफिडेन्शियल (गोपनीय) है। हमने कहा कि हम भी माननीय सदन के सदस्य हैं तो कुछ तो मालूम होना चाहिये तो एक भाई ने बड़ी मुश्किल से बताया और कुछ अपनी जानकारी से विचार करने पर यह मालूम हो सका कि एक मंत्री के ऊपर लगभग ५ हजार और ६ हजार के बीच में स्टेट का खर्च होता है। अब आप देखिये कि एक चौकीदार है जो ५ रुपया पाता है जब कि वह गांव पंचायत का भी काम करता है यानी उसकी रीयल [वास्तविक] तनख्वाह तो ३ रुपया ही है उसकी कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई, क्योंकि उसकी तनख्वाह को बढ़ाने के लिये आपके पास साधन नहीं है। चपरासियों, रेलवे मजदूरों और दूसरे मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने के आपके पास साधन नहीं है। मगर महंगाई आई तो केवल मंत्रियों के लिये। महंगाई आई तो हमारे सदन के सम्मानित सदस्यों के लिये आई। हमको जरा देश की गरीबी पर भी दृष्टिपात करना चाहिये। गैर मुल्कों के जो आप के सामने फीगर (आंकड़े) रखे, जरा उन पर भी तो गौर कीजिये। अमेरिका और इंगलैण्ड की इनकम और पर कैपिटा इनवेस्टमेंट भी तो देखिये और अपने यहां की देखिये। जहां हमारे लोगों की ये फीगर्स ५०,६० गुनी कम हैं वहां माननीय मंत्रियों के वेतन में फर्क नहीं पड़ेगा। जापान की फीगर्स क्या हैं? वहां प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह अगर १० है तो छोटी से छोटी ये १ है। १ और १० का अन्तर है। हिन्दुस्तान का तो जरा अन्तर लगाइए। यहां एक चौकीदार को ३ रुपया मासिक मिलता है, वह भी सरकारी ही आदमी है, तो एक मंत्री को १,२०० रुपया। चौकीदार भी २४ घंटे काम करता है। वह अपने इलाके में रहता है।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य पुनरुक्ति बहुत कर रहे हैं, उन्हें रिपीटीशन नहीं करना चाहिए।

श्री राजनारायण---इसलिये जब हम अपने वेतनों और भत्तों पर विचार करेंगे तो हमें इन बातों को सामने रखना होगा। भावावेश में आकर काम करना ठीक नहीं होगा। हमें वस्तुस्थिति को सामने रखना होगा। जो व्यक्ति किसी प्रस्ताव को रखता है उसके व्यक्तित्व का भी असर पड़ता है। मगर मैं निवेदन करूंगा कि जहां सिद्धांत या आदर्श सामने आता है वहां किसी के व्यक्तित्व को ही सामने नहीं रखना चाहिए। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से फिर अपील करूंगा कि आपने जो यह वेतनों की बात रखी है यह बहुत बढ़ा चढ़ा कर रखी है। इसको घटाना चाहिए। अगर हम इसको नहीं घटाते हैं तो हम समझते हैं कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति से बहुत पीछे चले जावेंगे।

एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप अपने उद्देश्य को देखिये। अभी गवर्नर महोदय ने अपना भाषण यहां दिया था तो आस्टैरीटी [मिताहार] का बड़ा सबक पढ़ाया था। अभी हमारे मुख्य मंत्री जी के कल परसों के पंचायतों के और कोआपरेटिव्ज के बारे में व्याख्यान निकले हैं। उनमें भी उन्होंने जो कहा है उससे हमारे लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। आप हमें

शिक्षा देते हैं। Example is better than precept (कहने की अपेक्षा करके दिखाना अच्छा है)। आप आदर्शस्वरूप बन जाइये और मौन होकर बैठ जाइये और कहिये कि हम केवल ५०० रुपया लेंगे। इस तरह आप दूसरों को प्रभावित कर सकेंगे। इस बारे में मेरी आपके एक सेक्रेट्री से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि साहब, हमारी तो जो पुरानी गवर्नमेंट थी उससे कंट्राक्ट हैं तो क्या सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ जावेगी, तो वह हमारी भी तनख्वाह कम कर देगी। हमने कहा कि भाई कंट्राक्ट को तो सोशलिस्ट पार्टी इज्जत की निगाह से देखेगी, मगर हम कोई एक लहजे में उत्तर नहीं दे सकते। मगर हां, एक बात आपको भी देखनी होगी कि अगर मैं प्रधान मंत्री बन गया और मैंने कहा है कि मैं जनता का एक पैसा नहीं लूंगा और जो मेरी निजी आमदनी है उसी से अपना निज खर्च चलाऊंगा तो आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। हंसते हुये उस अधिकारी ने कहा कि असर तो जरूर पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप एक सिद्धांत बनाइये कि कम से कम और अधिक से अधिक वेतन क्या हो। यदि हमारे देश में अधिक से अधिक आमदनी १,०००) है तो कम से कम वेतन १००) होना चाहिये। क्यों? एक मंत्री महोदय हैं। अगर उनकी निजी मीन्स आफ इन्कम (आय के स्रोत) १०,००० मासिक है या १,००० रुपया मासिक है तो मैं समझता हूं कि उन्हें एक पैसा भी नहीं लेना चाहिए। आप को चाहिये कि त्याग और आदर्श की भावना से काम करें।

माननीय अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस समय वह उसूलों का सवाल पेश कर रहे हैं, इसलिये अपने संशोधनों के डिटेल में न जावें।

श्री राजनारायण--इसलिये जब हम कोई विधेयक प्रस्तुत करें तब हमारे पिछले क्या उद्देश्य रहे हैं इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिये। हमें अपने देश की गरीबी को नहीं भूलना चाहिये। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें एक सिद्धांत बना लेना चाहिये और उस पर चलना चाहिये कि किसी दूसरे को कहने का मौका न मिले कानाफूसी न हो। आपके सामने लोग बोलते नहीं मगर फिर पीछे वही आपके कर्मचारी कहते रहते हैं कि अपने लिये तो आप यह पास कर लेते हैं और हमको आप आदर्श, सिद्धांत और त्याग का पाठ पढ़ाते हैं कि हम त्यागी बनें। इसलिये जिस आदर्श पर आप दूसरों को चलाना चाहते हैं उस पर पहले आप तो चलिये। पहले उसे आप करिये। "Do to others as you wish to be done by." [दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा दूसरों से अपने लिये चाहते हो।]

मैं आपसे, प्रमुख मंत्री जी, अपील करूंगा कि हम इस विधेयक पर एक दूसरे ढंग से भी विचार करें। आगे आनेवाला समाज क्या है और उसका आदर्श क्या होगा। आप चाहेंगे कि दूसरों के साथ दूसरा व्यवहार हो। और हम अपने हाथ में पावर लेलें, हम सेंटरेलाइजेशन (केन्द्रीकरण) कर लें, तो सेंटरेलाइजेशन की ओर आप बढ़ते चले जायंगे या डिसेंटरेलाइजेशन (विकेन्द्रीकरण) की ओर आप बढ़ते चले जायंगे, यह सिद्धांत इसमें भी आ करके लगता है। अगर आप इस सिद्धांत को लगायेंगे तब आपको देखना पड़ेगा कि ग्राम पंचायतों की सीमा के अन्दर इस सूबे की आय का कितना हिस्सा खर्च होता है, जिला पंचायतों के अन्दर इस सूबे की आय का कितना हिस्सा खर्चहोता है और अपने हाथ में इस सूबे का कितना हिस्सा लेते हैं जो मनमाने तरीके से खर्च हो सकता है। आप अगर प्रान्तीय कोष में से एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्राम पंचायतों के जरिये खर्च करने को देते हैं, कम से कम २५ फीसदी, उसी तरह से आप जिला पंचायतों के जरिये खर्च करने को देते हैं, तो दूसरों के लिये कोई बात कहने की नहीं रह जायगी और आप के साथ जितनी रक़म बचेगी उसके अनुसार आप और बातें निर्धारित कर सकते हैं। आप को मालूम है कि एक मिनिस्टर पर कितना खर्चा हो जाता है। हमारे सामने यह बातें डिटेल (विस्तार) में नहीं आयेंगी। जब क्लाज बाई क्लाज यह बिल आयेगा, जैसा कि स्पीकर महोदय ने आज्ञा दी है, उस समय डिटेल में मैं अपनी बातें निवेदन करूंगा, मगर इस समय इतना निवेदन मैं जरूर करना चाहता हूं कि अगर मुख्य मंत्री का प्रस्ताव यह सदन स्वीकार करता है तो यह सदन अपने आदर्श से च्युत होता है और महात्मा गांधी के नाम के साथ अन्याय करता है।

महाराज कुमार बालेन्दुशाह---अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू ही में यह कह देना चाहता हूं कि हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, किन्तु साथ ही साथ हम यह अपना फर्ज समझते हैं कि आप के व मंत्री गण के सामने अपना विचार प्रकट करें। हमारा विचार यह है कि यदि यह बिल इसी रूप में पास किया जाय तो मंत्रिगण व जनता में परस्पर ग़लतफ़हमी होने का अन्देशा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से व मंत्री गण से क्षमा मांगता हूं किन्तु तुलना आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मंत्रिगण हर एक सूरत से मजदूरों के समान हैं और कम से कम एक सूरत से तो मजदूरों के समान अवश्य ही माने जा सकते हैं। तुलना के लिये मैंने पहले ही क्षमा मांग ली है। हां, यह तो नहीं है कि मंत्री लोग किसी राजा के यहां गुलामी कर रहे हैं। यह भी नहीं है कि किसी कैपिटलिस्ट (पूंजीपति) के यहां हमारे मंत्री लोग मजदूरी कर रहे हैं। ऐसा मजदूर मैं उनको नहीं ठहराता, किन्तु हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का उदाहरण लीजिये। वे ५ बजे सुबह से ११, १२ बजे रात तक किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। क्या हमारे माननीय बहुगुना जी किसी भी मजदूर का नाम बता सकते हैं जो कि इससे अधिक तो क्या इतना भी काम करता हो? तुलना करने का तात्पर्य मेरा यह भी नहीं है कि जैसे मजदूरों को अच्छी तनख्वाह एक इनसेंटिव (आकर्षण) के तरीके से दी जाती है, उसी प्रकार माननीय मंत्रियों को भी दी जाय। यह गलत है। हमारे माननीय मंत्रियों को देशसेवा के सिवाय और किसी प्रकार का इन्सेंटिव (आकर्षण) नहीं चाहिये। तुलना का अर्थ यह भी नहीं है कि जैसे मजदूरों को गुजरे हुये साल में अच्छा काम करने के लिये किसी प्रकार का बोनस या इनाम दिया जाता है, वैसे ही हमारे मंत्रियों को भी उनकी देशसेवा या उनकी कुरबानी के लिये यह पद या यह वेतन दिया जा रहा है। यह कदापि नहीं है औ खासकर जब कि यह घोषित कर दिया गया है कि कांग्रेस संस्था केवल उन्हीं पुरुषों पर भरोसा रखेगी है जो कि इनटेग्रिटी ऐंड एबिलिटी (सत्यता और योग्यता) के हैं। तो यह कहना कि मंत्रियों का पद किसी व्यक्ति को एक किस्म की कुरबानी के लिये दिया जा रहा है यह बहुत अनुचित है। एंटीग्रेटी और एबीलिटी (सत्यता और योग्यता) के उच्च सिद्धांत का जो प्रशंसनीय पालन चुनाव के दौरान टिकट देते समय हुआ था वह हमारे सामने ही है। यह तो साबित है कि इस सिद्धांत को हमारी कांग्रेस संस्था ने अपनाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मैंने यहां आपके सामने तुलना की है उसका यह तात्पर्य है कि जैसे मजदूरों को यदि उनके रहने और उनके परिवार के रहने के लिये हर एक प्रकार की सुविधा दी जाती है और जब इस सिलसिले में उसे कोई चिन्ता न हो तो काम उससे अच्छी तरह से होता है, इसी प्रकार मेरा कहना यह है कि यदि हम अपने मंत्रियों से यह आशा करते हैं कि अपना फर्ज अदा करने में वह किसी तरह से कोई कमी न करें, तो हमारा यह फर्ज है कि हम उनको हर एक प्रकार की सुविधा दें। जब हम अपने मंत्रियों को सुखी रखेंगे तब ही तो हमारे मंत्री जनता की सुख की मांग समझ सकेंगे।

जैसा मैंने शुरू में ही कहा, हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। किन्तु हमारी यह प्रार्थना है कि इस बिल को माननीय न्याय मंत्री के पास रिड्राफ्टिंग के लिये (पुनः प्रारूप करने) के लिये भेज दिया जाय। हमारा कहना यह है कि जब यह एक किस्म की प्रथा बन गयी है कि हर एक व्यक्ति इन्कम टैक्स दे तो इस बिल में रक़म कम दिखा कर और उसको फी आफ इन्कम टैक्स (आय कर रहित) बनाने में कोई खास तुक नहीं दिखायी देता। ऐसा करने से मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यह डर रहता है कि जनता कहीं यह न समझ ले कि हमारी सरकार अब हमारे ही साथ चालाकी दिखा रही है। आखिर हम सबको यह मालूम है कि जनता अशिक्षित है, बड़ी भोली है। जब कोई पूछता है कि तुम तनख्वाह पाते हो, या हमारे मंत्रीगण कितना पाते हैं तो हमारा जवाब केवल यह होगा कि हमारे मंत्रीगण केवल बारह सौ पाते हैं। किन्तु यदि कोई बिल को पूरी तरह से पढ़े तो यह सही नहीं होगा कि यह केवल बारह सौ पाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि बारह सौ अधिक है, कदापि नहीं। जैसा कि मैंने कहा, यदि बारह सौ पाने से वे खुश होते हैं और फिर हम उनसे यह आशा कर सकते हैं कि अपना काम वे पूरी तरह से करेंगे तो अवश्य बारह सौ लें। हमको याद रखना चाहिये कि हम सब यहां जनता के जवाबदार हैं। जब जनता सही तरीके से नहीं समझ सकती

कि बारह सौ का अर्थ क्या है तो हमको स्पष्ट करके कह देना चाहिये कि हम अपने मंत्रियों को बारह सौ फ़्री आफ इन्कम टैक्स (आयकर रहित) देते हैं वगैरह-वगैरह। मेरा कहना यह है कि हमारे मंत्रीगण दो हजार या ढाई हजार पूरा ले लें किन्तु उसके बाद इन्कम टैक्स दें, हाउस रेंट दें, सवारी का खर्च अपने आप दें और दौरे का जो उनका खर्च हो वह भी खुद बरदाश्त करें। तब ही तो आपकी जनता यह जान लेगी कि उनके ऊपर दरअस्ल खर्च दो-ढाई हजार है न केवल बारह सौ। जैसा मैंने कहा वेतन अलग अलग किस्मों में देना अनुचित है। सब को इकट्ठा करके एक रूप में दिया जाय और मंत्रियों से यह आशा की जाय कि जब उनका वेतन बढ़ा दिया गया है वह तो अपने सब खर्चे स्वयं अदा करें। यह भेद जो 'लेने' और 'पाने' में किया जा रहा है, उचित नहीं, और यह भेद जो किया जा रहा है वास्तव में केवल एक "quibbing in words" (शब्दों का जाल) है।

मैं जानता हूं कि, "Conscience has no more to do with gallantry than it has with politics" (बहादुरी का विवेक से ऐसा ही संबंध है जैसा कि इसका राजनीति से है) लेकिन हमको साथ ही साथ यह भी याद रखना चाहिये कि "facts are stubborn things" (तथ्य दुर्दान्त होते हैं)। सो यदि आज हम जनता के सामने यह भाव लाते हैं कि हमारे मंत्री केवल १,२०० रुपया ही ले रहे हैं तो शायद भविष्य में इसका परिणाम बुरा हो सकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारे मंत्री जितना उचित समझते हैं और जिनता बहुमत के अनुसार समझा जाय वह अवश्य लें, क्योंकि इस पर बहुत कुछ कार्य कुशलता निर्भर होती है। मगर जो लिया जाय उसको साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहने में हिचकिचाहट महसूस न की जाय।

श्री रतनलाल जैन—मानीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव भवन के सामने रखा गया है और उसका विरोध किया गया है उससे मुझे तो यह मालूम होता है कि विरोध वास्तविक नहीं है, परन्तु यह व्यावहारिक या जानबूझ कर विरोध किया गया है। यह तो हर एक आदमी को मालूम ही है कि इन ८,१० वर्ष के अन्दर खर्च कितना बढ़ गया है। जहां पहले सौ रुपया खर्च होता था अब ४०० रुपया होता है। मैं माननीय महोदय से ही पूछता हूं कि जहां पहले वह खानें में चार पांच आने खर्च करते थे तो आज क्यों सवा, डेढ़ रुपया खर्च कर रहे हैं? जब खर्च हर एक वस्तु का चौगुना हो गया है तो फिर वेतन क्यों न बढ़ने चाहिए।

महात्मा गांधी का नाम बार-बार लिया गया है। महात्मा गांधी ने सन् १९३७ में पांच सौ रुपयें तजवीज किये थे। आज जिस प्रकार से खर्चा बढ़ा है, अगर हम उसको देखें, तो आज पांच सौ रुपये के स्थान पर दो हजार रुपया वेतन होना चाहिए। रुपये का मूल्य आज वह नहीं है जो सन् १९३७ में था। आज रुपया पहले के मुकाबले में चार आने के बराबर है। जिन महात्मा जी का मत उद्धरण किया गया है उसके अनुसार भी दो हजार वेतन होना चाहिए।

हमारे मंत्रिमंडल ने पहले १,५०० रुपये वेतन नियत किया था। अब १,५०० के बजाय १,२०० कर दिया है। सौ रुपये से कुछ कम टैक्स के जाते हैं, अपनी स्वेच्छा से उन्होंने साढ़े बारह प्रतिशत वेतन में कमी कर ली थी और दो सौ रुपये के लभगग वेतन में कम ले रहे हैं। आज उन माननीय मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहिये था कि अपने वेतन में वे जो साढ़े बारह प्रतिशत कम ले रहे थे उस कमी को कानून के द्वारा निश्चित कर रहे हैं और १,५०० के बजाय १,२०० लेना स्वीकार कर रहे हैं। कोई कारण नहीं है कि इस तरह के एतराज किये जांय।

अब हर एक आदमी की मजदूरी को भी देखिए। चौगुनी और पचगुनी हो गयी है। एक मामूली मध्यम श्रेणी के आदमी के लिये भी अपने मामूली खर्चे के लिये जब ५०० रुपया

[श्री रतनलाल जैन]

खर्च करना पड़ता है, तो मंत्रियों के लिये १,२०० रुपये वेतन कैसे अधिक कहा जा सकता है। यदि किसी का एक लड़का कालिज में पढ़ता है तो उसको उस पर डेढ़ सौ रुपया माहवारी खर्च करना पड़ता है। तब यह कैसे सम्भव है कि थोड़े से खर्चे में काम चल जाय। यदि समस्त व्ययों का जिम्मेदारी स्टेट ले ले तब तो बात दूसरी होती। इसके अतिरिक्त खर्चे के अनुपात से वेतन बढ़ाया नहीं गया है वरन कम किया गया है। इसके लिये तो हमारे मुख्य मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं।

दूसरा एतराज राजा बालेन्दु शाह ने किया है। मैं उनसे पूछता हूं कि वह यहां बारह सौ रुपये वेतन व गृह व काम सम्बन्धी व्यय पर एतराज करते हैं, उन से तो पूछिये कि कितने लाख रुपया साल वह इस सरकार से ले रहे हैं? जब अपने आप लाखों रुपया लेने में उनको बुरा नहीं मालूम होता, तो फिर इसके ऊपर एतराज करना उनको शोभा नहीं देता।

माननीय अध्यक्ष---(श्री बालेन्दु शाह के खड़े होने पर) जब कि वक्ता बैठना न चाहें आप ही बैठ जायँ।

श्री रतनलाल जैन---जो आदमी स्वयं कांच के मकान में रहता है उसको दूसरे के पक्के पत्थर के मकान पर ढेला नहीं फेंकना चाहिए। अपने आप तो लाखों रुपया लें और दूसरे थोड़ा सा भी ले तो उस पर इस प्रकार ऐतराज करना उनको शोभा नहीं देता। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव बिलकुल उचित है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामजी सहाय---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत है वह बड़ा सरल और साधारण है। आप देखेंगे कि जब कि हमारे विरोधी दल के नेता ने अपने सोशलिस्ट मैनिफेस्टो का हवाला दिया कि एक और दस का अनुपात होना चाहिये और उसी क्रम में उन्होंने गांधी जी का भी रेफरेंस किया। लेकिन हम निवेदन करना चाहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी ने स्वयं गांधी जी के सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार सोशलिस्ट पार्टी का सृजन हुआ। उन्होंने एक प्रकार से उनकी सिद्धान्तों की आत्मा का हनन किया। दूसरे वह गांधी जी की अधूरी चीजों को लेकर सदन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।

कराची कांग्रेस के मूल सिद्धांत आपको मालूम होंगे जिन में हमने अधिकतम वेतन पांच सौ रुपया स्वीकार किया था। लेकिन उस समय क्या मूल्य था रुपये का? उस अनुपात से यदि आप देखेंगे तो यह जो वेतन है यह उससे कम है और आज हमारे माननीय मंत्रियों ने जिस तरह से स्वतः अपने वेतन को कम किया है वह हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। हम इस तरह से शासन को ऐसा नहीं बना देना चाहते हैं कि उस की कार्य-क्षमता कम हो जाय। हम जो निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं उन की तरफ दुर्लक्ष्य नहीं करते, लेकिन यह नहीं करना चाहिये कि लोगों को उसी धोखे में रख कर शासन की इकाइयों को, उन को परिचालित करने वालों को और उनको उसी स्तर पर बनाये रखें बल्कि जीवन स्तर को या मंत्रियों या निम्न श्रेणी के जीवन स्तर को उठाने का सतत प्रयत्न करते रहें।

मैं मानता हूं कि केवल आदर्श से काम नहीं चलता। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि गांधी जी कहा करते थे कि वे व्यावहारिक आदर्शवादी हैं। महात्मा गांधी यह कहा करते थे कि अगर चोर हमारे आश्रम में आये तो चोरी करने दो। लेकिन मुझे भी उन के चरणों में साबरमती में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहां हम डंडे ले कर रात्रि को पहरा दिया करते थे ताकि चोर हमारे आश्रम के अन्दर न आ जायं। इस लिये यदि व्यावहारिक आदर्श की दृष्टि से देखेंगे तो यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है नितान्त सरल है। केवल हठधर्मी के लिये सोशलिस्ट पार्टी इसका विरोध कर रही है जैसा कि हमने उस दिन

महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के समय अपने सोशलिस्ट भाइयों को विरोध करते देखा। विरोध जो हो वह रचनात्मक हो । इस तरह के निरर्थक विरोध से कोई लाभ नहीं। इसलिये मैं कहता हूं कि उनके इस विरोध का कोई मूल्य नहीं है ।

अतएव जो मूल प्रस्ताव है उसे भवन स्वीकार करे मुझे इतना ही निवेदन करना है ।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो उसूलों की बातें कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। पहली बात तो यह है कि इनकम टैक्स फ्री वेतन होना असाधारण बात है। इसलिये मैं चाहता हूं कि चाहे वेतन कुछ भी रखा जाय उस का एमाउन्ट कुछ भी हो परन्तु यह अच्छा होगा कि जिस व्यक्ति को तनख्वाह मिले वह उसका इनकम टैक्स खुद दे। एक सिद्धांत की बात और है कि इनकम टैक्स ऐक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है और उस में यह लिखा है कि जिस आदमी की जितनी आमदनी होगी उस को उसी हिसाब से इनकम टैक्स देना होगा । यह भी हो सकता है कि किसी मंत्री की दूसरी इनकम और हो और उस हालत में उसको इन १,२०० रुपये पर इनकम टैक्स भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा और उस का रेट भी ज्यादा हो सकता है । इसलिये ऐसा करना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐक्ट में एक तरह का संशोधन करना है । मुझे यह मालूम है कि इनकम टैक्स की दफा ६० में लिखा हुआ है कि प्रेसीडेंट महोदय इनकम टैक्स माफ़ कर सकते हैं लेकिन इस तरह का यहां कोई सवाल पेश नहीं किया गया ।

दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय के जरिये से मैं अपने मंत्रीगण से प्रार्थना करूंगा कि वह इसमें तनख्वाह या वेतन का नाम न रखें बल्कि "एलाउन्स" रखें । कांस्टीट्यूशन की दफा १६४ में सेलरी और एलाउन्स लिखा हुआ है । इस प्रदेश में सब से बड़े कार्यकर्त्ता मंत्रीगण हैं और उनके जो नौकर चोफ़ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी हैं वह उनसे अधिक वेतन पावें, यह अच्छा नहीं लगता । जब उनको तमाम सुविधायें मकान और मोटर वगैरह दिये जाते हैं तो उनको जो कुछ दिया जाय वह वेतन के बजाय एलाउन्स कर के दिया जाय तो अधिक शोभा देगा ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के नेता ने जहां तक सिद्धांत की बातें थीं वह भवन के सामने रखीं । मैंने अपने मित्र श्री रतन लाल जैन का भाषण सुना । उनका कहना है कि बजाय ५०० रुपये के मंत्रियों का वेतन २००० रुपया होना चाहिये। कारण उन्होंने यह दिया कि चूंकि अब पहले से खर्च चौगुना हो गया है । मेरी समझ में नहीं आया कि खर्च केवल मंत्रियों का ही बढ़ गया है या हर आदमी का बढ़ गया है ? जब हम गवर्नमेंट के सिपाहियों की, ग़रीब चपरासियों की और छोटे-छोटे क्लर्कों की तनख्वाह बढ़ाने की बात कहते हैं तब तो कह दिया जाता है कि प्रान्त के बजट में रुपया नहीं है और उस वक्त इस बात का ख्याल नहीं किया जाता कि उनका भी ख़र्च बढ़ गया है। किस तरह से बेचारे ग़रीब चपरासी, सिपाही और क्लर्क आज गुजर करते हैं इसका भी कभी ख़याल किया जाता है ?

इसके अलावा हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि काम बढ़ जाने की वजह से हमारे लिये मंत्रियों की भी आवश्यकता बढ़ गयी है । मैं नहीं समझता कि काम कहां से बढ़ गया है और कौन काम बढ़ गया है । प्लानिंग का काम जरूर बढ़ा है और हमें खुशी है कि उस काम को मुख्य मंत्री जी ने खुद लिया है जो सुबह से रात तक काम करते हैं और अगर वह एक दो घंटे और काम करेंगे तो काम सुचारू रूप से चल जायगा । हम प्लानिंग के काम में हर तरह का सहयोग देने के लिये तैयार हैं ।

जहां तक उपमंत्रियों का सवाल है मेरे ख़याल में और किसी विभाग में कोई काम नही बढ़ा है । वही विभाग हैं और उसी तरह से तमाम काम चल रहा है। हां एक काम जरूर बढ़ गया है और अगर उस काम को पूरा करने के लिये आवश्यकता है तो किसी को एतराज नहीं हो सकता और वह काम यह कि पहले २२८ सदस्य थे और अब ४३० हो, गये हैं जिनमें से ३९० बहुमत के हैं। अगर उन सब को एक जगह इकट्ठा रखना है कि कहीं इधर उधर न चले जायं और कहीं लाल टोपी न पहिन लेवें और इसीलिये सब मेम्बरों को क़ाबू में रखने के लिये ही ऐसा किया जा रहा है तो प्रान्त के लोगों को भी क़ाबू में रखने की बात

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

सोची जानी चाहिये । जैसे कि आज प्रान्त में ४० फीसदी वोटस कांग्रेस को मिले हैं और कांग्रेस बहुमत में है। ६० फीसदी लोग कांग्रेस के खिलाफ हैं । उनको अपने साथ लाने की कोशिश करना है तो मैं अपना सुझाव रखूंगा कि हर जिले में एक मंत्री होना चाहिये। इस तरह से ५२ मंत्री होने चाहियें । इससे क्या होगा या तो वहां की जनता कांग्रेस की तरफ आ जायगी जो कि ६० फीसदी लोग आज उसके खिलाफ हैं या फिर दूसरी बात यह होगी कि उनके आतंक से उनके जिलों में क्रांति होगी और वह हुकूमत उखड़ जायगी जो कि आज अपना बहुमत कायम करके राज्य करना चाहती है। इसमें लाखों रुपया खर्च होगा ।

उपमंत्रियों का कोई काम नहीं है । आज हमारे माननीय मंत्री काफी योग्य हैं और वह काफी काम करते हैं और उन्होंने इसके अलावा प्रान्त की हुकूमत को चलाया भी है । यह बात दूसरी है कि चाहे बुरी तरह से चलाया हो या अच्छी तरह से चलाया हो । इसलिये नये उपमंत्रियों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा प्रान्त बहुत ही गरीब है । जो रुपया इन मंत्रियों पर खर्च होगा वह विकास योजनाओं के बढ़ाने में खर्च होना चाहिये । हमारे गरीब नौकर पेशा लोग हैं चाहे वह चौकीदार हों, चपरासी हों, या क्लर्क हों या पुलिस के सिपाही हों उनकी भलाई में अगर यह रुपया लग जायगा तो हमारे प्रान्त के गरीब लोगों के दिलों में यह खयाल पैदा होगा कि हमारे मंत्री लोग हमारा भी खयाल करते हैं । इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से वह काम चलाते रहे हैं उसी तरह से आगे भी चलाते रहें और फिर अगर इधर उधर आवश्यकता पड़ जाय तो उस वक्त हाउस उस पर विचार कर सकता है । लेकिन आज जब कि कोई नया काम नहीं है , नई व्यवस्था नहीं है सिर्फ प्लानिंग का काम है तो ऐसी हालत में उपमंत्रियों का रखना ठीक नहीं होगा ।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि कमरों की आज वैसे सख्त जरूरत है, हमारे संयुक्त दल के नेता कहते थे कि अभी हमको कमरा नहीं मिल सका है जब २०-२५ उपमंत्री हो जायंगे तो कमरे कहां से आयेंगे । कमरों के लिये नया इंतजाम करना पड़ेगा । उप-मंत्रियों के रखने में और भी बहुत सी तकलीफें होंगी। अंत में मैं यह कहूंगा कि उपमंत्रियों की नियुक्ति के विषय में जो सवाल हाउस के सामने पेश है उसे अगर हमारे मुख्य मंत्री जी वापिस ले लें तो बड़ा अच्छा हो, क्योंकि वैसे भी हमारे मंत्रिगण अब बढ़ कर १२ हो गये हैं और हम समझते हैं कि वे काफी हैं और हमें विश्वास है कि वह काफी काम भी करेंगे और हम उनकी सहायता करते रहेंगे । इसलिये मैं मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस मामले को वापिस लें लें ताकि प्रांत का खर्चा कम हो।

श्री बनारसी दास––अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने माननीय मंत्रियों के वेतन का प्रश्न इस समय विचाराधीन है । हमें तो इस समय इतना ही गौर करना है कि मंत्रियों के वेतन का आधार क्या होना चाहिये । यह सही है कि मंत्रियों का वेतन भी किसी उसूल के मातहत होना चाहिये । मुझे याद है कि हमारे माननीय नेता और इस समय के पुलिस मंत्री ने अपने बजट के भाषण में कहा था कि असल में वेतन का आधार यह होना चाहिये कि हर एक आदमी को आवश्यकता के अनुसार दिया जाय और प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाय । इस सिद्धांत के अनुसार हमें आगे बढ़ना है । इस बिल पर अभी जो विरोधी दल के सदस्यों की ओर से भाषण हुये और अन्य लोगों ने आपत्ति की तो मुझे तो ऐसा मालूम होता था कि वह इस बिल की

आलोचना नहीं थी, बल्कि ऐसा मालम होता था कि किसी चुनाव सभा के अन्दर उनका भाषण हो रहा है और लोगों के मत हासिल करने के लिये वह आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश बहुत गरीब है और महात्मा जी का भी हवाला दिया गया। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक गांधी जी का सवाल है वह तो हमारे लिये रास्ता दिखलाने वाले थे, हमारे लिये आदर्श थे। लेकिन हम महात्मा जी के नाम का कोई ट्रेड मार्क बना कर नहीं चल रहे हैं और न चलना चाहते हैं। हम इतना जरूर समझते हैं कि उन्होंने यह चीज नई निकाली है। वह अपनी कमजोरी छिपाना चाहते हैं बार बार महात्मा जी का नाम लेकर। मैं समझता हूं कि इसमें उनका इंफीरियोरिटी काम्प-लेक्स (छोटेपन की भावना) है। ज्यादा उचित यह होगा कि हम इस प्रकार के वादविवादों में न पड़ें।

अभी मेरे दोस्त ने बतलाया कि चौकीदारों को सिर्फ ३ रुपया मिलता है तो मैं उनसे मालूम करना चाहूंगा कि वह एक आदर्श बजट उपस्थित करें और यह तो जरा बतलाएं कि इस प्रान्त के अन्दर चौकीदारों की संख्या कितनी है। क्या गवर्नमेंट के वे पूरे समय के कर्मचारी हैं। वे तो एक आंशिक रूप से काम करते हैं, खेती करते, हैं मजदूरी करते हैं, दूसरे धंधे करते हैं। इसलिये चौंकीदारों को निम्नतम स्तर का वेतनाभोगी आधार बना कर और मंत्रियों को ऊपर की तनख्वाहों का अनुपात बनाना गिनती और शासन के उसूलों के भी विरूद्ध है। मैं उनकी जान-कारी के लिये कहना चाहता हूं कि चौकीदार पूरे समय का नौकर नहीं है। उनको यह भी मालूम होना चाहिये कि सन् १९४६ से जब से यह सरकार यहां पर आयी बराबर इस बात की कोशिश की गयी है कि लोगों के जीवन के स्तर को ऊंचा बनाने की कोशिश की जाय। यह नहीं १९३९ और १९४० में जो प्राइस का इंडेक्स था वह आज से बहुत नीचे था। चूंकि वह बराबर बढ़ती चली गई इसलिये केवल महंगाई मंत्रियों के लिये ही इस्तेमाल की गयी है यह बात गलत है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्लर्कों का वेतन पहले क्या था। जिस क्लर्क को वेतन पहिले २५ रुपये मिलते थे अब उसको ८५ रुपये वेतन मिलते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि तिगुने से ज्यादा उनके वेतन में इजाफा हुआ है। आज भी हमारे प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको कम से कम ४२ रुपया वेतन मिलता है लेकिन इस मिनिस्ट्री के आने के पहले उनका वेतन काफी कम था। चपरासी के वेतन में भी दुगुने से ज्यादा वृद्धि हुई। है इसलिये यह कहना कि मंहगाई के कारण मंत्री लोग केवल अपनी आवश्यकताओं की ओर ध्यान रखते हैं लेकिन नीचे के कर्मचारियों की नहीं, यह बिलकुल गलत है।

एक तरफ तो मैं यह देखता हूं कि यह आदर्श उपस्थित किया जाता है कि एक और दस का अनुपात तनख्वाहों में होना चाहिये यानी यह कि कम से कम १०० रुपये तनख्वाह और अधिक से अधिक १०००, रुपये हो। दूसरी तरफ जनता को अपनी तरफ खींचने के लिये और भ्रम में डालने के लिये जो भी टैक्सेशन के प्रपोजल्स आते हैं उनका विरोध भी किया जाता है। महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि आबपाशी की दर कम कर दी जाय, और दूसरे कर घटा कर दिये जांय। एक तरफ तो वे कहते हैं कि फीस बढ़ा दी गयी और दूसरी तरफ कहते हैं कि मास्टरों का वेतन बढ़ाया जाय। एक तरफ तो वे कहते हैं कि लड़कों की फीस बिलकुल माफ कर दी जाय एक तरफ वे यह भी कहते

[श्री बनारसी दास]

हैं कि प्राइमरी एजूकेशन नहीं है । हर घर के अन्दर बिजली लग जाय । जहां सड़कें बनी नहीं हैं वहां सड़कें बन जाय । हमारे यहां बजट केवल ५१ करोड़ का है । इसलिये मैं अपने माननीय मित्र से यह कहना चाहता हूं कि जरा वे एक काल्पनिक बजट बना कर जरा एक और दस वाले आधार पर पेश करें । मैं समझता हूं कि इस वैज्ञानिक युग के अन्दर इस तरह का बजट बना लेना आसान नहीं है । हां, मैं यह भी समझता हूं कि किसी राजनीतिक बुद्धि वाले के दिमाग में इस तरह की बात आवे तो आ सकती है । एक तरफ तो यह कहा जाय कि लोगों पर टैक्स घटाते चले जाइये और यह भी कहते चले जाइये कि हम लोगों का वेतन बढ़ाते चले जाओ । जनता को भी खुश करते चले जाइये और इस प्रान्त में जनता के अन्दर खाने को नहीं है तो कम से कम जनता को खुश कीजिये । मैं समझता हूं कि इस तरह के मिरेकिल्स (आश्चर्यों) का जमाना चला गया । आज जो राजनीतिक मस्तक के लोग हैं वे ही इस तरह के प्रस्ताव पेश करने की जुर्रत कर सकते हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां इम्पीरियल बैंक हैं या पोस्ट आफिसेज हैं जो ढाई या तीन रुपये का ब्याज लेते हैं । लेकिन एक जुवारी कहता है कि एक रुपया हमको दीजिये हम कल ही दो रुपया दे सकते हैं । लेकिन जहां इम्पीरियल बैंक या पोस्ट आफिस में रुपया जमा करने वाले का रुपया सेफ है वहां रुपया आप का जरूर वापस हो जायगा, लेकिन एक पैसे का दो पैसा बनाने वाले जुवारी से ९९ फीसदी आशा तो यही है कि वह रुपया वापिस होने का नहीं है । इसलिये यह सब दलीलें बेकार हैं ।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ विरोधी दल की तरफ से एक माननीय सदस्य की बात सुन कर कि हम को ४८ फीसदी मत मिले हैं और हम अल्पमत के आधार पर शासन कर रहे हैं । उचित यह होता कि वह और दलों से फैसला करके कांग्रेस के मुकाबिले में केवल एक ही उम्मीदवार खड़ा करते तब उनको पता चलता कि कितना बहुमत हमारे साथ है या अल्पमत हमारे साथ है । मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो भी मत हमारे खिलाफ पड़े हैं मैं उनको कांग्रेस के विरोध में नहीं मानता । मैं उनसे मालूम करना चाहूंगा कि समाज वादी लोगों से कि उनके पक्ष को कितने मत मिले हैं । अगर आपने इस पार्लियामेंटरी प्रणाली को स्वीकार किया है, अगर आप कोई ऐसी परम्परा कायम नहीं कर सकते जिसमें सीधा कन्टेस्ट (संघर्ष) हो और बारबार ऐसी दलीलें देना कि हमारे साथ अल्पमत है मैं समझता हूं कि राज्य में जो जनतंत्र प्रणाली कायम है उससे आपनी अनभिज्ञता जाहिर करना है । मैं चाहूंगा कि हम लोग उस परम्परा को समझें कि जनतंत्रवाद के बुनियादी उसूल क्या हैं । इसलिये मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इस बात के अन्दर संदेह हो तो इस प्रांत के किसी कोने के अन्दर एक सीधा कन्टेस्ट (संघर्ष) हो, जो माननीय सदस्य चाहें वह मुकाबिला करें । हम लोगों को वह एक मौका दें सीधे कन्टेस्ट का तब उन्हें मालूम हो जायगा कि जनता का बहुमत हमारे साथ है या उनके साथ है । इसलिये यह कहना बिल्कुल गलत है ।

मैं समझता हूं कि इसकी चर्चा इस भवन के अन्दर बन्द हो जाना चाहिये । तो यह कहना कि हमारे यहां मंत्रियों का वेतन अधिक है और इस बिल के द्वारा कोशिश की गई है वेतन घटाने के वास्ते, लेकिन वास्तव में वह वेतन घटा नहीं है । जैसा कि बतलाया गया पहले भी साढ़े बारह परसेंट मंत्रियों ने अपनी तरफ से छोड़ रखा था । यह कोई यहां विज्ञापन का सवाल नहीं था । आप मानलें यह स्वयं उन्होंने अपनी तरफ से काट दिया था । उसको अब बिल के रूप में देना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या आपत्ति है । क्या आप चाहते हैं कि

१,५०० रु० का वेतन वह लें लेकिन वह दानस्वरूप सरकार को छोड़ दें। मैं इसे और भी उसूलन गलत समझता हूं। इनकम टैक्स का सवाल अभी एक माननीय सदस्य ने उपस्थित किया कि इनकम टैक्स तो केन्द्रीय सरकार का विषय है इस प्रान्त की सरकार का नहीं। यह केवल शब्दों का फर्क है। अब १,२०० रुपये तनख्वाह होगी और ७०,८० रुपये इनकम टैक्स होगा जो केन्द्रीय ट्रेजरी को दे दिया जायगा। इसमें कोई भ्रम नहीं है और न यहां जनता में कोई भ्रम होने की आशंका है। अगर कोई भ्रम हो सकता है तो माननीय सदस्य के हृदय में हो सकता है। तो यह कोई उसूल की चीज नहीं। सीधा सा हिसाब रखा गया। इसमें उनको क्या आपत्ति हो सकती है।

मैं उनसे यह कहूंगा कि जब हम बार बार आदर्श की बात पेश करते हैं तो उचित यह होगा कि हम एक मिसाल लोगों के सामने रखें। आदमी के जीवन का एक तरीका है कि वह दूसरों के आदर्श का अनुकरण करता है। इसलिये बेहतर यह होगा कि जो लोग विरोध में आकर आदर्श की बात करते हैं वह आदर्श पेश करें। मैं पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी में जो ताल्लुकेदार हैं, जो मालदार लोग हैं जिनकी आय एक हजार से अधिक है, जो गांधी जी का हवाला दिया करते हैं कि गांधी जी यह कहते थे वह कहते थे, और हमको अहिंसात्मक रास्ते पर चलना चाहिये और अपनी सम्पत्ति छोड़ देना चाहिये, मैं उनसे पूछता हूं कि उनकी पार्टी में कितने ताल्लुकेदारों ने कितने धनी वर्ग के लोगों ने इस आदर्श के ऊपर अमल किया है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि हमारे ही प्रान्त के समाजवादी दल के बड़े नेता जो विश्वविद्यालय में वाइस-चांसलर थे वह कितना वेतन लेते थे, आज भी उनका वेतन क्या है ?

आज रूस के अन्दर भी वर्गवाद प्रणाली है। वहां भी वेतन का अनुपात १ और ३० के अन्दर है। मैं यह कहूंगा कि १,२०० रुपये तनख्वाह रखना यह एक क्रान्तिकारी प्रस्ताव है। मैं तो कहूंगा कि कम से कम ३० और अधिक से अधिक ५०० रुपये तनख्वाह होना चाहिये, यह भी अनुपात १ और १७ का होता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस तरफ प्रगति हुई। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हम यह चाहते हैं कि चपरासियों का वेतन बढ़े, हम चाहते हैं कि मास्टरों का वेतन बढ़े, हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कर्मचारी न हो जिसका वेतन कम हो, लेकिन सोचना यह है कि इस तरह से जो बजट होगा उसका आधार क्या होगा, उसके लिये आमदनी किस तरीके से बढ़ाई जायगी।

मैं उन लोगों से पूछूंगा जो लोग कि उस तरफ गोरखपुर के रहने वाले हैं कि जब वहां अकाल की हालत हो रही है तो आपने उस तरीके से क्या एक वक्त खाना शुरू किया है और जिन लोगों के पास मकान नहीं है उनको क्या उन्होंने अपने मकान दे दिये हैं। एक निश्चित आदर्श हमारे सामने होना चाहिये। यह कोई तरीका नहीं है कि अगर ४ आदमी भूखों मर रहे हैं तो पांचवां आदमी भी भूखा मर जाय। अच्छा तरीका तो यही होगा कि उन चारों आदमियों को भी भूखों मरने से रोका जाय, उनको भूख से मरने से बचाने की कोशिश की जाय। उनको अपने सामने एक सिद्धांत रखना चाहिये और उस सिद्धांत के अनुसार इस बिल को भवन के सामने पेश करना चाहिये और बताना चाहिये कि अधिक रुपया वे कहां से लायेंगे। इन मंत्रियों को जनता का विश्वास प्राप्त है और ६ करोड़ जनता को सुख पहुंचाने के लिये शासन का भार उनको सौंपा गया है जिससे कि वे इस प्रान्त की उन्नति कर सकें, विकास कर सकें। इसके लिये हमारा भी उनके लिये यह फर्ज हो जाता है कि हम उनके आराम और सुविधा का ख्याल रखें। लेकिन उसके बाद भत्ते और मकान का जिक्र करना ठीक नहीं ज्ञात होता।

श्री राजनारायण जी के विचारानुसार माननीय मुख्य मंत्री के पास जो कोठी है वह तोड़ दी जानी चाहिये और उनके लिये एक नया बंगला बनवाया जाना चाहिये और इस प्रकार से इस प्रान्त के रुपये का दुर्व्यवहार होना चाहिये। इसी तरीके से माननीय राज्यपाल का भवन

[श्री बनारसी दास]

उसको भी उनके विचार से एक्जीबीशन हाउस (प्रदर्शनी शाला) बनाना चाहिये। जहां तक कारों का संबंध है मंत्रियों को दौरा करना पड़ता है। अगर उनको बैलगाड़ी दे दी जाय और अगर गोरखपुर में गोली चले तथा माननीय मंत्री अगर देर में पहुंचे तो एक एडजर्नमेंट मोशन (काम रोको प्रस्ताव) लाया जाय कि वे एक महीने में क्यों पहुंचे। लेकिन अगर ये जल्दी से हवाई जहाज में सफर करते हैं तो इस पर भी एतराज किया जाता है और अगर रिक्शे से काम लेने को कहा जाय तो कहते हैं कि इनसफीशिएंसी है। मैं तो कहूंगा कि यह सिर्फ वितंडावाद है। अगर हमारे सामने कोई आदर्श है तो अपने जीवन को हमें वैसा बनाना चाहिये। मैं पूछता हूं कि उनकी पार्टी के ऐसे कितने वकील हैं जो १ हजार रुपये से ज्यादा नहीं लेते। क्या समाजवादी डाक्टर ऐसे हैं जो १६ रुपये से कम फीस लेते हैं। मेरे जिले के अन्दर एक समाजवादी भाई हैं उनकी पत्नी चुनाव में खड़ी हुई थीं, मैं पूछूंगा कि उनकी आमदनी कितने रुपये है।

मुझे दुख है कि मैंने कुछ व्यक्तिगत उदाहरण अपनी बात के संबंध में दिये। उनके द्वारा मेरा इतना ही मतलब है कि वे जो कहना चाहते हैं वह सब कहने भर के लिये है। जहां तक उनके ऊपर अमल करने का सवाल है वह दूसरा ही है। इसलिये हमें यह याद रखना चाहिये कि जिन सिद्धांतों की हम दुहाई देते हैं उन पर किस हद तक अमल कर सकते हैं। इस लिये बार बार वेतन की दुहाई देने से पहिले उन्हें सोचना चाहिये कि चौकीदार को अगर १०० रुपया वेतन मिलेगा तो वह कहां से कैसे मिलेगा। या वे फिर इस बात को कहना छोड़ दें कि टैक्स बढ़ गये है, आबपाशी की दर बढ़ गई है। अगर आबपाशी की दर नहीं बढ़ेगी तो दूसरे लोगों का वेतन कैसे बढ़ेगा। तो यह करिश्मा तो हम जानते नहीं हैं। एक तरफ तो आप आबपाशी को कम करेंगे, और दूसरी तरफ आप यहां स्वर्ग लायेंगे जिससे सब लोग खुश होंगे, किसी को कुछ तकलीफ नहीं होगी। अगर ऐसा हो सकेगा तो बड़ा अच्छा होगा। परन्तु इस स्वर्ग को पहले आप एक छोटे पैमाने पर किसी जिले के अन्दर ही कीजिये जिससे कि वहां के लोग लाभ उठा सकें। उसके बाद आप इस प्रान्त में एक बड़े पैमाने पर प्रयोग कीजियेगा। फिर आपको व्याख्यान देने की भी जरूरत नहीं होगी। लोग अपने आप इसको देखेंगे और इस सफल परीक्षण को अपने अमल के अन्दर लावेंगे। इससे प्रान्त का भी कल्याण होगा।

इसलिये यह जो बिल है यह तो एक सीधे साधे उसूल के ऊपर है। मंत्रियों ने जनता का विश्वास प्राप्त किया है। ६ करोड़ जनता की धन सम्पत्ति का भार उन्हीं के ऊपर है कि वे एफिशिएंसी के साथ जनता के कल्याण का कार्य कर सकें और यह तो उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिये था। मैं तो यह समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस करके रुकावट डालना कुछ ज्यादा उचित मालूम नहीं पड़ता।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि श्रीमान् के बहुमूल्य समय तथा इस भवन के मूल्यवान समय पर इस एक निर्दोष बिल पर इतने समय का आघात किया जा रहा है। बहुत कुछ सुनने के बाद भी मेरी समझ में नहीं आया है कि आखिर हमारे विरोधी मित्रगण क्या कहना चाहते हैं ? एक बात तो मैंने समझी और समझाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम शायद आज से करीब ६०, ७० वर्ष पीछे पहुंच गये। एक सम्मानित सदस्य ने श्रीमान् के सम्मुख यह कहा कि उपमंत्रियों के बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, काम तो कुछ बढ़ा नहीं है, जरूरत क्या है माननीय मंत्रियों तथा उपमंत्रियों की संख्या बढ़ाने की ? श्रीमान्जी ऐसे अवसर पर मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट का वह जमाना याद आ जाता है जब कि सन् १८६७-७०

के पश्चात् जिस वक्त कि वहां १६ मंत्री थे, ४ मंत्री और बढ़ाये गये। सन् १९०० तक यही बात चलती रही। आखिर सन् १९१५ ई० में जहां तक कि मैंने इतिहास पढ़ा है, शायद १९१४ ई० में ही यह चीज प्रतिपादित हो गई कि मंत्रियों तथा उपमंत्रियों को बढ़ाना मुख्य मंत्री पर निर्भर करता है चाहे वह किसी भी दल का हो। और ऐसी बात फिर कभी इसकी वृद्धि के विरोध में उठायी नहीं गई, किसी भी सभा भवन में, किसी भी पार्लियामेंट में, किसी भी देश में। और आज हमारे प्रगतिशील राष्ट्र, प्रगतिशील देश के एक जिम्मेदार दल के लोग जब ऐसी बात कहते हैं तो बड़ा दुख होता है। और दुख इस बात से भी होता है कि लोग ठीक से पढ़ते नहीं और उनके पढ़ने की प्रणाली भी ग़लत है। और अपनी ग़लती जानते हुये भी अगर यहां पर बैठे हुये, श्रीमान् के सामने बैठे हुये लोग आपके सामने ऐसी बातें कहते हैं तो उन्हें सुन कर दुख ही नहीं होता है बल्कि उनकी विद्या और बुद्धि पर थोड़ी दया भी आती है। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि इस सभा के एक माननीय सदस्य ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ८ हज़ार रुपया फी आदमी की औसतन आमदनी है। यह बात बिलकुल गलत है मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं . .

श्री राजनारायण--प्वाइंट आफ आर्डर, सर (श्रीमान्, मैं एक विधान का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं।) हमारे मित्र श्री परिपूर्णा नन्द जी कुछ भ्रम में हैं।

माननीय अध्यक्ष--यह तो आप एक्स्पलेनेशन दे रहे हैं। आप बैठ जायें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--मैं उनका आशय समझ गया था, शायद वे ही अपना आशय नहीं समझे। ८ हज़ार आमदनी पर कैंपिटा जो अमेरिका की कही गई वह ग़लत है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं और अंकों के विषय में मुझे अपने अंकों पर दावा भी है कि अमेरिका में केवल १५ लाख परिवार ऐसे हैं कि जिनकी आमदनी ८ हजार रुपये से अधिक है और अधिकांश लोगों की आमदनी औसत ६,७१० रुपया है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी दावे से कह सकता हूं कि इंगलैण्ड की औसतन आमदनी ३ हज़ार रुपया नहीं है। वह अधिक से अधिक २,५०० और २,७०० के बीच में कूती जाती है। और इसके साथ ही मेरा यह भी दावा है कि पुराने अर्थ शास्त्र के आधार पर कोई पोथी लिखी गई होगी जिसमें भारत की औसत आमदनी १५० रु० लिखी गई होगी। आज ऐसा हरगिज़ नहीं है। श्री के०टी० शाह जिसको हमारे समाजवादी भाई हमारे देश का राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, उन्होंने कहा है कि भारत की औसत आय २२० रु० के लगभग है। इसलिये आज थोड़ा भी अर्थशास्त्र जानने वाला यह नहीं कह सकता कि हमारे भारत की राष्ट्रीय आमदनी ८,७०० करोड़ रुपये से कम है। इसलिये मैं यह दावे से कह सकता हूं कि आज हमारे भारत में औसत आमदनी २४८ रुपये से कम नहीं होगी।

यहां पर माननीय सदन में ग़लत आंकड़े देने से कोई कल्याण नहीं हो सकता। आज भी जो कुछ माननीय मंत्रियों का वेतन है उसको अगर जनता की आमदनी से मिलान किया जाय तो वह अधिक नहीं है। जितना मंत्रियों का वेतन होगा और जितना उपमंत्रियों का वेतन होगा इन सबको अगर औसत आमदनी के साथ मिलान कर देखा जाय तो वह ३५ हज़ार रुपये मासिक के लगभग होती है, फी व्यक्ति के ऊपर वह जाकर करीब .००५ रुपये या .०८ पाई पड़ती है। इसी से आप अनुमान करें कि वास्तव में कितना नुकसान आपकी स्टेट का होता है। मैं इससे अधिक क्या कहूं। मुझे यह निवेदन करना है कि जब स्वयं इंगलैण्ड की बात कही जाती है तो इंगलैंड की मर्यादा का भी ध्यान वे रखें। वहां की मर्यादा जो मंत्रिमंडल के संबंध में है वह आज की नहीं है। यह करीब ३०० वर्ष पुरानी है। सन् १६८८ के लगभग इंगलैंड में उस मर्यादा का मंत्रिमंडल के रूप में जन्म हुआ था। तब से लेकर आज तक वहां मंत्रियों पर अविश्वास के संबंध में कटौती के प्रस्ताव के अतिरिक्त

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

ऐसी मर्यादाहीन बहस नहीं हुई है। इस प्रकार से मंत्रियों के वेतन के संबंध में बहस मैंने कहीं किसी पार्लियामेंट की डिबेट में नहीं पढ़ी है।

प्रध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बहस जब कभी किसी देश में होती है तो उसमें ऐसी अमर्यादा नहीं होती। दूसरे देशों की प्रथा को जब मैं देखता हूं तो उससे यही ज्ञात होता है कि लोकतन्त्र वाले राज्यों में इधर वर्षों से शासन का जब भी खर्च बढ़ा है तब वह वृद्धि समाजवादी काल में हुई है और वहां का वेतन समाजवादी शासन काल में ही बढ़ा है। इंगलैंड में समाजवादी शासन काल में ही ऐसा हुआ है चाहे जनता ने उसका कितना ही विरोध किया हो।

मैं आपके द्वारा अपने माननीय मित्र से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रांत की आबादी तथा असेम्बली की संख्या में फ्रांस और उसकी पार्लियामेंट में कुछ विशेष अन्तर नहीं है। फ्रांस में ५,५०० फ्रैन्क वेतन के रूप में मासिक मिलता है, यानी लगभग ९६० रुपया या १,००० रुपया। साथ ही फ्रांस में भी वेतन बढ़ाने की बात कम्युनिस्ट पार्टी ने की है। फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी लगभग ९ करोड़ फ्रैन्क हर साल अपनी आय सदस्यता के भत्ते से करती है। फ्रांस का समाजवादी दल भी इस तरह की बात सोच रहा है कि किस तरह से वेतन बढ़ाया जाय जिससे कि वह दल की आर्थिक मदद कर सके। विरोधी दल इस वेतन के संबंध में ऐसा विरोध कर रहा है जो केवल असंगत और तर्कहीन है। साथ ही मुख्य मंत्री जी की बात भी मेरी समझ में नहीं आई कि किस आधार पर उन्होंने माननीय मंत्रियों का वेतन कम कर दिया है। मैं इसका कारण क्या समझूं? एक साधारण अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होते हुये मैं जानता हूं की चीजों के मूल्य तो जरूर बहुत बढ़ गये हैं। कच्चे माल का दाम सन् १९३९ के मुकाबिले में ६९७ के क़रीब है और तैयारी माल का दाम ७९० और ८०० के बीच में है। जब पहले १,३५० रुपये हम इन लोगों को इनकम टैक्स काट कर देते थे तो अब इनकम टैक्स निकाल कर १,२०० रुपये देते हैं और इसे घटाने से कौन सा इस प्रांत का कल्याण हो जायगा? यह मैं नहीं समझ सकता। इतना मैं जरूर समझता हूं कि जो कुछ उधर से कहा गया यह जनमत को खुश करने की बात हो सकती है। जो समाजवादी भाई कहते हैं कि सरकारी नौकर और जनता क्या कहेगी उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो वे लोग कहलावेंगे वही जनता कहेगी। जहां तक इस सदन की और हम सब की मर्यादा का संबंध है, इसके लिये मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के बहस मुबाहिसे में हमारे समय का इस तरह बेकार हनन न किया जाय।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर वाद विवाद में कोई भाग लेने की इच्छा न रखते हुये भी जिस ओर यह वादविवाद चल पड़ा है उसे देखते हुये मैं उठ खड़ा हुआ हूं। अभी तक, श्रीमान् हम तुच्छ बुद्धिवालों की यह शिकायत रहा करती थी कि सरकार अपने सिद्धांतों में, अपनी योजनाओं में, तो और अपने व्यवस्थाओं में कभी कभी हवा में उड़ती दिखाई दिया करती है। अब मालूम नहीं कि हमारे देश की, उत्तर प्रदेश की, क्या हालत होने वाली है जबकि विरोधी दल भी हवा में बातें करने लग जाय। मालूम होता है कि अब सरकार और विरोधी दल में यह संघर्ष होगा कि कौन सबसे अधिक हवा में उड़े और बहता हुआ मिले। हम तुच्छ बुद्धि वाले जमीन पर खड़े आसमान की तरफ ताकते रहें कि देखें कौन सर पर गिरने वाला है, सरकार या विरोधी दल।

श्रीमन्, गांधी जी का नाम लिया गया। बताया गया कि उनकी राय मिनिस्टरों और उनके वेतन के बाबत क्या थी। मैं नहीं जानता कि यह क्यों मान लिया जाता है कि यदि पूज्य बापू आज हमारे बीच में होते तो वह अपनी राय न बदल देते क्योंकि अब ५ गुनी और ६ गुनी कीमतें बढ़ गई हैं। तब उन्होंने ५०० कहा था तो अब इससे कहीं ज्यादा होना चाहिये। श्रीमन्, कहा गया कि स्वच्छ और साफ सुथरा एक कच्चा मकान

जिस पर छप्पर पड़ा हो, और एक आफिस हो, हम लोगों के बैठने के लिये हाल क्यों हो? आम या इमली के पेड़ के नीचे भी बैठ सकते हैं। और जब मिनिस्टर साहेब बुलावें तो जाकर मिल सकते हैं।

मुझे ताज्जुब है यह क्यों न कहा गया कि सवारी के लिये बैलगाड़ी हो, फिर उसके खर्चा के लिये, बैलों के दाना व भूसा के लिये वे अपने घर से दाना व भूसा लावें और साढ़े नौ बजे या साढ़े आठ बजे सुबह अपने उस विशाल भवन से टिकटिकाते हुये बैलगाड़ी पर मिनिस्टर महोदय चले आ रहे हों और ११ बजे यहां पहुंचें और जैसा मेरे एक माननीय दोस्त ने कहा कि अगर गोरखपुर जाना हो या मेरठ जाना हो तो डेढ़ महीना पहले से सामान लाकर अपने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज और पी० एज० वगैरह सबको उसी बैलगाड़ी में बिठाकर टिकटिकाते हुये गोरखपुर या मेरठ दो महीने में पहुंचें। ठीक है, यह कहना इस ओर से भी और उस ओर से भी कि यह उसूल होना चाहिये, हमें यह करना चाहिये, हमें वह करना चाहिए परन्तु हमें कुछ प्रैक्टिबिलिटीज (व्यवहारिकता) पर भी तो ध्यान देना चाहिये, हम को कुछ रियलिटीज (वास्तविकता) पर भी ध्यान देना चाहिये। हमारे मुख्य मंत्री जिनके हाथ में सूबे की हुकूमत की बागडोर है, अपने छप्पर वाले मकान में बैठे हुये हैं। बाहर से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी स्टेट्स के ऐम्बेसेडर्स आते हैं, यू० एन० ओ० की बहुत सी कमेटीज के लोग आते हैं, वे माननीय मुख्य मंत्री के यहां जा रहे हैं, उन्हें राब का शर्बत घोल करके कुल्हड़ों में पिलाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि हालांकि हमारे यहां देहातों में यही होता है परन्तु क्या इसकी आवश्यकता है कि उसकी नकल यहां भी की जाय और यह कहा जाय कि हमारा देश ग़रीब है, इसलिये मिनिस्टर भी ऐसा ही करें।

श्रीमान्, यहां पर उपमंत्रियों की बात भी कही गयी। मुझे खेद है कि माननीय गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर जिस समय वादविवाद चल रहा था मुझे समय नहीं मिला। मैं उस समय आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से यह निवेदन करना चाहता था कि ईश्वर के लिये या तो मंत्रिगण बढ़ाइए या उपमंत्री रखिये। मैं कहता हूं कि हर एक माननीय सदस्य को तजुर्बा होगा कि हम लोग अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जो कुछ देखते हैं और उसकी रिपोर्ट करते हैं या माननीय मुख्य मंत्री के पास आते हैं, तो वे डिपार्टमेंटल इन्क्वाइरी करवा देते हैं। मान लीजिये पुलिस के खिलाफ हमें कुछ कहना है तो माननीय मंत्री यहां से बैठे बैठे जिला पुलिस के पास इन्क्वायरी भेजवा देते हैं और जो एक मर्तबा हमारे कहने से इन्क्वायरी कर चुके हैं वही फिर इन्क्वायरी करते हैं। क्या हम लोगों को नहीं मालूम है कि हमारे चुनाव क्षेत्र में जो बातें होती हैं, उनपर माननीय मंत्री ठीक विचार नहीं कर पाते हैं इस लिये कि उनका जनता से सम्पर्क जाता रहा है। इतना काम का बोझा उनके कंधों पर है कि सुबह से लेकर शाम तक वे मेजों पर बैठे रहते हैं। उनके पास इतना समय ही नहीं है कि हमारे कहने से भी वे सीतापुर या बिसवां जा सकें और वहां की जनता से सम्पर्क रख सकें। मैं यह जानता हूं और यह इसी लिये मैं मंत्रिगण को दोष नहीं देता। जो विरोधी दल यहां पर खड़ा हो करके बात कहता है, वह बात उनकी समझ में नहीं आती है और इसी लिये नहीं आती है कि वे जनता से सम्पर्क तोड़ चुके हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिये कि पुलिस के बारे में या पंचायत राज के बारे में या अन्य डिपार्टमेंट के बारे में मैंने कुछ बातें कहीं तो जब वे जनता के सम्पर्क में नहीं हैं तो उनकी समझ में नहीं आता है कि सुरेश प्रकाश कैसी बातें कह रहा है। वे सोचते हैं कि हम तो इतनी अच्छी योजनायें बनाते हैं परन्तु सुरेश प्रकाश कहता है कि आप की जितनी योजनायें हैं सब व्यर्थ हैं। श्रीमन्, माननीय मंत्रिगण दौरा में जाते हैं और मोटर पर जाते हुये भी, कभी कभी हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हुये भी उनके पास केवल इतना समय रहता है कि वे एक चाय पार्टी में शामिल होकर शायद एक पब्लिक मीटिंग सीतापुर में या किसी शहर में कर लेंगे और उसके बाद वे फौरन लखनऊ वापस आ जायेंगे।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

श्रीमान्, मैं आपके द्वारा इधर से या उधर से पूछना चाहूंगा कि आजकल के राजनीतिक वातावरण में कहां तक हमारा देश ऊंचा उठ सकता है, जब हमारे माननीय मंत्रिगण यहां मेजों पर फाइलों से लदे हुये बैठे रहें। इस लिये जब यह प्रस्ताव आयेगा कि हमको और उपमंत्री रखने हैं तो मैं उस प्रस्ताव का बड़ी प्रसन्नता के साथ वेलकम (स्वागत) करूंगा क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं कि हमारा प्रदेश कितना लम्बा चौड़ा है। इसमें कितने की आबादी है। और फिर जब कोई एक रास्ता दिखाया जाय या किसी ठीक रास्ते पर चला जाय तो मंत्रीगण के ऊपर इतना बोझ न हो। मंत्रीगण देहातों से और जनता से ज्यादा सम्पर्क रख सकें तो कहा जाता है कि आप तो बहुत आदमी बढ़ा रहे हैं। इस भवन में इस भवन के बाहर और एलेक्शन के दौरान में यह कहा जाता था कि जनता जनार्दन के लिये क्या किया जा रहा है कि जनता जनार्दन की तकलीफों का कुछ निवारण हो। जब मंत्रीगण के बारह सौ पाने की बात उठी तो हम यह कहने लगे कि इतना बहुत है।

श्रीमान्, प्रजातंत्र के नीचे काम करने का अब हमने तय किया है और मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र के अन्दर अगर कोई खेतिहर है, अगर कोई जूता गढ़ने वाला आदमी है और वह इतना क़ाबिल है कि वह मंत्री बन सके, तो क्या आप उसको रोक सकते हैं और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर एक ऐसा आदमी है जिसकी अपनी निजी आय कुछ न हो मगर वह काबिल है कि यहां आकर आपकी और देश की सेवा कर सके, तो अगर उसको इतना भी न दिया जाय कि वह यहां आराम से रहे और उसके बच्चे पढ़ सकें तो कैसे काम चल सकता है। श्रीमान्, मेरा यह विचार है कि बारह सौ रुपये ज्यादा नहीं हैं। इस ओर से माननीय सदस्य टेहरी-गढ़वाल ने यह कहा कि यह तो ठीक है लेकिन हम यह चाहते हैं कि यह जो हाउस एलाउंस है, कार एलाउंस है और इस तरह की चीजें हैं यह सब निकाल दी जाये और इन्कमटैक्स कुछ न देना पड़े, यह भी न रखा जाय। उनका यह सुझाव है कि माननीय मंत्रीगण मकानों का किराया दें, मोटर रखने का खर्च दें और इन्कम टैक्स दें, तो चाहे चार हजार या पांच हजार तक तनख्वाह ले लें, वह ज्यादा अच्छा होगा। तब यह नहीं कहा जायगा कि ये मंत्रीगण प्रीविलेज्ड क्लास हैं। एक माननीय सदस्य, उन्होंने शायद समझा नहीं और यह कहने लगे कि माननीय सदस्य टेहरी-गढ़वाल गवर्नमेंट से कितना लेते हैं। सवाल इसका नहीं है। जहां तक मेरा खयाल है हम तो इस देश को ऐसा देखना चाहते हैं कि जितना जो काबिल हो और उसकी आमदनी दस हजार भी हो, तो हमें यह कहना चाहिये कि ईश्वर की उसपर कृपा है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या हाल में भी ऐसा है कि अगर एक चपरासी चालिस रुपये पाता है तो वहां का जो सबसे बड़ा मंत्री है वह उसका दस ही गुना ले? ये बातें सुनने में भले ही अच्छी लगती हों लेकिन सच्चाई से ये बहुत दूर हैं।

श्रीमान्, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि हम लोगों को अपने सिद्धांत और विचार इस तरह से इस भवन में रखने चाहिये कि जिससे कहीं यह पता न चले कि चूंकि हम उस ओर नहीं बैठे हैं, इसलिये ऐसा कह रहे हैं। श्रीमान् जी, मैं यह जानता हूं कि हम में से इधर की ओर बारह कोई ऐसा माननीय सदस्य न होगा जो केवल विरोध के लिये विरोध करना चाहता हो, परन्तु हम कभी-कभी इस तरह अपनी बातें गैरजिम्मेदारी के साथ कह जाते हैं जो सच्चाई से दूर होती हैं।

किसी माननीय सदस्य ने कहा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर या बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर इतना पाते हैं। किसी ने सोशलिस्ट डाक्टरों या लाइयर्स का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि वह भी गलत है। इस तरह जवाब देने के मानी यह है कि वह माननीय सदस्य किसी वाइस-चांसलर को, जो दो ढाई हजार पाता है या कोई काबिल वकील चाहे वह किसी पोलिटिकल पार्टी का हो दो हजार या पांच हजार कमाता है, तो वह उसको नीचे घसीटना चाहते हैं। यह नहीं चाहते कि नीचे को ऊपर उठाया जाय। उनकी राय

यह है और इधर की राय यह है कि ऊपर वाले को नीचे लाया जाय, ऐसी कोशिश करने की आवश्यकता नहीं कि नीचे वाले को ऊपर उठाया जाय। मैं समझता हूं ठीक तो यह है कि थोड़े ऊपर वाले को घटाइये और नीचे वाले को ऊपर लाइये। लेकिन होता क्या है कि लोग यही चाहते हैं कि जिसको हजार, आठ सौ, पांच सौ मिलता है उसकी इनकम ५० रुपया कर दी जाय। इसकी आवश्यकता नहीं समझी जाती कि जो ५० रुपया कमाता है उसकी दो सौ या तीन सौ रुपये आमदनी हो जाय। मुझे खेद है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उप-मंत्री न बढ़ाये जायं और न इससे सहमत हूं कि माननीय मंत्रीगण की तनख्वाह कम की जाय, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि, जैसा कि कहा गया है, इनकमटैक्स, मोटर का खर्चा, मकान का किराया वह स्वयं दें और सीधे-सीधे पांच हजार रुपया तक भी लें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री जयपाल सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर वादविवाद बन्द करने के प्रस्ताव को उपस्थित करने की आज्ञा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष—कीजिये।

श्री जयपाल सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रश्न पर अब बहस बन्द की जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अध्यक्ष महोदय, मैं यह आशा करता था कि इस विधेयक के संबंध में कोई ज्यादा वाद विवाद इस भवन में नहीं होगा। बाजे विषय ऐसे होते हैं जिनमें यदि वाद विवाद कम हो तो अच्छा है। परन्तु भवन के सदस्यों को अधिकार है और उनको अपने विचारों को भवन के समक्ष रखना उचित मालूम पड़े तो उसका अवश्य उनको अवसर मिलना ही चाहिये।

मैं, जो कुछ सिद्धान्त यहां रखे गये, उनमें से बहुतों से तो स्वयं भी सहमत हूं। हमारा देश ग़रीब देश है। हमारे यहां के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की यह कोई अभिलाषा या आकांक्षा नहीं होनी चाहिये कि वे अपने फायदे के लिये जनता के द्रव्य का दुरुपयोग करें और यह भी आवश्यक है कि वह अपने व्यवहार को इस तरह का रखें जिससे अन्य जो कार्य-कर्त्ता हैं उनपर प्रभाव अच्छा पड़े। इन बातों में मेरा कोई मतभेद नहीं है। हमारा देश गरीब है, और दुखित हैं और व्यथित हैं। यह भी हम सब जानते हैं, परन्तु जो आंकड़े स्वयं समाजवादी दल के नेता जी ने पर कैपिटा कैपिटल के बारे में दिये वे ठीक नहीं हैं। पहले तो पर कैपिटा कैपिटल के मानी क्या हैं वह भी ठीक नहीं समझे। शायद आपका मतलब पर कैपिटा से कैपिटल पर ऐनुवल इनकम (वार्षिक आय) से था। अगर उससे मतलब था तो पर कैपिटा इनकम भी, जो उन्होंने बतलाई, उससे आज हमारी आमदनी कम से कम दूनी ही औसतन है, क्योंकि द्रव्य के रूप में जब हम उसकी नाप करते हैं तो जब द्रव्य के भाव के गिरने से हमारी आमदनी बढ़ गई तो उनके जो आंकड़े थे वह सही नहीं थे। परन्तु मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं जिससे मुझे आशा है कि जो कुछ भ्रान्ति होगी वह दूर हो जायगी। एक बात मैंने पहले भी कही थी और मैं चाहता हूं कि भवन के सदस्य उसे भूलें नहीं कि सन् १९४६ ई० में हमारा जो कानून बना था उसके मुताबिक हमारी तनख्वाह पन्द्रह सौ रुपये मुकर्रर हुई थी और जो बातें इस बिल में हैं वह वही हैं जो उस वक्त तय हुई थीं। उसमें कोई अन्तर नहीं है। पन्द्रह सौ के मुकाबिले में आज हमने तेरह सौ रुपये से कम अपनी तनख्वाह रखी है। तो इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता कि सन् १९४६ ई० में हमने जो तनख्वाह रखी थी उससे कम तनख्वाह हम आज इस बिल के जरिये से एक तरह से रख रहे हैं। कम से कम इस के जरिये से दो सौ रुपये हमारी तनख्वाह कम हो रही है।

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

संभव है कि वह सौ से ज्यादा कम हो। सन् १९४६ ई० में इस भवन के सदस्यों को मालूम होगा गांधी जी जीवित थे। गांधी जी के सामने ही वह बिल पास हुआ था। गांधी जी से मेरा भी कुछ थोड़ा सा संबंध था और वर्किंग कमेटी की जानकारी में भी वह विल था। गांधी जी भी इससे अपरिचित नहीं थे। उनकी तरफ से इसके बारे में कभी कोई आपत्ति नहीं हुई उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि यह तो अनुचित है इसे बदलना चाहिये। इसलिये जो गांधी जी की ही बातों में रुचि रखते हों उन को यदि आज यह आपत्ति हो कि जब गांधी जी ने उस वक्त तनख्वाह ज्यादा नहीं बतलायी तो कम क्यों किया, इसको बढ़ाना चाहिये, तो कि जिस बात में गांधी जी को आपत्ति नहीं थी वह तो कायम रहे। यह तो गांधी जी की बात मानने वालों से आशा हो सकती है। इसलिये गांधी जी के नियमों की दुहाई देकर इसके विरोध में कुछ बात कहने की गुंजाइश नहीं रहती।

दूसरी बात भी मैं विशेष कर साम्यवादी सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं। सन् १९४६ ई० में जब हमारा कानून पास हुआ था और पंद्रह सौ रुपये तनख्वाह मंजूर हुई थी, तो उस समय साम्यवादी दल के नेता और प्रांत के साम्यवादी दल के जो आज सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं वह भी इस सदन में थे, हमारी पार्टी में थे और उनकी अनुमति और सहमति से यह पंद्रह सौ रुपये का वेतन नियत हुआ था। लिहाजा आज उनको यह सोचना चाहिये कि जो हम कर रहे हैं वह सर्वथा उनके सिद्धांतों के प्रतिकूल है यह उचित नहीं है।

तीसरी बात कही गयी कि चपरासियों की तनख्वाह कम है, चौकीदारों की तो और न रुपये हैं। मैं समझता हूं कि पूरी जानकारी हमारे साम्यवादी दल के नेता....

श्री रामनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न) 'साम्यवादी" ट्रांस्लेशन हो....

माननीय अध्यक्ष—मैंने उस दिन माननीय सदस्यों से कह दिया था कि जिस समय यहां की कोई प्रथा या कानून के विरुद्ध बात हो रही हो, तो प्वाइंट आफ आर्डर होता है। लेकिन अगर आपका मत किसी माननीय सदस्य से नहीं मिलता है और कोई एक्सप्लेनेशन देना है, तो वह किसी दूसरे माननीय सदस्य से कह सकते हैं, वह दे सकते हैं। लेकिन किसी माननीय सदस्य को टोकना उचित नहीं है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—खैर, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर साम्यवादी कहना अनुचित है, समता के सिद्धांत को अगर उधर बैठने वाले सदस्य नहीं मानते हैं तो मैं साम्यवादी नहीं कहूंगा। अगर उनको पसंद हो तो असाम्यवादी कहूं या कुछ मुझे वह बतला दें, वह मैं कहा करूं। मैं बैठ भी जाऊं। मगर वह बतलाते नहीं। फिर बतलाना दीजियेगा।

लिहाजा मैं आपसे कहूं कि यह जो इसमें रखा है वह जो हमारे समाजवादी दल के सबसे बड़े नेता थे वह भी उस समय हमारे बीच में थे और बहुत से सदस्य भी थे जो उस समय हमारी कांग्रेस पार्टी में थे जिस समय यह बिल पास हुआ था। अभी उन्होंने यह कहा कि चौकीदार की तनख्वाह ३ रुपया है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि वह पहले ३ रुपया थी मगर हमने सन् ४६ के बाद कम से कम ३ रुपये के ५ रुपये तो किये और इस तरह से उसमें ६० फीसदी से ज्यादा इजाफा हुआ है और अगर उसी हिसाब से देखा जाय तो १,५०० के २६ या २७ सौ हो जाते हैं लेकिन उतना न बढ़ाकर हमने अपने लिये घटाकर केवल १,२५० या १२७५ ही किये हैं। दूसरी बात यहां चपरासियों की तनख्वाह के बारे में कही गई कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है। हमारे जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके बारे में हम चाहते हैं कि हम उनकी तनख्वाह को बढ़ा सकें और हम यह भी चाहते हैं कि हमें इतना रुपया मिल सके जिससे यह तनख्वाहें बढ़ाई जा सकें और मैं यह आशा करता हूं कि समाजवादी दल के सदस्य इसमें हमारी सहायता करेंगे जिससे

वह रुपया एकत्र हो सके और जिससे औरों को तनख्वाह बढ़ सके । मगर जो उनका कटौती का प्रस्ताव था उसमें तो सभी आमदनी खत्म करने की बात थी और मेरी समझ में नहीं आता कि अगर उसको मान लिया जाता तो कैसे तनख्वाह बढ़ सकती है। मैं यह कह रहा था कि सन् ४६ में चपरासियों की जो तनख्वाह थी अब दुगुनी हो गई है और क्लर्कों की भी दुगुनी हो गई है। पहले जो हमारा सेलरी बिल होता था वह ६ करोड़ रुपये का होता था और आज वही सेलरी बिल उन्हीं अधिकारियों का १२ करोड़ से ज्यादा का हो गया है। इस तरह से हमने उनकी तनख्वाह को दुगुना कर दिया है । अगर आप देखें कि डीयरनेस एलाउन्स [मंहगाई का भत्ता] कितना बढ़ा है और वेतन कितने बढ़े हैं तो आप को मालूम होगा कि सही परिस्थिति क्या है। हमने अपने वेतन को तो बजाय बढ़ाने के कम किया है । यह मैं जानता हूं कि इस कम करने का कोई मूल्य नहीं है और मैं नहीं कहता कि हमने कोई त्याग किया है। अगर हम कुल १,२०० भी छोड़ दें तो कोई बात नहीं है अगर देशसेवा के लिये कुछ कर सकें तो वह श्रेय की बात है। मगर हजार बारह सौ का खर्च तो ६ करोड़ आदमी उठा लेंगे यह अवश्य है ।

चुनाव में भी बड़ी बड़ी दलीलें दी गईं कि मंत्री कैसे ऐशोआराम से रहते हैं। जरा उनके बड़े बड़े मकान और मोटरों को देखो और जरा देखो कि वे कैसे खर्च करते हैं। मगर बावजूद इन सब बातों के हम ३९० इधर बैठे हैं और यह इस बात को दिखलाता है कि जनता के ऊपर ऐसी बातों का क्या प्रभाव हुआ । उसने इन बातों को सुना और उनकी सब दलीलों को सुन कर भी हम को यहां भेजा। इससे आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा अन्त में भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा ।

और भी बातें यहां कही गईं। हमारे सामाजवादी दल के नेता ने कहा कि वे पहले मंत्रियों से मिलने में डरते थे और मंत्रियों से मिलने के लिये लोगों को सहूलियत होनी चाहिये । मैं तो उनको निर्भीक समझता था कि वे किसी से भी नहीं डरते होंगे । मगर उनको मंत्रियों के यहां जाने में जब डर लगा उस समय वे सदन के सदस्य नहीं थे और मेरे ख्याल से अब उनका डर निकल गया होगा । यह खुशी की बात है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक़ है मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास और हमारे साथियों के पास रोजमर्रा सब क़िस्म के आदमी आते हैं। बहुत से अक़लमन्द भी होते हैं और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अपनी बात कहा करते हैं और जिनकी कोई नहीं सुनता और जिनको अक्सर लोग पागल कहते हैं। ऐसे भी आया करते हैं और सभी से मिलना जुलना होता है । कभी किसी को डर नहीं मालूम हुआ । इन मकानों के होने से इतना जरूर है कि वहां पर आराम स बैठने की कुछ गुंजाइश मिल जाती है । मगर बाज बाज वक्त तो लोगों की तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनको बैठने तक की गुंजाइश नहीं रहती है । लिहाजा यह जाहिर नहीं होता कि किसी किस्म का डर है । अगर किसी के दिल में डर है तो उसको छुड़ा दीजिये । मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से जो कार्य हुआ करते हैं उनमें इन छोटी सी बातों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है और उनके द्वारा कोई बड़ी राजनीतिक उन्नति भी नहीं हो सकती।

यहां आज भी बार बार हमारे मित्र मदन मोहन जी ने यह कहा कि कांग्रेस वाले ४० फीसदी वोट्स ले कर यहां आये हैं और विरोधी दल के लोग ६० फीसदी वोट्स लेकर यहां आये हैं। विरोधी दल में आप का और श्री सुरेश जी का क्या एक ही मसला है । आप कहते हैं कि जितना मुआवजा हम दे रहे हैं वह भी उनको न दिया जाय और वह कहते हैं कि जमींदारी खत्म ही नहीं होनी चाहिये । आप कहते हैं कि आप के पीछे इतने वोट्स थे लेकिन शायद आप के पीछे १० फीसदी वोट् थे, खैर बारह फीसदी सही। इसमें कोई बड़ा अन्तर नहीं आता है । मगर कांग्रेस को सब दलों के मिलाकर उनके मुकाबले में करीब ५० फीसदी वोट्स मिले

श्री राजनारायण—करीब ४० फीसदी के आंकड़े हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—शायद ४८ फीसदी है ।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं कहता हूं कि श्री नारायण दत्त जी सही बात के ज्यादा नजदीक हैं । लिहाजा यह कहना कि हम बहुमत में नहीं हैं सही नहीं है और आप देखेंगे कि लेबर पार्टी बहुत दिनों तक रही । उसके पीछे भी बहुमत नहीं था । आज कंजरवेटिव पार्टी का भी बहुमत नहीं है । मगर मत तो उनका होता है जिनके सदस्य बहुमत में आ जाते हैं । ४२ फीसदी में अगर आप बहुमत में आ जाते तो हम आप की वैसी ही सेवा करते जैसी कि अगर कोई ६५ फीसदी में आता । मगर बार बार कहना कि हमें और मिला जाते और पछताना ठीक नहीं है । इससे कुछ होता नहीं है । बार बार पछताने से कोई लाभ भी तो नहीं है और न कोई नया नतीजा ही पैदा हो सकता है । फिर क्यों बेकार में समय खराब की जाय । फिर भी इतना तो मालूम है कि उनके मुकाबले में कांग्रेस को चौगुनी वोट्स मिली हैं । इसलिये तो कम से कम इसको तो मान लेना चाहिये कि हमें उनकी सेवा करने का अधिकार है जब तक कि चौगुनी वोट्स हमारी हैं । वह चाहते हैं कि आइन्दा छैगुनी अठगुनी हो जायं तो यह तो उनके और हमारे काम पर निर्भर है । मैं आशा करता हूं कि ऐसी बात हो जाय कि हम और वे एक ही हो जायं । चुनाव की बातों को छोड़कर अब हमें देश सेवा की बात को ज्यादा सोचना चाहिये क्योंकि उनसे कोई खास लाभ तो नहीं पहुंचता है ।

इस बात का भी कुछ जिक्र किया गया है कि इनकमटैक्स का तो सैंट्रल ऐक्ट (केन्द्रीय अधिनियम) है इसलिये यह क्यों किया जाता है । मैं देखता नहीं हूं कि किसी को क्या कठिनाई होती है । कुछ लोगों ने कहा कि जनता को धोखा होता है ? जनता को धोखा कैसे हो सकता है । इसके लिये आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं । आप के होते हुये कैसे धोखा हो सकता है । हमें हो सकता है क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें यहां पर कही जाती हैं जो शायद जांच की जाय तो सही न निकलें । मगर आप लोगों का ऐतबार कर हम उनको मान लेते हैं । तो हमें तो धोखा हो सकता है । मगर जनता को धोखा कभी नहीं हो सकता । चुनाव ने बतला दिया है कि जनता को धोखा देने की कैसी कैसी कोशिश की गयी मगर जनता धोखे में नहीं आयी. सिवाय उस जगह के जहां कि जाति-पांति की बात पड़ गई । वह दूसरी बात है । लेकिन जहां तक ऐसी बात है उसमें वह कभी धोखे में नहीं आ सकती है ।

खैर, मुझे मुख्तसर तरीके पर यह कहना है कि वेतन के मामले में सन् १९४६ ई० के मुकाबिले में आज कितना फर्क है । आप जानते हैं कि अगर कोई भी कार्य हो सकता है तो वह किस तरीके से हो सकता है ।

हमारे सरकारी कर्मचारियों की बात बहुत कही गई कि साहब उनको मिसाल दिखलाइये । उनको हम मिसाल दिखला रहे हैं और वह यह है कि उनकी सब की तनख्वाहें हमने बढ़ाई हैं और अपनी तनख्वाहें घटा रहे हैं और अमली तरीके पर दिखला रहे हैं, बातों से ही नहीं बल्कि कामों को करके दिखला भी रहे हैं, और उसका यह नमूना आप के सामने रख रहे हैं ।

सन् १९४६ ई० के मुकाबले में जब हमारे यहां गेहूं का भाव गालिबन चार सेर या साढ़े चार सेर का था आज हम ढाई सेर का दे रहे हैं और कई करोड़ का नुकसान उठा रहे हैं । आज उस वक्त के मुकाबले में रहन-सहन कई गुना खर्चीला हो गया है । लिहाजा यह कहना कि उनको ठीक मिसाल नहीं दिखला रहे हैं या जो काम हम कर रहे हैं उसका नतीजा गलत पहुंचेगा यह सही बात नहीं है । उनकी तनख्वाहें हमने दुगुनी की हैं और अपनी तनख्वाहों को कम से कम बढ़ाया नहीं, कम ही किया है । ऐसी हालत में कोई किसी तरह का बुरा असर किसी पर हमारी तनख्वाह से नहीं पड़ सकता है ।

उपमंत्रियों के रखने की बात कही गई। आपको याद होगा कि हमारे यहां १३ के करीब पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज़ थे। अगर हम इस समय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज़ और उपमंत्रियों को मिलाकर रखें तो भी उसकी तादाद में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आयेगा। हमारे काम बहुत ज्यादा हैं, हमारे काम में नुक्स भी है, उन कामों को भी ठीक करना है और अच्छे ढंग से काम करना चाहते हैं। जहां तक हमसे हो सके हम सब के साथ सम्पर्क भी रखना चाहते हैं ताकि सबकी बातें हमें ठीक से मालूम हों और कोई किसी तरह से गलत बात अपने दिल में न रखें तो इन सब बातों के लिये यह सब होना आवश्यक है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया के किसी हिस्से को देखिये गवर्नमेंट का जितना कम खर्च हमारे प्रदेश में है और जितना हमारा बजट है और जितनी हमारे लोगों की तादाद है और जितना हमने काम किया है उतना दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलेगा, चाहे वह मुल्क कितना पुराना क्यों न हो। एक एक हिस्से को लेकर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हम एक अच्छे तरीके से जनता की सेवा करने की भावना रखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। यह बात सही है कि कार्यों में काफी कठिनाइयां हमारे मंत्रियों को होती हैं, उनके सामने बहुत सी दिक्कतें आती हैं, परन्तु बराबर यही सवाल आता है कि देश गरीब है। लोग झोपड़ों में रहते हैं और दुखों से इतने दुखी हैं। इन सब बातों को देखते हुये हमें कष्ट होता है और उनके कष्टों के आगे हमारा कष्ट कोई चीज नहीं है, लेकिन उनकी एक-एक आवश्यकता की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले ली है। उसको देखते हुये जो सुविधा के साधन अनिवार्य हैं और जिनके बिना हम काम नहीं कर सकते उसी को लेना अनिवार्य समझ कर हम स्वीकार करते हैं और मैं आशा करता हूं कि यह भवन अब आगे वादविवाद न करके इस बिल को मंजूर करेगा।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) के विधेयक, १९५२ ई० पर, विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

मंत्रियों और उप-मंत्रियोंका वेतन।

२—(क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंत्री को बारह सौ रुपया मासिक शुद्ध (नेट) वेतन दिया जायगा जिसमें इंडियन इनकम-टैक्स ऐक्ट, १९२२ के अनुसार लिये जाने वाले आय कर सम्मिलित नहीं होंगे।

(ख) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक उप-मंत्री को सात सौ पचास रुपया मासिक वेतन दिया जायगा।

श्री राजनारायण—हमारे सामने जो बिल उपस्थित है, मैं उसमें यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के स्थान पर निम्नलिखित खंड २ रखा जाय।

"उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्य मंत्री और मंत्री का जिसकी निजी आमदनी एक हजार रुपया मासिक या उससे अधिक होगी, कोई वेतन नहीं दिया जायगा। जिस मंत्री या मुख्य मंत्री की निजी आमदनी एक हजार रुपया मासिक से कम होगी उसे उतना मासिक वेतन दिया जायगा कि उसकी कुल आमदनी एक हजार रुपया मासिक हो सके।"

मैंने इस बिल में जो संशोधन उपस्थित किया है उसका उद्देश्य यह है कि हमने अपने देश की आर्थिक परिस्थिति को देख कर यह नतीजा निकाला कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति का १ हजार रुपये प्रति मास से ज्यादा लेना देश के साथ अन्याय करना है। जो बिल यहां प्रस्तुत किया गया है उस बिल में १,२०० रुपये मासिक वेतन रक्खा गया है। बिल आपके सामने होगा, मैं उसको पढ़े देता हूं "उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंत्री को १,२०० रुपया मासिक शुद्ध (नेट) वेतन दिया जायगा जिसमें इंडियन इनकम टैक्स ऐक्ट, १९२२ के अनुसार लिये जाने वाले आय-कर सम्मिलित नहीं होंगे।"

[श्री राजनारायण]

तो इस संबंध में ट्रेजरी बेंच की तरफ से जो बार बार यह दलील दी जाती है कि १२०० रु० जो तनख्वाह इसमें रखी है वह बहुत ही कम करके रखी है बनिस्बत अन्य दूसरों के यानी यहां के चपरासियों की तनख्वाह काफी बढ़ा दी गई है, देश में अन्य विभागों में जो नौकर हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है, मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा दी गई है, क्लर्कों की तनख्वाह बढ़ा दी गई है, चौकीदारों की तनख्वाह बढ़ा दी गई है, तो मंत्रियों की तनख्वाह क्यों न बढ़ा दी जाय, मुझे यह भावना अच्छी नहीं लगती। आपने जिस तरह की महंगाई बढ़ाई उस महंगाई के अनुरूप बहुत कम ही दूसरों की तनख्वाह बढ़ाई गई है।

मैंने जनरल डिस्कशन (सामान्य वाद-विवाद) के वक्त निवेदन कर दिया था कि रियल वेजेज (वास्तविक वेतन) किसी को नहीं दी जा रही हैं, नामिनल वेजेज (नाम-मात्र वेतन) जरूर दी जा रही हैं। लेकिन अगर रियलिटी (वास्तविकता) की तरफ देखा जाय तो जिस तरह से महंगाई बढ़ी, उस महंगाई के अनुरूप उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई है। एक सवाल कैपिटल पर कैपिटा (प्रति व्यक्ति पूंजी) पर ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से किया गया। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि कैपिटल पर कैपिटा के क्या मानी होते हैं। कैपिटल पर कैपिटा के मानी यह हैं कि वह इंवेस्टमेंट (लागत) जिसमें सरप्लस लेबर (अतिरिक्त श्रम) हो, सरप्लस प्रोडक्शन (अतिरिक्त उत्पत्ति) हो। वह कैपिटल फार्म कैसे होता है। उसके अनुसार हमने जो आंकड़े निकाले वह अमेरिका के ८ हजार थे। मैं अपने सम्मानित सदस्यों से विनम्र निवेदन करूंगा कि वह उस पुस्तिका जो ४ पृष्ठ की है जिसका नाम है "लोहिया इन अमेरिका" और जो एक अमेरिका जर्नलिस्ट ने लिखी है उसको देखें। अगर वह पुरानी बातों में ही पड़े रहेंगे तो गलत आंकड़े निकालेंगे और गलत नतीजे पर पहुंचेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैंने जब उस समय अपना भाषण रोका था तब मैं अपने संशोधन पर कुछ कह रहा था। मुझे अफसोस है कि हमारे उन माननीय सदस्यों में से जिन्होंने जनरल डिस्कशन में भाग लिया था, बहुत से इस समय इस भवन में उपस्थित नहीं हैं। मैं पहले कह रहा था कि कैपिटल फोरमेशन (पूंजी निर्माण) कैसे होती है और नेशनल इनकम (राष्ट्रीय आय) क्या होती है। अगर इसके समझने में गलती की जायगी तो आगे भी गलती हो जायगी। इसलिये जब हम इस हाउस में इस चीज पर विचार करते हैं....

माननीय श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री)—मैं श्रीमान् जी के द्वारा माननीय सदस्य से एक बात पूछना चाहता हूं वह यह है कि क्या माननीय सदस्य पहली रीडिंग (पठन) में जो बातें कही गईं उनका जवाब दे रहे हैं या अपने संशोधन पर बोल रहे हैं जो इस समय इस सदन के सामने है?

अधिष्ठाता—मैं भी महसूस कर रहा था जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि कृपा कर वे अपने संशोधन पर बोलें तो अच्छा होगा।

श्री राजनारायण—मैंने जो अपना संशोधन उपस्थित किया था वह क्यों किया उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं उस स्कोप (पालिसी) से बाहर जाऊंगा तो आशा है स्पीकर महोदय मुझे स्वयं रोक देंगे। मैं यह अर्ज कर रहा था कि हिन्दुस्तान की जो नेशनल इनकम है उसको यहां की पापुलेशन (जन संख्या) से बांट दीजिये। यहां की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट (पूंजी की लागत) है उसको भी आप बांट दीजिये तो आप देखेंगे कि १५० रु० पर कैपिटा कैपिटल है और नेशनल इनकम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ५०० रुपये के करीब नेशनल इनकम हो जाती है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—इस समय जो श्री राज नारायण जी भाषण कर रहे हैं उसके बारे में आपका निर्णय क्या हुआ ? वे संशोधन के स्कोप के अन्दर बोल रहे हैं या बाहर ? यह निर्णय होना अत्यावश्यक है।

अधिष्ठाता—भाषण जो माननीय सदस्य दे रहे हैं वह संशोधन के अनुसार ही है मगर जरा भूमिका लंबी चौड़ी हो रही है।

श्री राजनारायण—स्पीकर महोदय, मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि जब कोई अन्य सदस्य अपना कोई मत प्रकाशन करना चाहें तो पहले उनको अच्छी तरह से सुन लेना चाहिये , ऐसी कोई व्यवस्था की जाय। अगर सम्मानित सदस्य इस तरह से बीच में बोलेंगे तो मैं समझता हूं इस सदन का अपमान होगा।

मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हम किस चीज को ज्यादा अहम मानते हैं और उसी सवाल को लेकर महात्मा गांधी ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। महात्मा गांधी ने 'हरिजन' में इसके सिलसिले में अपनी आवाज बुलंद की थी और वह 'हरिजन' का अंक भी मेरे सामने है। इसलिए यह कहना कि हमारे संशोधन को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त नहीं था, ठीक नहीं है। मैं समझता हूं यह कहना सत्य से आंख मूंदना है और हम जो भी यहां बैठे हुये हैं वे सब सत्य के शोध करने के लिये ही बैठे हुये हैं न कि सत्य से आंखें मूंदने के लिये। महात्मा गांधी ने अप्रैल, १९४७ के हरिजन में 'इंडियन गवर्नर' नामक लेख में पूरे तरह से बताया है कि भारत के गवर्नर कैसे रहें। यह समझना कि जो प्रस्ताव मैंने पेश किया है उसके समर्थन में गांधी जी नहीं थे, यह उनके साथ अन्याय करना है और सदन के सामने वस्तुस्थिति को विकृत करके रखना है।

अब मैं अपने संशोधन पर आता हूं। इस संशोधन को इसलिये रखने की जरूरत पड़ी कि आज हमें यह तय करना है कि हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की व्यवस्था कैसे करनी है। चाहे हमारी इनकम सेलरी (आय वेतन) से हो, इंडस्ट्री से हो, मकान के किराये से हो और किसी तरीके से हो आपको उसके लिये एक प्रिन्सिपल (सिद्धान्त) रखना होगा। जैसा कि हमारे ज़मींदार भाइयों की ओर से कहा गया कि अगर तमाम इंडस्ट्री को नेशनलाइज (राष्ट्रीयकरण) कर लेते तो हमारी लैन्ड (भूमि) को भी उसके साथ लेते तब हमें कोई आपत्ति नहीं होती। इसी प्रिन्सिपल को लेकर प्रत्येक इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने की बात कही जाती है।

आप पहले इनकम रेशियो (अनुपात) बांधिये कि आज हमारे मुल्क की पर कैपिटा इन्कम क्या है। छोटी से छोटी इनकम क्या है, दोनों का अनुपात स्थिर करना होगा। अगर हम अनुपात स्थिर नहीं करेंगे तो याद रखिये कि चाहे आप बहुमत में इस सदन से कोई भी प्रस्ताव पास करा लें मगर वह आम जनता द्वारा समर्थित नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस मूल प्रस्ताव को रखने वाले हमारे मुख्य मंत्री महोदय इसे वापस लेलें। इसको जनता में वितरित करा दें और देखें कि जनता हमारे संशोधन का समर्थन करती है या उनके प्रस्ताव का समर्थन करती है। अगर वह इसको एक्सेप्ट (स्वीकार) करते हैं तो मैं खुशी के साथ उनके सामने सिर झुकाने को प्रस्तुत हूं।

मेरे बहुत से भाई गांधी जी की बात कह कर कहते हैं कि गांधी जो इसके समर्थन में थे और अगर आप गांधीवादी हैं तो आपके यहां जो सोशलिस्ट लोग हैं वे अपना वेतन क्यों नहीं छोड़ते हैं ? भाई मेरे, मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है वह केवल आपही के लिये नहीं है।

अधिष्ठाता—आप मेरी तरफ देख कर अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण—मैंने जो संशोधन पेश किया है वह आप ही के लिये नहीं है। अगर आप हमारे संशोधन को कबूल करते हैं तो वह संशोधन आप पर भी लागू होगा और हम पर भी लागू होगा, सारी जमातों पर लागू होगा ।

प्रधिष्ठाता---आप "आप" शब्द का प्रयोग न करें।

श्री राजनारायण--वह सभी माननीय सदस्यों पर भी लागू होगा, माननीय मुख्य मंत्री पर भी लागू होगा चाहे वह मंत्री आप हों, बहुमत दल के हों या अल्पमत बहुमत में परिणत हो जाय उसके हों। अगर वह सिद्धांत प्रतिपादित होगा तो सबके लिये समान होगा। इसलिये यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि अगर सोशलिस्ट गांधी जी की बात कहते हैं तो गांधी जी के कार्यक्रम को क्यों नहीं परिणत करते। कार्यक्रम को परिणत करना बहुमत दल का काम है। आप क्यों नहीं करते हैं, आप जो नियम उप-नियम बनायेंगे वह हम पर भी लागू होंगे। जितने सोशलिस्ट जमींदार हैं आप क्यों नहीं उनकी जमींदारी छीन लेते हैं? अगर हम कहें कि क्यों? तब आप एतराज कर सकते हैं। मैं भी जमींदार हूं, मैं कहता हूं कि आप विदाउट कम्पेनसेशन (प्रतिकर के बिना) जमींदारी क्यों नहीं ले लेते हैं। अगर हम कहें कि क्यों? तब इस सदन के माननीय सदस्य लोग एतराज कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मगर इस तरह से किसी बात को घुमा फिरा कर कहना ठीक नहीं होता है बल्कि इस तरह से घुमा फिरा कर बात कहने से बहुत सी बातें झगड़े में पड़ जाती हैं।

पूज्य आचार्य नरेन्द्र देव जी का नाम हमारे संशोधन के विरोध में लिया गया। कहा जाता है कि आचार्य नरेन्द्र देव सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं। हमें गर्व है कि आचार्य नरेन्द्र देव सोशलिस्ट पार्टी के ही नेता नहीं हैं, बल्कि देश के नेता हैं। आचार्य नरेन्द्र देव की विद्वता, आचार्य नरेन्द्र देव का त्याग, अगर देश और पहले स्वतंत्र हो गया होता तो उसकी विशेष कद्र होती। आचार्य नरेन्द्र देव वाइस चांसलर की हैसियत से जो तनख्वाह लेते थे एक हजार लेते थे या ढाई हजार लेते थे मगर जैसा कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को भी मालूम है कि वे अपनी तनख्वाह का एक तिहाई हिस्सा, जब तक कि लखनऊ में थे मेरिट स्कालरशिप में खर्च कर देते थे और आज जब कि वे बनारस में हैं तो वहां भी अपनी सैलरी का एक तिहाई हिस्सा मेरिट स्कालरशिप में बराबर खर्च कर देते हैं।

एक सदस्य---उनकी सैलरी (वेतन) कितनी है?

श्री राजनारायण---जो सैलरी आप तै कर देते हैं। जो बहुमत दल की सरकार होती है वह जो सैलरी तय कर दे वही सैलरी हो जायगी। सरकार कायदा कानून बनाती है। सरकार जो कायदा कानून बनाती है उसी के मातहत हम सब को चलना पड़ता है। अगर आप और बहुमत दल के सदस्य कोई कायदा बना दें और हम उसका विरोध करते हैं तो बहुमत दल के सदस्य कहते हैं कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? हमारे प्रस्ताव का विरोध करने के लिये, माफ कीजियेगा, मैं निहायत अदब के साथ कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने आचार्य नरेन्द्र देव का नाम लिया कि वे भी उनके साथ थे। आचार्य नरेन्द्र देव स्वतंत्रता के संग्राम में हमारे मुख्य मंत्री के साथ थे, इसका उनको गर्व है और हमको भी गर्व है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि गांधी जी ने कहा था कि देश की बागडोर जयप्रकाश नारायण के हाथ में दे दी जाय। जयप्रकाश ने कहा कि आचार्य नरेन्द्र देव को राष्ट्रपति बना दिया जाय। उसके ऊपर गांधी जी ने कहा था कि मुझको नरेन्द्र उतने ही प्यारे हैं जितने जयप्रकाश। आचार्य नरेन्द्र देव ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बैठकर यह मांग उपस्थित की थी यह रिपोर्ट में मौजूद होगा। आचार्य नरेन्द्र देव के क्या विचार हैं इसके लिये मैंने करीब ५० रुपया खर्च करके एक छोटी सी किताब सबको बटवाई ताकि लोगों को उनके विचार अवगत हो सकें। इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि मेरा यह संशोधन सामयिक है और मौजूं है और समय की मांग को पूरा करता है।

माननीय सदस्य कहते हैं कि अगर आप १०० रुपया कर दें तो शासन कीजिये। तो हमने कब इससे इन्कार किया। आपने गल्ला वसूली जबरदस्ती की, जब आपने १० गुना लगान

वसूल किया, जब आपने निहायत अनुचित तरीके से जमींदारी अबालीशन बिल को यहां से पास किया तो आपसे निवेदन किया और आपको सुझाव दिये थे, एक लाख किसानों का मार्च था जिसने लखनऊ आकर उस बिल का विरोध किया था। आप चाहते थे कि वह मार्च लखनऊ न आवे और आपको सी० आई० डी० ने रिपोर्ट दी थी कि वह चल दिया। सोशलिस्ट पार्टी ने बहुत से सुझाव दिये। अब भी मैं कहता हूं कि प्लानिंग कीजिये, कोई रचनात्मक कार्य कीजिये जिससे गरीब का भला हो और हम उसमें बराबर आपके साथ चलने के लिये तैयार हैं लेकिन अगर आप कहें कि ग्राम पंचायत का टैक्स वसूल कराइये तो हम साथ आने को तैयार नहीं हैं। अगर आप चाहें कि १० गुना लगान में आपका साथ दिया जाय तो गलत बात है। मैं जिस पार्टी का सदस्य हूं वह पार्टी पहले लड़ाई के जमाने में आपके साथ थी...

माननीय श्री हुकुम सिंह---मैं श्रीमान् जी के जरिये से यह तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि हमारे माननीय मेम्बर अब भी जरा तरमीम की तरफ आजायं ताकि हम लोग भी समझ सकें कि आय इस बिल मुखालिफत करनी चाहिये या मुवाफिकत करनी चाहिये।

श्री राजनारायण---स्पीकर महोदय, मैं निहायत अदब के साथ बहुमत का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि किसी सिद्धांत के विषय को केवल टैक्निकल बात के चक्कर में न डाला जाय। मैं पहले आपको बतलाना चाहता हूं ताकि हमारे संशोधन समझने में आप को आसानी हो। इसका टेढ़ा मेढ़ा सवाल है। और यह आपको दुनिया के सामने उपस्थित करना है। बहुत बड़ी इन्कम की बात कही गई है वह किस तरह से है यह आपको सिद्ध करना है।

महात्मा जी जब जीवित थे तो हमारे सम्मानित सदस्य याद करें उन्होंने कई बार कहा था कि कांग्रेस को आचार्य नरेन्द्र देव और जयप्रकाश जी और लोहिया जी के सुपुर्द कर दो। जब गोआ में सत्याग्रह हुआ और लोहिया जी की गिरफ्तारी हुई तो महात्मा जी ने कहा था कि मैं सरकार की गतिविधि का निरीक्षण कर रहा हूं। राममनोहर लोहिया कोई मामूली व्यक्ति नहीं हैं। अगर सरकार उनको छुड़ाने के लिये सक्रिय कदम नहीं बढ़ाती तो मैं स्वयं से सक्रिय क़दम उठवाऊंगा। उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में जो जयप्रकाश जी जानते हैं वह कोई नहीं जानता। इसलिये इन परसनैलिटीज (प्रमुख व्यक्तियों) को सामने रखकर हमारे संशोधन की जो मुखालिफत करते हैं और हाउस के सामने जो यह कहते हैं....

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो हमारे संग्राम का पुराना हवाला दिया जा रहा है कि उसमें क्या-क्या बातें हुईं, यह सब इस प्रस्ताव से कैसे संबंधित हैं?

अधिष्ठाता---मैं श्री राजनारायण जी को याद दिलाऊंगा कि वह अपने संशोधन से बहुत दूर चले जाते हैं। कृपया अपने भाषण को संशोधन तक ही सीमित रखें।

श्री राजनारायण---प्रमुख महोदय, मैं फिर निहायत अदब से अपने संशोधन पर ही आना चाहता हूं। मैंने आप की इजाजत चाही थी और आपकी आज्ञानुसार और इस सदन में बहुमतदल की विशाल कृपा और अनुकम्पा से ही मैं जानता हूं कि सदन में काम कर सकता हूं वरना शायद क्लोजर (वाद-विवाद बंद करने का प्रस्ताब) भी न मूव हो जाय।

संशोधन मैंने क्यों पेश किया? वह इसलिये कि देश की और विदेश की हालत को देख कर। आज चीन में सबसे बड़ी और छोटी तनख्वाह में १ और १३ का अनुपात है। बरमा सरकार ने तय किया है कि कम से कम ८८ और ज्यादा से ज्यादा १,४०० होगा, वह तो एक छोटा सा देश है जो अभी आजाद हुआ है। जब ऐसे छोटे-छोटे देश इस प्रकार के प्रगतिशील क़दम उठाते हैं तो हमारा उत्तर प्रदेश, जो देश में सबसे विशाल सूबा है, वह इस किस्म के कदम उठाने

[श्री राजनारायण]

से क्यों डरता है ? वह भी आगे क्यों नहीं जाता ? बम्बई में स्टैंडर्ड आफ लिविंग (जीवन स्तर) ज्यादा ऊंचा है, खर्चा ज्यादा है, मगर वहां के मंत्रियों की तन्ख्वाह भी इसी प्रस्ताव पास करके १,१०० रु० ही मासिक रखी है। अपने ही देश के भिन्न-भिन्न सूबों की हालत को देखकर भी आप एक समुचित रास्ते पर आ सकते हैं।

बार बार बहुमत दल के सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि आंकड़े जो रखे जाते हैं गलत हैं। मैंने एक पत्र भी मुख्य मंत्री को लिखकर भेजा है। उसमें हमारे जो आंकड़े गलत हों उनको गलत साबित करने का नम्र निवेदन भी किया है। मैं आज भी कहता हूं कि हम यहां आये हैं तो किसी समस्या के सुलझाव के लिये आये हैं। हम यहां बुद्धि विभ्रम नहीं पैदा करना चाहते। उसी तरह से हम दूसरे सदस्यों से भी अदब के साथ अर्ज करना चाहते हैं कि वे भी गलत तरीके से गलत आंकड़े पेश करके वस्तुस्थिति को विकृत करके न हमारा समय नष्ट करें, न हाउस का समय नष्ट करें और न सत्य को प्रकट होने में कोई रुकावट पैदा करें। तो हमारा जो यह संशोधन आपके सामने पेश है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्य मंत्री और मंत्री को जिस की निजी आय एक हजार रुपया मासिक होगी या उससे अधिक होगी कोई वेतन नहीं दिया जायगा इसमें हमने निजी आय को जोड़ा क्योंकि हमने प्रमुख महोदय के जरिये अपने सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया था कि क्या आप उस आय को भी जोड़ देते हैं जो हमको अपने निजी साधन से हो। जब आप इस प्रिंसिपल को मान लेते हैं कि जितने उत्पादन के साधन हैं उसमें हर व्यक्ति का समावेश हो, हर व्यक्ति का उसके मुनाफा में शेयर (भाग) हो, हर व्यक्ति उसके इन्तजाम में हिस्सा ले, तब आपको निजी आमदनी और किसी दूसरी आमदनी के क्लैसिफिकेशन (साफ) करने की आवश्यकता नहीं है। यहां चूंकि आपने वैसा किया नहीं है इसलिये मैं चाहता हूं कि आप उस सिद्धांतको मानें।

एक बात मैं आप से और अर्ज कर दूं कि निजी आमदनी कहां से आती है क्योंकि निजी आमदनी का एक्सप्लेनेशन (स्पष्टीकरण) होना प्रमुख महोदय, बहुत ही आवश्यक है। एक मिल मालिक है और वह मिल मालिक पूंजी लगाता है, मशीन खड़ी करता है और उस इंडस्टरी में कुछ वर्कर्स को रखता है। मान लीजिये सूत का कारखाना है। एक रुपया को सेर भर रूई मिलती है और एक रुपया मिल मालिक ने लगा दिया तो क्या वह रूई इजसेल्फ (अपने आप) कारखाने में जाकर बढ़ जायगी। मिल मालिक का रुपया रूपान्तरित होता है रूई में, वही रुई, रूपान्तरित होती है सूत में, वही सूत रूपांतरित होता है कपड़े में और वही कपड़ा रूपांतरित होता है फिर जा करके रुपये में। इस प्रकार मिल मालिक ने एक सेर रूई में एक रुपया लगाया, फिर वह सेर भर रूई एक सेर सूत में बदल गयी, उसके बाद वह सेर भर सूत सेर भर कपड़े में बदल गया और वह सेर भर कपड़ा बाजार में जाता है और दस रुपये में बिकता है। एक लगावें दस पावें यह कहां का सिद्धांत है ? अगर आप न्याय और समानता को मानते हैं तो आप देखिये कि एक रुपया तो लगाया कैपिटलिस्ट ने मगर वह दस हो गया। कैसे ? उसमें भगवान आया, खुदा आया, धर्म आया, ईश्वर आया, कौन समा गया। कोई नहीं समाया मजदूर की श्रम-शक्ति समाई। उसी श्रम शक्ति ने यह सरप्लस वैल्यू क्रियेट (अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न) किया। अब वह सरप्लस वैल्यू क्या अधिकार है किसी मिल मालिक को लेने का ? वह नहीं ले सकता है सरप्लस वैल्यू। उसका बटवारा होना चाहिये न्याय के आधार पर। जिन्होंने पूंजी पैदा की है उनके हाथ में आना चाहिए। वह राष्ट्र का धन है, वह देश का धन है, वह किसी व्यक्ति का धन नहीं है।

मैं निजी सम्पत्ति के सिद्धांत को साफ करते हुये चीनी के कुछ आंकड़े देना चाहता हूं ताकि हमारे सम्मानित सदस्यों को आसानी के साथ सारी बातें खुल जायं। हमारे उत्तर प्रदेश में चीनी का व्यवसाय है। सन् ४७ में एक रुपया चार आना ऊख का दाम था, और बीस रुपया कई आना चीनी का दाम था। सन् ४८ में सिंडीकेट ने उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार और केन्द्रीय सरकार से यह तय करवा लिया कि दो रुपया मन गन्ने का दाम होगा और ३५ रु० कई आना दाम होगा चीनी का।

प्रमुख महोदय, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर वे नियम देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जब डिबेट हो तो किसी पुस्तक या अखबार आदि को भी न पढ़ें जो इर्रेलेवेंट (असंगत) हो।

अधिष्ठाता—मेरा ख्याल है कि माननीय मुख्य मंत्री इसी संबंध में पढ़ रहे हैं।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां, इसी डिबेट से ताल्लुक़ है।

श्री राजनारायण—तो प्रमुख महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और बहुमत दल की कृपा पर फिर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। शुगर इन्डस्ट्री हमारे सूबें में है। दस मन गन्ने में एक मन चीनी पैदा होती है।

अधिष्ठाता—मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके संशोधन से शूगर इंडस्ट्री का क्या संबंध है?

श्री राजनारायण—मैंने इसमें लिखा है कि "उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्य मंत्री और मंत्री को जिसकी निजी आमदनी एक हजार रुपया मासिक या उससे अधिक होगी, कोई वेतन नहीं दिया जायगा।" तो मैं निजी आमदनी को ऐक्सप्लेन (स्पष्ट) करता हूं कि निजी आमदनी कोई कैसे लेता है और उसकी आय क्या है?

श्री सीताराम शुक्ल—संशोधन पेश करने के लिये कितना समय दिया जाता है।

अधिष्ठाता—बिल के संबंध में समय की कोई पाबन्दी नहीं रहती है। इसलिये उनको अधिकार है कि वे बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण—प्रमुख महोदय, मैं फिर सदस्यों से निवेदन करूंगा।

अधिष्ठाता—कृपया आप सदस्यों से न निवेदन करें। जो कुछ कहना हो मुझ से कहें।

श्री राजनारायण—स्थिति बहुत गम्भीर है, जरा सदस्यगण इसको सुनने की कृपा करें। तो निजी सम्पत्ति आज कुछ लोग किसको कहते हैं। मैं आपके सामने यह अर्ज कर रहा हूं कि निजी सम्पत्ति टपकी कहां से। आज जिसको कैपिटलिस्ट या लैण्ड लार्ड निजी सम्पत्ति कहता है वह उसको सही माने में निजी सम्पत्ति नहीं है बल्कि वह सम्पत्ति है समाज या राष्ट्र की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सन् १९४७ ई० में एक रुपया चार आने मन गन्ना और २० रुपये कई आने मन चीनी थी और सन् १९४८-४९ में दो रुपये मन गन्ना और ३५ रुपये कई आना मन चीनी थी। लेबर का कोई खर्च नहीं बढ़ा, पैकिंग का कोई खर्च नहीं बढ़ा, सेस कर नहीं बढ़ा, एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी। क्या कारण है कि जब १० मन गन्ने में एक मन चीनी पैदा होती है तो आपने सवा रुपये से दो रुपये मन गन्ना कर दिया यानी १२ आने फी मन गन्ने का दाम बढ़ा, तो साढ़े सात रुपये १० मन गन्ने पर दाम बढ़े। तो आपको साढ़े सात ८ आने ही चीनी के दाम बढ़ाने चाहियें थें। मैं आपसे टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ने के लिये अर्ज करूंगा। उस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि उस बोर्ड के सदस्यों ने कुछ सुझाव रखे हैं कि २७ रुपये ८ आने दाम होते तो कोई हर्ज नहीं था। जबकि २८ रुपये ८ आने दाम रखे गये थे उस समय इसका हिसाब आप लगायें तो आप को मालूम हो जायगा कि तीन करोड़ कई लाख रुपये इस सरकार को पूंजी वादी नीति ने मिल मालिकों को कमवा दिये जो उनको निजी सम्पत्ति के रूप में चली गयी। और यह देखिये कि ४८ हजार टन चीनी सन् १९४७ में थी जिसके दाम २० रुपये कई आने थे। उस ४८ हजार टन चीनी को भी उन लोगों ने ३५ रुपये कई आने मन के हिसाब से बेचा। इसके बाद केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ। उसने उसको किसी तरह से बांट दिया।

[श्री राजनारायण]

मैंने आपके सामने यह जो आंकड़े पेश किये यह इसलिये पेश किये कि निजी सम्पत्ति जो होती है वह भी समाज की सम्पत्ति है और उसका भी किसी व्यक्ति विशेष की तनख्वाह देने में समावेश होना चाहिए। प्रमुख महोदय, मुझे खुशी हुई कि जिन सम्मानित सदस्य ने हमारे जनरल डिस्क्वालिफिकेशन के विरोध में कुछ बातें कही थीं वह इस समय उपस्थित हुए हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि अमेरिका में पर कैपिटा कैपिटल आठ हजार है। माननीय सदस्य इस समस्या को समझने की कोशिश करें। यह पुस्तक जो अभी निकली है उसको पढ़ने की कृपा करें। चीन का उदाहरण दिया, बर्मा का उदाहरण दिया आपके सामने इसी देश में बम्बई का उदाहरण दिया। तो आप इस कदम को उठाने में क्यों हिचकिचाते हैं। क्यों अपनी तुलना करते हैं कि हमने चौकीदार का वेतन दुगुना बढ़ा दिया, सिपाही का ढाई गुना और क्लर्क का तीन गुना बढ़ा दिया, तो हम भी अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं तो क्या हर्ज है। आपने अच्छा किया। आप अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, परन्तु कहीं भी तो उदारता के साथ हाथ बढ़ाइये। उदारता दिखलाइये कि देखिये हमने यह किया, त्याग कीजिये, त्याग के मानी यह न समझ लें कि अगर मंत्री महोदय निजी आमदनी को और सरकारी आमदनी को जोड़ कर एक हजार रुपया लेने लगेंगे तो वह त्यागी हो जायेंगे। मैं मानता हूं कि वे त्यागी हैं और मैं भी उनके प्रति श्रद्धा रखता हूं। देश का और सूबे का जो उद्धार ५ वर्षों में हुआ है, आगे भी होगा।

अब मैं संशोधन पर आता हूं। "उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्य मंत्री और मंत्री को जिसकी निजी आमदनी एक हजार रुपया मासिक या उससे अधिक होगी, कोई वेतन नहीं दिया जायगा।" इसीलिये हमने इसमें निजी आमदनी भी जोड़ी कि निजी आमदनी भी समाज का ही एक अंग है। तो निजी आमदनी अगर किसी की एक हजार से ज्यादा हो तो उसको एक पैसा नहीं मिलना चाहिये। ईमानदारी के साथ उसको कहना चाहिये कि वह भी देश का धन है, देश की सम्पत्ति है। हम एक हजार रुपया से अधिक मासिक आमदनी प्राप्त करते हैं, अपने निजी साधनों के द्वारा इसलिये हम एक पैसा नहीं लेंगे। मैं यह बताऊं कि आप भत्ता देते हैं, मकान मुफ्त देते हैं, मोटर मुफ्त देते हैं। अगर आप यह कहें कि किसी सोशलिस्ट ने और कम्युनिस्ट सोशलिस्ट ने किसी भी समय आपके लीडरों के बारे में यह कहा कि मोटरों में नहीं जाना चाहिये तो वह इसलिये कहा होगा कि जहां तक मंत्रिगण का संबंध है वे मोटर इस्तेमाल करें, अगर मंत्री की मोटर मंत्री के बालबच्चे भी इस्तेमाल करने लगते हैं, तो परेशानी हो जाती है। इसलिये अगर किसी ने कह दिया होगा चुनाव के दौरान में, तो उसको आप क्षमा करेंगे। इसमें आपके ऊपर कटाक्ष नहीं था। जिस मंत्री या मुख्य मंत्री की निजी आमदनी एक हजार रुपया मासिक से कम होगी उसे उतना मासिक वेतन दिया जायगा कि उसकी कुल आमदनी एक हजार रुपया मासिक हो सके। इसके मानी यह हैं कि हमने एक हजार मैक्सिमम (अधिकतम) बांध दिया। हमने कह दिया कि हमारे देश और सूबे की हालत ऐसी नहीं है कि एक हजार रुपया मैक्सिमम से ज्यादा किसी को दिया जाय। हम ऐसा समझते हैं कि अगर हमारे हाथ में ही हो तो हम देश की आमदनी इतनी बढ़ा करके इस तरह से उसका वितरण कर सकते हैं कि सौ को कम से कम कर दें और एक हजार ज्यादा से ज्यादा कर दें। अगर हमारे बहुमत दलके सदस्य तो हमारे इस संशोधन का ही समर्थन करते हैं जब वह यह कहते हैं कि हमने तो ९५ रुपये कर दिया, ८० रुपये कर दिया, ३० रुपये और ४० रुपये कर दिया। बड़ी खुशी हुई हमें यह सुन करके। अगर आपके बजट में और आपके विचार अनुसार आप ४० रुपया ही सबको दे सकते हैं तो मैं मान लूंगा कि आप ठीक कहते हैं। लेकिन आप भी तो ४०० रुपये ने लीजिये रेशियो (अनुपात) भी तो स्थापित कीजिये। मैक्सिमम भी तो बांधिये। आप इस सिद्धांत को क्यों भूल जाते हैं। हम आप से कहते हैं कि एक और दस का अनुपात लगाइये। अगर छोटी से छोटी इनकम एक है तो दस लीजिये। हमने जो सौ और एक हजार की बात कही है वह चिरस्थायी नहीं है। यह तो जब आपकी आमदनी बढ़ेगी, परिस्थिति परिवर्तित होगी तो

इसमें भी परिवर्तन होगा। लेकिन वह रेशियो कुछ समय तक चलेगा, दस वर्ष चले, पांच वर्ष चले। जैसा कि हमारे बहुमत दल के किसी सदस्य ने श्री सम्पूर्णानन्द जी की बात कही। मैं जानता हूं कि सम्पूर्णानन्द जी के ऐसे मत रहे हैं। पता नहीं अब हैं या नहीं। मैंने समाजवाद की शिक्षा उनसे ली है। टु एव्रो मैन आकार्डिंग टु हिज नीड, फ्राम एव्री मैन अकार्डिंग टु हिज कैपेसिटी [एक आदमी की जितनी योग्यता हो उससे उतना काम ले लो, और उसकी सारी आवश्यकतायें पूरी कर दो।] आवश्यकता के मापदंड में कहीं आप भ्रम में न पड़ जायं। जिनका अध्ययन गम्भीर नहीं होता, जो ऊपर के आंकड़ों से किसी वस्तु-स्थिति को विकृत करना चाहते हैं वे कहते हैं कि किसी के लिये शराब पीने या दो स्त्रियां रखने की आवश्यकता होगी। नेसिसिटी मीन्स फंडामेंटल नेसिसिटी आफ लाइफ (आवश्यकता का अर्थ है जीवन की मौलिक आवश्यकता) मौलिक आवश्यकताओं का आप ख्याल कीजिये।

कहा गया कि बात तो महात्मा गांधी की करते हैं और महात्मा गांधी के हमेशा विरोध में रहे। यह गलत बात है। यह वस्तु-स्थिति को विकृत करना है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि हम महात्मा गांधी के विरुद्ध थे और आप महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी हैं तो आपका फर्ज हो जाता है कि आप उसको पूरा करें। आप हमसे क्या कहते हैं? हमको तो आपने मान लिया कि हम महात्मा गांधी के विरुद्ध थे। मगर आप तो करिये श्रीमान् जी। आप उस सिद्धांत को प्रतिष्ठित नहीं कर रहे हैं, मूर्तिमान स्वरूप नहीं दे रहे हैं। यह आप का फर्ज है। इसलिये मैं अपील करूंगा कि हमने जो एक साधु प्रस्ताव रखा है, उस को एक पाप बुद्धि से समझने की कोशिश न की जाय।

(इस समय २ बजकर ४६ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

हमने एक और दस में इस संशोधन को बांधा है। तब हमारे ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्य कहने लगते हैं कि हम कम से कम सौ रुपया नहीं दे सकते। मैं उस बात को साफ कर देना चाहता हूं। अगर आप एक और दस के रेशियो को मान लें और अगर आप कम से कम चालीस रुपये ही दे सकते हैं तो आप अपने लिये चार सौ लें और उस समय आप का यह चपरासी जो खड़ा है या जो चौकीदार है वह नहीं कह सकता कि हम तो कम पाते हैं और आपने ज्यादा ले लिया है। आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार लिया है। आप बता सकते हैं कि देश के हित में आज जितनी विषमता रखनी आवश्यक है उतनी रखते हुये हमने एक और दस का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया है।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य बार-बार दोहरा रहे हैं। नियम के अनुसार एक ही बात कई दफा दोहरानी नहीं चाहिये।

श्री राजनारायण--मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह सवाल बड़ा अहम है। मैं इसकी जितनी गुत्थियां हैं सब बारीकी के साथ सदन के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। मुमकिन है कि इसमें कुछ बिलम्ब हो जाय।

माननीय अध्यक्ष--समय की कोई बात नहीं है अपने आर्गुमेंट्स (तर्कों) को दोहराना नहीं चाहिये।

श्री राजनारायण--हमने इसमें यह तरीका अख्तियार किया है ताकि कोई गुत्थी न रह जाय। इसलिये यदि कहीं पुनरावृत्ति हो जाय तो क्षमा करेंगे। परन्तु मैं कोशिश करूंगा कि पुनरावृत्ति न हो और आपके आदेश का पालन करूं।

उस समय जब जनरल डिस्कशन हो रहा था तो हमारे संशोधन के विरुद्ध, जो ध्वनि प्रतिध्वनित हुई थी वह कहती थी कि आमदनी इतनी नहीं है कि उसको १०० और १,०००रु० के अनुपात में बिठा सकें। मैं कहता हूं कि यदि सूबे की इतनी आमदनी नहीं है तो आप कम से कम तनख्वाह चालीस या पच्चीस रुपये निर्धारित कर सकते हैं जैसे कि हमने पांच सौ रुपये के ऊपर नेशनल इनकम पर कैपिटा निकाल दी।

[श्री राजनारायण]

इसके अनुपात में आप चलेंगे तो आपको दसगुना लेना चाहिये। अगर आप नीचे ४० रखते हैं तो आप ४०० रुपया ही ले सकते हैं। फिर संशोधन के विरुद्ध जाने के लिये गांधी जी का नाम लिया जाता है। गांधी जी का लेख प्रस्तुत है, जो पहले अप्रैल, १९४७ में निकला था और फिर वही लेख अब अप्रैल १९५२ में फिर से निकला है। गांधी जी ने उसमें बिल्कुल साफ तरीके से बतलाया है कि गवर्नर कैसे रहें और मिनिस्टर कैसे रहें। इसलिये संशोधन के विरोध में वातावरण पैदा करने की चेष्टा न होनी चाहिये और मैं माननीय प्रमुख महोदय के जरिये से सम्मानित सदस्यों से अपील करूंगा कि वह इस तरह की बुद्धि विभ्रम जन्य भ्रान्ति में न पड़ें। हम भी वही हो सकते हैं अगर हम आप एक दूसरे को कहते रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपने कुछ कम ही कर दिया तो आप क्या रीसमारखां बन गये। आप जरा यह बतलावें कि आप क्या अनुपात प्रदर्शित करना चाहते हैं या आप आंकड़ों के भ्रम में जनहित के सिद्धान्त को गड़बड़ में डालना चाहते हैं और मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी के बारे में और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों के बारे में कि हमने जो सिद्धान्त प्रदर्शित किया है उसके अनुसार हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम अपने इस संशोधन के अनुसार ही वेतन लेंगे और जो कुछ इससे अधिक होगा वह हम पार्टी फंड में दे देंगे और वह जनहित के कामों में लगेगा।

मुझे हाउस आफ कामन्स के सन् १९३८ के डिबेट की बात याद आ गई। वहां भी कुछ सदस्यों ने कह दिया था कि कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अगर सम्मानित सदस्य न लेना चाहें तो न लें। आप हमारे लिये क्या आदर्श बतलाते हैं आप तो अधिकार को लिये हुये हैं। जो भी कानून आपका बनेगा वह तो सब पर लागू होगा।

माननीय श्री हुकुम सिंह—आप यह किस से कह रहे हैं? क्या आप न लेंगे?

श्री राजनारायण—अच्छा हो कि माननीय मंत्री जी जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं स्पीकर साहब के जरिये से अपनी बात रखें।

माननीय अध्यक्ष—आप कल से ही बराबर "आप" शब्द का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। अच्छा हो कि आप "आप" शब्द का प्रयोग न करें।

श्री राजनारायण—प्रमुख महोदय, आपके जरिये से मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वह जरा सूबे की हालत को देखें, जिलों की हालत को देखें, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ग्राम फरीदपुर, रोहनिया थाना जिला बनारस में एक ब्राह्मण के दो लड़के और एक लड़की थी। वह अपने सब बच्चों को लेकर घाट पर जाता है और वहां एक नौका करता है और उनसे कहता है कि चलो तुमको वह गंगा जी में बैठ कर तमाशा दिखला लावें और बीच धारा में जाकर उसने उन सबको डुबो दिया क्योंकि वह उनके लिये खाना नहीं दे सकता था। यह हालत है एक तरफ आपके देश की और दूसरे तरफ यहां सदन में आंकड़ों की बातें की जाती हैं और १,२०० रुपया सैलरी रखी जाती है। कितनी गलत चीज यह है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस समय विषय पर इस सदन में एक दिन, दो दिन और तीन दिन तक डिबेट हो लेकिन मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि समानता के लिये और जनता के साथ न्याय के लिये इस समस्या को सुलझाइये और एक एक आंकड़े को लीजिये और बतलाइये कि संशोधन में क्या गलती है। अगर हम कहते हैं कि आपकी प्राइवेट इनकम भी नेशनल इनकम में शामिल हो तो

इसमें क्या ग़लती है। आज भी जब मैं अपने भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, माननीय श्री सम्पूर्णानन्द जी, को अपने सामने देखता हूं तो मुझे गर्व होता है और मैं समझता रहता हूं कि यदि उनको सदन में मौका नहीं मिलेगा तो वह बाहर जाकर मेरी ग़लती सुधारने की कृपा करेंगे।

प्रमुख महोदय, आपके जरिये से मैं सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस समस्या पर जरा ठंढ़े दिल से ग़ौर करें। क्लोजर मूव करने की उदारता और व्याकुलता न दिखायें, वर्ना वस्तु-स्थिति अच्छी तरह से प्रदर्शित नहीं होगी। इसलिये मैं कहता हूं कि इसमें थोड़ा सा आपकी इजाजत से मैं कुछ आउट आफ प्लेस (स्थान से बाहर) जा रहा हूं। यह कि हमारे पुलिस मंत्री माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा था कि जब गोली से कोई व्यक्ति मर गया तो उसके पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं होती..

माननीय अध्यक्ष—यह रेलीवेंट [सुसंगत] नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण—मैं बन्द किये देता हूं। इसके बाद क्लोजर मूव हो गया और हमारे दिल के अरमान दिल में ही रह गये। मैं यह कहता हूं कि वस्तु-स्थिति का अध्ययन कीजिये और समस्या को सुलझाइये। हम जो भी प्रस्ताव रखते हैं, वह अपने लिये नहीं रखते, आपके लिये नहीं रखते, बल्कि सारे देश के लिए, सारे समाज के लिये रखते हैं।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक घंटे से कुछ अधिक समय हुआ इस दौरान मैंने इस बात की कोशिश की कि मैं समझूं कि हमारे मित्र इस संशोधन के जरिये से चाहते क्या हैं और तकरीर के जरिये से क्या चाहते हैं। जहां तक संशोधन का ताल्लुक़ है तकरीर में हमारे मित्र उससे कोसों दूर रहे, हालांकि वह बराबर यह कहते रहे कि अब मैं संशोधन पर आता हूं, लेकिन आखीर तक हम लोग नाउम्मीद ही रहे और कभी संशोधन पर आये ही नहीं।

सवाल हमारे सामने यह है कि जिस शक्ल में यह संशोधन उपस्थित है वह काबिले मंजूरी है या नहीं। छोटा मोटा सवाल है। सिद्धान्त की बहुत बातें कही गईं। मैं तो दावे से नहीं कह सकता कि मैं सिद्धान्त से कुछ वाकफियत रखता हूं। हमारे दोस्त को हो सकता है और बुनियादी बातों के कहने के लिये उस तरफ तो कोई न कोई हमेशा ही रहा। उस सदन में भी रहा और इत्तफाक से इधर भी वही बात हो गई। मैंने वकालत भी की है और कुछ कानून भी पढ़ा है और मुझे यह सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है कि मुझे जमींदारी अबालीशन ऐक्ट को सदन के सामने रखने का मौका मिला है। मैं तो यह समझता था कि हमारे मित्र इस तरमीम की ताईद में हमको बतलायेंगे कि कैसे यह काबिले मंजूरी है। आज तक मैंने कोई कानून नहीं पढ़ा। कोई दफा या धारा मुझे ऐसी दिखाई नहीं दी जिसमें 'इफ' (यदि) और 'बट' (किन्तु) से कानून शुरू होता हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से श्री राजनारायण जी की तरमीम को पढ़ना चाहता हूं कि "उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्य मंत्री और मंत्री को जिसकी निजी आमदनी एक हजार रुपया मासिक या उससे अधिक होगी, कोई वेतन नहीं दिया जायगा। जिस मंत्री या मुख्य मंत्री की निजी आमदनी एक हजार रुपया मासिक से कम होगी उसे उतना मासिक वेतन दिया जायगा कि उसकी कुल आमदनी एक हजार रुपया मासिक हो सके।" अगर आपकी तरमीम मंजूर की जाती है तो धारा २ का क्या रूप होगा। मैंने एजेंडे के सारे पन्ने उलट डाले कि मैं

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

किसी ऐसी उनकी तरमीम को देखूं जिसमें ऐसा कोई सुझाव दिया गया हो जिससे "इफ" या "बट" का मसला हल होता हो लेकिन मायूसी रही। कानून तो ऐसा होना चाहिये कि जो डेफीनिट (निश्चित) हो, जो प्रेसाइज [निश्चित] हो जिससे साफ नतीजा निकलता हो। आपकी तरमीम से यह होगा कि हर मिनिस्टर की तकरुरी के वक्त एक तहकीकात करना होगी कि उसकी आमदनी क्या है। यह सेलरी बिल है। इसमें तहकीकात का कहीं कोई प्राविजन नहीं है। किसके जरिये से तहकीकात होगी? यहां हम और कानून बनाने बैठे हैं। हम यहां कोई पब्लिक मीटिंग मे लेक्चर देने के लिये नहीं आये हैं। माननीय सदस्य बड़े समझदार और विद्वान हैं। वह समझते हैं कि कानून किस शक्ल मे होना चाहिये। इफ और बट की कोई दफा मेरी समझ में आई नहीं कि किस तरह से हर मिनिस्टर की आमदनी की तहकीकात होगी। कोई बाहरी बात तो है नहीं कि जिस तरह से चाहे तहकीकात कर लीजिये, यहां तो हर चीज कानून के आधार पर ही जायगी। इस ऐक्ट में कोई साधन नहीं है। तो एक तो यह बहुत बड़ा एतराज मेरा इस पर है। कानून बनाने में दिक्कतें होती हैं और आसानी से कानून बनाना आ भी नहीं जाता। इतने वर्षों से हम लोगों ने यहां पर्लामेंट की है लेकिन अब भी परेशानी होती है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे दोस्त ज्वालाप्रसाद जी भी जो बहुत पुराने लाइअर गोंडा जिले के हैं वह मुझसे इत्तिफाक करेंगे कि कोई भी बिल इफ और बट से शुरू हो?

मैंने बराबर अपने मित्र से दरख्वास्त की कि वे समझावें ताकि कोई बात समझ में आ सके और मेरी दिक्कतों को हल्का करे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि बाजजू बातों के वह अपनी असल तरमीम से कोसों दूर भागते रहे और मेरी वह दिक्कत हल नहीं हो सकी और इसलिये मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि इसके खिलाफ वोट करूंगा जब तक कि वह मुझे इसको समझा न दें। इसके खंड २ में उप मंत्रियों का जिक्र है और उनके वेतन के मुताल्लिक भी उसमें प्राविजन रखा गया है। यह जो संशोधन रखा गया है उसके अलावा भी वह उपमंत्रियों को निकालना चाहते हैं। उसके कंसीडरेशन [विचार] के मोशन पर बड़ी बहस हुई। उस पर भी हमारे मित्र को यही एतराज था कि उपमंत्री नहीं होने चाहियें, लेकिन इस सदन ने उनके एतराज को गलत करके कंसीडरेशन के मोशन को स्वीकार किया। लिहाजा यह इससे साफ जाहिर है कि उपमंत्रियों को रखने के लिये केवल इधर ही के नहीं उधर के लोग भी उस बात के मुश्तरिक हैं। इस तरमीम में और भी नुक्स है इस वजह से मैं एतराज करना चाहता हूं। मैं तो कोशिश कर रहा था कि हमारे मित्र की पहली तरमीम है मैं अपने को किसी तरह से राजी कर सकूं और उनसे दोबारा प्रश्न किया, लेकिन बदकिस्मती है कि पहली ही मरतबे मुझे मुखालिफत करनी पड़ी।

हमारे मित्र यह फरमाते हैं कि यह क्यों किया जाता है। आपने हाउस आफ कामंस की डिबेट का हवाला दिया। इसमें हमारे मित्र ने दानिशमंदी से काम लिया था। पेश करने के बाद आप उसके असर को मिटीगेट [कम करना] करना चाहते थे। मैं अब भी कहता हूं कि अगर हम लोग त्यागी नहीं हैं और खराब हैं और हम लोग तनख्वाह लेना चाहते हैं तो आप पर कोई पाबन्दी नहीं है, आप कतई न लीजिये, आप अपने को जब्त कीजिये और अगर आपका यह कर्तव्य रहा तो जनता आपको पूजेगी और हमें डिस्कार्ड [त्याग] करेगी। मैंने डाइरेक्टली सीधा-सादा सवाल भी किया तब भी मैं जवाब पाने में मजबूर रहा। मैंने पूछा तो आप टाल गये और कोई सीधे सादे जवाब नहीं दिये। अगर आप चाहते हैं तो आप कतई न लें और मुझे यकीन है कि आप एक पैसा भी लेने के लिये

तैयार नहीं होंगे। हमें तो यह यकीन कामिल है। अगर यह बहस फर्जी है तो फिर आप हर महीने की पे वसूल करेंगे। मैं तो यकीन करता हूं कि वह जो बात कहते हैं दिल से कहते हैं और दिल की बात का सबूत यह होगा कि वह एक पैसा भी वसूल न करें।

हमारे मित्र ने फरमाया कि रिफ्रेंडम (जनमत) होना चाहिये। रिफ्रेंडम की बात ६ वर्षों से लगातार सुनते सुनते तो कान पक गये। हमारे मुख्य मंत्री ने कल इसके मुताल्लिक बहुत सी बातें कहीं और जवाब दिये और जब उनकी बातों पर आप मुतमईन नहीं हुये तो मैं बेजा वक्त नहीं लेना चाहता। आपने भले ही लम्बी तकरीर की है मैं कह तो नहीं सकता हूं कि बहुत सी बातें इर्रीलिवेंट (असंगत) थीं, क्योंकि आपको बोलने की इजाजत हो गई थी। लेकिन मैं कनाअत करूंगा इन्हीं चन्द बातों को कह कर। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तरमीम जिस शक्ल में है काबिल मंजूर नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री ब्रज विहारी मिश्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर जो तकरीरें इधर और उधर से की गई और दो रोज से जो तकरीरें मैं सुन रहा हूं मैं तो उनको सुनकर परेशान हो गया हूं। सच बात यह है कि यह सब समय की बरबादी है। संशोधन जो पेश किया गया है उसका अर्थ यह है कि मंत्री महोदय की तनख्वाह कम कर दी जाय, लेकिन इतने लम्बे-लम्बे भाषण करके यह जो समय बरबाद किया जा रहा है, कितना रुपया जनता का इसमें बरबाद होता है जिसके लिये हम लोग दस दस रुपये रोज पाते हैं। कहा गया कि जो रुपया हम लेते हैं वह जनता का है। वह रुपया इस तरह के भाषण देकर बरबाद किया जा रहा है। समाजवादी भाइयों ने सन् ४८ में बड़े जोरों से ललकारा था कि कांग्रेस भाइयों में बड़ी खराबियां हैं, लेकिन उन खराबियों का नतीजा यह हुआ कि जब सन् ४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हुआ तो उनका एक भी अध्यक्ष नहीं हो सका। मैं अपने जिले आजमगढ़ की बात बतलाऊं कि अध्यक्ष पद के लिये जो समाजवादी सज्जन वहां खड़े हुये थे उनको १३ हजार वोट मिले थे और कांग्रेसी उम्मीदवार को ७५ हजार।

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य संशोधन पर बोलें। इस वक्त चुनाव का प्रश्न नहीं है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र--मैं संशोधन पर ही बोल रहा हूं। उधर से बहुत सी बातें गैरमुताल्लिक कही गईं, लेकिन मैं कोई गैर मुताल्लिक बात नहीं कह रहा हूं। अभी माननीय ठाकुर हुकुम सिंह ने ठीक ही कहा कि १ हजार तनख्वाह मुकर्रर करने के लिये हर एक की निजी सम्पत्ति के लिये क्या इंक्वायरी (जांच) कराई जायगी। मैं यह कहूंगा कि यह डिबेटिंग सोसायटी नहीं है। हमें तो असलियत पर ध्यान देना चाहिये।

अभी माननीय मुख्य मंत्री ने इतनी खूबी के साथ भाषण दिया था जिसमें उन्होंने सारी शंकाओं का समाधान कर दिया था। उसके पश्चात् भी इस तरह का संशोधन लाना उचित नहीं। मैं श्रीमन् के द्वारा अर्ज करूंगा अपने समाजवादी भाइयों से कि यह समय की बरबादी है। हमें और उनको बहुत ठंडे दिल से सोचना चाहिये। यह सदन इसलिये नहीं है कि यहां स्पीच देने का अभ्यास किया जाय। अगर ऐसा करना है तब तो चाहे जितना बोलते जाइये। अभी मेरे मित्र ने कहा था कि दो दिन भी इस पर भाषण चले तो अच्छा है। दो दिन ऐसी ऐसी बातों पर भाषण देंगे तो फिर हम लोगों की ईश्वर ही रक्षा करे। जब बड़े-बड़े मसले आयंगे तो उन पर कितना समय लगेगा।

[श्री ब्रज बिहारी मिश्र]

मैं माननीय सदस्य विरोधी पक्ष से प्रार्थना करूंगा कि वह ठंढे दिल से विचार करें। आप मंत्रियों की तनख्वाह घटाने की तो बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ मुदर्रिसों की तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं, हड़ताल करा देते हैं, सारे मुलाजिमान की तनख्वाह बढ़ाने की बात आप करते हैं, लेकिन मंत्री महोदय जो सुबह ४ बजे से रात को १२ बजे तक घर द्वार छोड़ कर यहां बैठते हैं, काम करते हैं, रात दिन दौड़ते हैं उनके लिये कहा जाता है कि तनख्वाह घटा दी जाय। मैं श्रीमान् के द्वारा अपने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे मामलों में हम लोगों को विचार करना चाहिये और बजाय बहस करने के विचार करने में अपना समय लगावें तो अच्छा होगा। इरेलेवेंट (असंगत) बातों के लिये तो कोई भी बहस कर सकता है और चाहे जितना बक सकता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस पर बहुत ठंढे दिल से विचार करना चाहिये। हमें अपने समय का बहुत ख्याल करना चाहिये, उसको बरबाद नहीं करना चाहिये। इसलिये हमें इस संशोधन को बिल्कुल ही नामंजूर कर देना चाहिये, जैसा कि वह हो ही जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा के द्वारा मैं माननीय श्री राजनारायण जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। यह समर्थन शाब्दिक ही नहीं है बल्कि सैद्धान्तिक भी है। अभी माननीय उद्योग मंत्री जी ने यह सवाल उठाया कि अमेंडमेंट की भाषा ठीक नहीं है, वह कानूनी भाषा होनी चाहिये। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो किसी धारा या बिल में साफ-साफ नहीं बतलाई जाती हैं उनके लिये तो नियम बनाये जाते हैं। धारा ६ में पहले ही लिखा हुआ है कि—

> "इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।"

इसलिये जहां तक निजी आमदनी का ताल्लुक है उसके लिये रूल्स बनाये जा सकते हैं। जिस समय हमने यह लिखा तो हमारे ध्यान में यह बात थी कि हमने अपने संशोधन को अस्पष्ट शब्दों में रखा। उसके लिये नियम बनाने की मंशा हमारी थी। हमारी यह मंशा कतई नहीं थी कि हम कोई ऐसा कानून बनायें जिसका कोई पतलब ही न हो। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे दिल में यह बात कतई नहीं है कि माननीय मंत्रियों को बिल्कुल भी वेतन न दिया जाय या वर्तमान मंत्रिमंडल में जो व्यक्ति हैं उनको हम वेतन देने के खिलाफ हैं। चाहे जो भी मंत्री हो जब हम कोई वेतन निर्धारित करते हैं तो सारे देश की आर्थिक व्यवस्था को हमें सामने रखना होगा, क्योंकि वह उसका महत्वपूर्ण अंग है। जब आप अपने वेतन को घटायें तो उसी के अनुसार घटावें जो और तमाम सर्विसेज हैं, बड़ी-बड़ी तनख्वाहें पाने वाले हैं उनके वेतन को भी घटाना होगा। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सभी सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रश्न केवल हमारी या किसी माननीय मंत्री की तनख्वाह का ही नहीं है। वह तो सारे देश की व्यवस्था को ठीक करने के लिये है। जैसा कि हमारे नेता महोदय ने बताया कि १०० रुपये से कम और १,००० रुपये से ज्यादा आमदनी किसी की नहीं होनी चाहिये। इसी दृष्टिकोण को लेकर हमने यह प्रस्ताव भवन के सामने पेश किया है। जब मिनिस्टर १,००० रुपया तनख्वाह लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में ऐसे-ऐसे अधिकारी भी मौजूद हैं जिनको २,५०० रु० से लेकर ३,००० रु० तक तनख्वाह मिलती है। यह चीज प्रिंसिपल के खिलाफ है। इस पर भी हमें विचार करना होगा। कल ही माननीय मुख्य मंत्री ने म्यूनिसिपैलिटियों के आफिसरों के बीच में भाषण देते हुए कहा कि १२ पेज की रिपोर्ट में से ११ पेजों में मांगें की गई हैं तथा सिर्फ एक पेज में ही 'ड्यूटी' के बारे में कहा गया है। इसलिये अगर ड्यूटी के बारे में ज्यादा ध्यान रखा जाय तो अधिक अच्छा होगा।

हमारे यहां के बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट, बड़े-बड़े लैंड लार्ड्स और जो बड़ी-बड़ी आमदनी वाले हैं उनके अन्दर यह भावना तभी आ सकती है जब कि हम सब लोग इस बात का आदर्श उनके सामने उपस्थित करें कि हमारी राष्ट्रीय आय का संतुलन ठीक ढंग से हो सके। अगर हम अपनी ऐसी धारणा बनायेंगे तो उनके दिल में इस बात का विश्वास पैदा हो सकता है कि वे हमारी सारी योजनाओं का समर्थन करें वरना वे योजनायें चाहे सर्वोदय सम्मेलन की हों या समाजवादी योजना ही क्यों न हों, उसका वे विरोध करेंगे। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि हम इस भवन के अन्दर ऐसा वातावरण पैदा करें जैसा कि सन् १९३७ ई० में इसी भवन के अन्दर अनुप्रेरित किया गया था। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस दिन की तरफ जब कि इसी प्रकार मिनिस्टर्स सैलरी बिल और आफिर्स सैलरी बिल आया था तो उस समय हमारे न्याय मंत्री ने कहा था :—

"As the Hon'ble Leader of the House has reminded us this morning in another connexion, this is a country of starving millions. This is a House which claims to represent those starving millions—people who do not get one square meal to eat in the day—whose average income (people differ in estimating that income) is either one anna a day or one and a half annas—eight pies a day, and I suggest to you—I suggest to the house—that it would be monstrous, if, claiming to be representative of those starving millions, we were to vote for ourselves large salaries."

[जैसा कि आज प्रातः सदन के माननीय नेता ने एक दूसरे संबंध में हमें स्मरण दिलाया है यह एक ऐसा देश है जिसमें लाखों व्यक्ति भूखों मरते हैं। यह एक ऐसा सदन है जो ऐसे लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो भूखों मर रहे हैं—ऐसे लोग जिन्हें दिन में एक बार भी भर पेट भोजन नहीं मिलता है—जिनकी औसत आय (उस आय के अनुमान में लोगों का मतभेद है) या तो एक आना प्रतिदिन या डेढ़ आना—आठ पाई प्रतिदिन है और मैं आपको सुझाव देता हूं—मैं भवन को सुझाव देता हूं—कि यह अत्यन्त अनुचित होगा, यदि हम उन भूखों मरते हुये लाखों व्यक्तियों के प्रतिनिधित्वका दावा करतेहुये अपने लिये बड़े-बड़े वेतन के लिये मतदान करें।]

तो यह उस समय की बात है जब कि इस भवन के अन्दर कांग्रेस गवर्नमेंट का ही बहुमत था। तो इस समय नेशनल इनकम चाहे दुगना हो, लेकिन दो आना या तीन आना ही होगा। फिर भी हमारे न्याय मंत्री ने उस दिन कहा था—

We are setting before you an example which, I imagine, would have repercussions all round. We are not trying to move for the reduction of his salary or the Minister's salaries alone, but we do hope that as the Congress has demanded and has resolved, the salaries will be brought down in every part and on every side. That is the first step in the reforms. It has been said that salaries will be insufficient to maintain people in proper rank. That is one of the misfortunes of this country."

[हम आपके समक्ष एक उदाहरण रखना चाहते हैं जिसके, मेरा अनुमान है, हर प्रकार के परिणाम होंगे। हम ऐसा प्रस्ताव नहीं रखना चाहते हैं जिसमें उनका वेतन या मंत्रियों का ही वेतन कम किया जाय किन्तु हम आशा करते हैं कि जैसा कि कांग्रेस ने मांग की है और निश्चय किया है कि प्रत्येक भाग में और प्रत्येक ओर वेतन कम कर दिये जायेंगे। सुधारों में यह प्रथम प्रक्रम है। कहा गया है कि लोगों को उचित पदों पर बनाये रखने के लिये वेतन अपर्याप्त होंगे। यह इस देश का एक दुर्भाग्य है।]

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि वही चीज आज हमारे सामने है। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी बड़े पोस्ट पर हों, किसी बड़े ओहदे पर हों तो बड़ी तनख्वाह भी हो। यह तो सिद्धांत की बात है। इसके खंडन में उस दिन न्यायमंत्री ने इसी भवन में कहा था।

"We want to set up a standard in which it might be said that dignity of office has nothing to do with the salary which is a concomitant of that office.

It is no good saying that in order to stop corruption, in order to make us incorruptible, we should have high salaries. My small experience is that corruptibility and incorruptibility is more or less a question of temperament. I have known very humble people, very humble peshkars—because I am more familiar with that branch of life—who have led starving lives and have been absolutely pure and absolutely honest. On the other hand I have known people who have been paid very high salaries, who ought to have been above every temptation, but who have succumbed to temptation, every day of their lives. Therefore, I beg to submit that we should not allow this thing to go about that high salaries make incorrupt people, and low salaries indicate a sort of inner vice, or something like that."

[हम एक ऐसे मानदंड का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें यह कहा जा सके कि कार्यालय की प्रतिष्ठा का उस वेतन से कोई संबंध नहीं जो उस कार्यालय का एक अंग है।

यह कथन शोभा नहीं देता कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये हम लोगों को भ्रष्टाचार–शून्य बनाने के लिये हमारे ऊंचे वेतन होने चाहिये। मेरा छोटा सा अनुभव है कि भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचार–शून्यता थोड़ा–बहुत प्रकृति का प्रश्न है। मैं बहुत नेक व्यक्तियों को—बहुत नेक पेशकारों को जानता हूं क्योंकि मैं जीवन की उस शाखा से अधिक परिचित हूं। जिन्होंने भूखों मरने के जीवन को अपनाया है और जो सर्वथा शुद्ध और सर्वथा ईमानदार हैं। दूसरी ओर मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिन्हें बहुत ऊंचे वेतन मिलते हैं और जिन्हें प्रत्येक प्रलोभन से ऊंचे रहना चाहिये था। किन्तु जो अपने जीवन में प्रतिदिन प्रलोभन में आ जाते हैं मेरा सविनय निवेदन है कि हम इस चीज को फैलने न दें कि ऊंचे वेतन लोगों को भ्रष्टाचार शून्य बनाते हैं और कम वेतन एक प्रकार के आन्तरिक पाप या इसी प्रकार की चीज सृजित करते हैं।]

तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इसी भवन के अन्दर इसी मिनिस्ट्री ने सन् १९३७ ई० में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसका अर्थ यह नहीं है कि तनख्वाह कम देने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा या तनख्वाह नहीं दी जायगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

पेज ३७ में उन्होंने कहा है —

"Salaries in all other countries other than England and even in England itself—I should have said other than India—are very low. So far as England is concerned, which has always been put up before us as an example and as a pattern to follow, what is the national income there? According to my information it is about 90 pounds a year—in Indian currency about Rs.1,200 a year. What is our national income? Our national income is about Rs.30 a year. What is the proportion of this income to the salary which is given to Ministers in England? About 50 times or 60 times the national average income and so far as the salaries in India are

concerned, the proportion I submit is almost of astronomical dimensions. Goodness knows how many hundred times it is."

[इंग्लैंड को छोड़कर और इंग्लैंड में भी मुझे कहना चाहिये था कि भारत के अतिरिक्त–समस्त देशों में वेतन बहुत कम हैं। जहां तक इंग्लैंड का संबंध है जो कि हमारे समक्ष अनुसरणार्थ सदैव एक उदाहरण और नमूना रखा जाता है उसकी राष्ट्रीय आय क्या है ? जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार ९० पौंड प्रतिवर्ष भारतीय मुद्रा में लगभग १२०० रु० प्रति वर्ष है। हमारी राष्ट्रीय आय क्या है ? हमारी राष्ट्रीय आय लगभग ३० रुपये प्रति वर्ष है। इस आय का अनुमात उस वेतन से क्या है जो इंग्लैंड में मंत्रियों को दी जाती है ? राष्ट्रीय औसत आय का लगभग ५० गुना या ६० गुना, और जहां तक भारत में वेतनों का संबंध है मेरी विनती है कि अनुपात प्रायः बहुत ही अधिक है। भगवान ही जाने कितने सैकड़ों गुना यह है।]

राजा वीरेन्द्र शाह––क्या कोई माननीय सदस्य यहां पर अंग्रेजी में भी भाषण कर सकता है ?

माननीय अध्यक्ष––वह भाषण अंग्रेजी में नहीं कर रहे हैं उद्धरण पढ़ रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–एक छोटा सा सवाल किया गया है कि क्या वे बैलगाड़ियों पर सवार होकर कार्य करें। मैं इस आदरणीय सदन को बतलाना चाहता हूं कि यह हमारा मंशा कदापि नहीं है कि वे बैलगाड़ियों पर चढ़ें। आपने देखा होगा कि हमने साफ साफ एक हजार रुपया तनख्वाह पाने की बात रखी है और उसके अनुसार ही सारी चीजों पर विचार किया जायगा। अब मैं आपके सामने यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि मकान के बारे में हमारे न्याय मंत्री जी ने क्या कहा था :

"No one on these benches, and I dare say also not the Hon'ble the Speaker, is anxious to reside in the palatial houses which you had built for yourselves. They are inconsistent with the standard which we want to put before ourselves for the Ministers of these provinces, but there are those houses and still better and a little more comfortable and a little more moderate dimensioned houses, if I may use this expression, are built, what are we to do ?"

[इन बेंचों पर बैठने वाला कोई सदस्य और मैं यह कहने का साहस करता हूं कि माननीय अध्यक्ष भी, इन भवनों में रहने के लिये उत्सुक नहीं हैं जो आपने अपने लिये बनाये थे। वे उस स्तर से असंगत है, रखते जिसे हम अपने सामने इन प्रान्तों के मन्त्रियों के लिए रखना चाहते हैं किन्तु ऐसे भवन हैं, और उनसे भी अच्छे और सुविधाजनक तथा कुछ और सामान्य लंबाई चौड़ाई वाले भवन, यदि मैं इन शब्दों का प्रयोग करूं, बनाये जाते हैं तो हमें क्या करना है ?]

इसमें साफ कर दिया गया है कि 'लिटिल मोर कम्फर्टेबिल' होना चाहिये। जहां तक यह सवाल है इसको साफ तरीके से निर्धारित कर दिया गया है। दूसरी बात कही जाती है कि आचार्य नरेन्द्रदेव यहां पर सन् ४६ में थे और सन् ३७ में भी थे तब यह चीज मंजूर कर दी गई थीं। इसके कोई माने नहीं हो सकते कि अगर कोई चीज गलत कर दी गई हो वह अब दुरुस्त न की जाय और फिर उसी गलती को दोहराया जाय। यह आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार किया जाय। आपके द्वारा मैं भवन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर देश की आर्थिक अवस्था को देश की आमदनी के हिसाब से ठीक करना है और एक ढंग पर करना है तो उसके लिये इस संशोधन को आपको स्वीकार करना चाहिये और इसके लिये राजी होना चाहिये और तभी हम गांधी जी के सिद्धांतों को स्वीकार कर सकते हैं और कार्यरूप में परिणत कर सकते हैं। मानवता की यह पुकार है, देश की गरीबी

श्री नारायणदत्त तिवारी

की यह पुकार है, गांधी जी के आदर्शों की यह पुकार है और सिद्धांत के आधार पर यह प्रस्ताव है कि आप इस संशोधन को स्वीकार करें और सत्य सिद्धांत को स्वीकार करके देश का कल्याण करें।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)---अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पेश किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन पर बहुत से माननीय सदस्यों ने लम्बी-चौड़ी तकरीरें कीं और विरोधी दल की ओर से यह प्रयत्न किया गया कि यह तरमीम ऐसी है जिसके द्वारा वह अब हमारे देश की परिस्थिति को सुधारना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह संशोधन पेश किया गया है उस पर यदि ठीक तरीके से ध्यान देंगे तो उनको यह मालूम हो जायगा कि यह संशोधन एक मिनट भी रुक नहीं सकता। आप इस संशोधन के द्वारा यह कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस मंत्री को या जिस उपमंत्री की निजी आमदनी एक हजार रुपया की है उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मंत्री या मुख्य मंत्री से आप यहां पर २४ घंटे काम लेंगे और वह सुबह से शाम तक यहां पर काम करते रहेंगे तो क्या वह अपनी अन्य निजी आमदनी कर सकते हैं? ऐसी सूरत में यह स्पष्ट है कि जो मंत्री या उप-मंत्री या मुख्य मंत्री की आमदनी और जरिये से नहीं हो सकती है तो फिर उनको तनख्वाह देना लाजिमी हो जाता है।

आपने और भी दूसरी दलील पेश की कि निजी सम्पत्ति किसी व्यक्ति की कोई नहीं होती है, जितनी सम्पत्ति वह पैदा करता है वह देश की होती है। इस रूप में भी अगर देखा जाय तो किसी मंत्री महोदय की कोई भी आमदनी नहीं होती है। ऐसी सूरत में मेरा यह निवेदन है कि उनके संशोधन द्वारा ही यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी मंत्री को कोई निजी आमदनी नहीं है। इसलिये उन्हें वेतन देना आवश्यक हो जाता है। दूसरा जो संशोधन में उनका वाक्य है उसके मानी यह होते हैं कि जिस मंत्री की निजी आमदनी १ हजार से कम होगी उसे इतना वेतन दिया जायगा ताकि उसकी आमदनी १ हजार मासिक हो सके। यानी वे यह चाहते हैं कि कम से कम १००० रुपया माहवार एक मंत्री को मिले। सरकार की ओर से १२०० रु० रखा गया है और उनके ऊपर के वाक्य से यह साबित हो गया है कि किसी मंत्री को कोई निजी आमदनी नहीं होती तो ऐसी सूरत में सिर्फ २०० रुपये का मसला रह जाता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी सरकार की ओर से १२०० रुपया दिया गया है तो उचित है।

आप अगर किसी मंत्री के यहां जावें तो आपको मालूम होगा कि उनके यहां महीने में कुछ नहीं बचता है। जब मंत्रीगण जेल जाया करते थे तो उनका खबर लेने के लिये कोई भी उनके पास नहीं आया करता था लेकिन अब न मालूम कहां के रिश्तेदार, जिनके कभी दर्शन भी नहीं हुये, वे हर महीने उनके यहां पहुंचते हैं और इस प्रकार मंत्रियों के पास महीने में कुछ नहीं बचता है। मैं निवेदन करूंगा कि गुप्ता जी ही को लीजिये उनके यहां बालबच्चे भी नहीं हैं। उनके यहां देखिये कि महीने में कुछ बचता भी है? तो ऐसी बात करना कि वेतन में कमी हो, अनुचित है।

आपने कहा कि आप एक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। आप समग्र वाद को लेकर एक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। ठीक है, जब आपकी व्यवस्था होगी तब आप उसको पेश कीजिए। इस समय जो व्यवस्था कायम करने का प्रयत्न किया जा रहा है वह महात्मा गांधी जी के उसूलों के अनुसार है। १२०० रुपया बहुत ज्यादा नहीं है बल्कि उचित है। इसलिये मैं आपके द्वारा विरोधी दल वालों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस संशोधन को वापस ले लें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री पद्म नाथ सिंह---माननीय अध्यक्ष, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं इस संशोधन के स्वीकार होने से हमारा पूरा समाज प्रतिक्रियावादिता की ओर चला

जायगा। यह संशोधन ऐसा है कि यदि यह स्वीकृत हो गया तो शासन का भार उन व्यक्तियों के हाथ में सौंपा जायगा जिनकी निजी आमदनी बहुत लम्बी-चौड़ी है। हमारे प्रस्ताव के अनुसार १२०० रु० लेने के लिये कहा गया है। संशोधन में इस प्रकार कहा गया है जो मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं

"उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और मंत्री को जिसकी निजी आमदनी एक हजार रुपया मासिक या उससे अधिक होगी, कोई वेतन नहीं दिया जायगा। जिस मंत्री या मुख्य मंत्री की निजी आमदनी एक हजार रुपया मासिक से कम होगी उसे उतना मासिक वेतन दिया जायगा कि उसकी कुल आमदनी एक हजार रुपया मासिक हो सके।"

अब मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिसकी निजी आमदनी एक हजार रुपये होगी उसके पास बड़ी लम्बी चौड़ी प्राइवेट पूंजी होगी। वह एक बड़ा भारी पूंजीपति होगा। यदि वह बड़ा भारी जमींदार या ताल्लुकेदार है तो मेरा ख्याल है कि २५ हजार रुपया सरकारी मालगुजारी देता होगा तब उसकी एक हजार रुपया महीना आमदनी होगी। इसी प्रकार अगर कोई मिल चलाता होगा तब उसकी आमदनी एक हजार रुपया होगी। अगर वह वकील या डाक्टर होगा तब तो उसकी आमदनी खत्म हो जायगी। इसलिये इस संशोधन के अनुसार अगर कोई निजी आमदनी का आदमी मुख्य मंत्री या मंत्री बन गया, तो वह कोई बड़ा जमींदार, या मिल मालिक या पूंजीपति होगा। इस तरह से संशोधन के द्वारा विरोधी दल यह चाहता है कि देश के साधन का भार उनके हाथ में चला जाय जिनका वे हमेशा विरोध किया करते हैं और जो पहले बलिदान किया गया है उसको छोड़कर, प्रगतिशीलता को छोड़कर हम प्रतिक्रियावादिता की ओर जांय। इसलिये पूरा देश और पूरा समाज इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता है और मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस संशोधन द्वारा जो समाजवादी पार्टी गम्भीर खतरा उपस्थित कर रही है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कह नहीं सकता कि वे जिस प्रकार कहते हैं उसी प्रकार आचरण भी करना चाहते हैं या नहीं। वे कहते कुछ हैं और करना कुछ चाहते हैं वे प्रतिक्रियावादिता की ओर जाना चाहते हैं।

विरोधी दल के नेता ने बहुत हिसाब किताब लगा करके यह पेश किया है कि किस तरह से समाज में श्रम से पूंजी बनती है और वह राष्ट्र की सम्पत्ति होनी चाहिए। मैं इस बात को सत्य मानता हूं परन्तु यह कहना चाहता हूं कि यदि आपके ऐसे विचार हैं तो आपका अलग से एक सुझाव होना चाहिये था कि निजी पूंजी का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय। ऐसी दशा में जो आंकड़े उन्होंने पेश किये थे उनका क्या संबंध इस संशोधन से है, कुछ समझ में नहीं आता है। यदि वे यह चाहते हैं कि निजी सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये तो इसके लिये दूसरा प्रस्ताव आना चाहिये, परन्तु यहां इस संबंध में इतने लम्बे-चौड़े भाषण का कुछ अर्थ समझ में नहीं आता है।

विरोधी दल के नेता ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी के कहने के अनुसार तनख्वाहें कम होनी चाहिये और इसलिये यह संशोधन स्वीकार होना चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि महात्मा गांधी ने जो बार बार कहा उसका समाजवादी दल की ओर से हमेशा विरोध हुआ। महात्मा गांधी की चर्खानीति की समाजवादी दल ने खिल्लियां उड़ाई, महात्मा गांधी की अहिंसावादी नीति की समाजवादी दल ने खिल्लियां उड़ाईं, उनकी विकेन्द्रीयकरण की नीति की समाजवादी दल सन् ४४ तक खिल्लियां उड़ाता रहा। तो महात्मा गांधी की बातों को वे इस प्रकार समझते हैं कि जब कोई बात उनके अनुकूल न हो, तो खिल्लियां उड़ायें, और जब उनके अनुकूल हो तब समर्थन करें। उनकी यह बात न मेरी समझ में आयी है और न इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों की समझ में आयी है। इसलिये मैं फिर बतला देना चाहता हूं कि वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वे राग अलापते हैं प्रगतिशीलता के परन्तु कार्य करते हैं प्रतिक्रियावादिता के।

[श्री पद्मनाथ सिंह]

एक बात और बड़े जोरों से कही गयी है । कार्ल मार्क्स के सिद्धांत बतलाते हुये उन्होंने कुछ लम्बे-चौड़े आंकड़े पेश किये हैं। इसमें यदि कम्युनिज्म के सिद्धांतों के आंकड़े पेश करना चाहते हैं तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वह बात भी बहुत पुरानी हो गयी है बहुत पीछे छूट गयी है। सन् १८४८ में कार्ल मार्क्स ने पहले पहल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कैपिटल में लिखा था और फिर १८६० में लिखा था उसको आज १०० वर्ष हो चुके अब जमाना बहुत आगे चला गया है । जब कार्ल मार्क्स ने लिखा था न तो तब एडल्ट फ्रैंचाइज (व्यस्क मताधिकार) था न यह जमाना था । उस जमाने में उसने लिखा था कि शासन शोषण का एक साधन है । उसने यह भी लिखा था कि वहां के राज्य को जबर्दस्ती छीन लिया जाय। लेकिन आज न तो वैसी परिस्थिति है और न समाजवादी दल उस परिस्थिति को चाहता है और न उसकी हटाने की राय है । वह तो एजीटेशन द्वारा, वाद-विवाद द्वारा और जिस प्रकार ट्रेजरी बैंचेज चाहती हैं उसी तरीके से वह भी करना चाहता है। इसलिये उस आंकड़े की न तो रेलेवेंसी (संगति) थी और न संशोधन के संबंध में वह बात समझ में आयी । यह बात सही है, जैसा कि माननीय ठाकुर हुकुम सिंह ने कहा कि इस संशोधन को स्वीकार करने में कानून बनाने से दिक्कत है, इसलिये मैं इस संशोधन का नम्रतापूर्वक विरोध करता हूं और इस सदन के सदस्यों का, विरोधी दल के सदस्यों का और विरोधी दल के नेता का भी ध्यान आकर्षित करता हूं कि जितनी बातें वे स्वयं करते हैं और जैसा कानून वे बनाना चाहते हैं यह संशोधन स्वयं उनकी इच्छा के प्रतिकूल है और इससे उनका काम नहीं चल सकता है । यह संशोधन खतरनाक है और इसके स्वीकार करने से शासन सत्ता जनता के हाथ में नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हाथ में चली जायगी ।

श्री जयपाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर बहस को बन्द करने के लिये प्रस्ताव लाने की आज्ञा चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष,—जी हां, आपको आज्ञा है । आप प्रस्ताव लाइए ।

श्री जयपाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर अब बहस बन्द की जाय ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजनारायण—प्रमुख महोदय, मैं आप के जरिये सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे संशोधन के विरोध में अभी एक वक्ता महोदय ने कहा कि हमारे संशोधन के स्वीकार हो जाने से पूंजीपतियों के हाथ में सारी सत्ता चली जायगी । मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि ऐसा भ्रम क्यों उत्पन्न हुआ । भ्रम है, क्योंकि संशोधन हमारा कहता है कि पूंजीपति को एक मिनिस्टर के पद पर आ जाने से एक पैसा नहीं मिलेगा, तो किसी पूंजीपति को अगर पैसे के लालच से मिनिस्ट्री में आना है तो वह आयेगा ही नहीं । मगर हां, अगर कोई गरीब है, उसके पास एक पैसा भी जीवन निर्वाह का साधन न हो, वह जरूर मंत्री पद पर आसीन हो सकता है और एक हजार रुपये महीना तनख्वाह ले सकता है । इसलिये यह बुद्धि-विभ्रम जो हमारे सदस्य को हो गया है, प्रमुख महोदय, मैं आप के जरिये कहता हूं कि वह बुद्धि-विभ्रम जन्य भ्रान्ति में विचरण न करें । वह समस्या को ठंडे दिल से सोचें और समझें ।

दूसरी ओर हमारे इस संशोधन के विरोध में कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि अगर यह संशोधन मान लिया जायगा तो इसमें कुछ कानूनी गड़बड़ियां रह जायंगी । हमारे मंत्री, माननीय श्री हुकुम सिंह जी ने कुछ कानूनी गड़बड़ियों का स्मरण दिलाया । मैं निहायत अदब के साथ प्रार्थना करता हूं कि अगर वे उस उद्देश्य को मानते हैं कि १ और १० की संख्या स्थापित

होनी चाहिये तो प्रस्तावक महोदय से कहें कि वह उसको वापस ले लें । कोई कमेटी बैठा दें और वह कमेटी बैठ करके जो छोटी मोटी इधर-उधर की बातें रखनी होंगी उसको कर लेगी। इस संबंध में आगे संशोधन आयेगा। इसलिये इस वक्त कहना केवल यह है कि इसको कार्यान्वित करने के लिये जो राज्य सरकार है वह नियम बनायगी और उस नियम को इस सदन के सम्मुख उपस्थित करेगी और उस पर अन्तिम रूप से विचार हो और कोई कमेटी बैठाई जाय निजी आमदनी जांचने के लिये। उस कमेटी की रिपोर्ट फिर सदन के सामने आये। यह संशोधन के आगे वाले हिस्से में है। इसलिये मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे संशोधन के विरोध में सैद्धान्तिक तौर पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी । अगर सैद्धान्तिक ढंग की कोई आपत्ति नहीं है तो आपको कबूल करने में क्या हर्ज है।

हमारे एक वक्ता महोदय ने बताया कि हम तो एक हजार रुपया देते हैं और मंत्रीगण १,२०० लेते हैं, तो १,२०० लेने की हठवादिता में क्यों पड़े हुये हैं। मैं उन माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वह प्रस्तावक महोदय से हमारी ओर से अपील करें कि अगर इतना ही अन्तर है तो उस अन्तर को दूर करके हमारे संशोधन को सहर्ष स्वीकार कर लें । आगे मैं जितनी बातें हमारे संशोधन के विरोध में कही गयीं उनकी ओर तमाम सम्मानित सदस्यों का ध्यान अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिलाना चाहूंगा कि वह संशोधन को स्वीकार करते समय जरा ठंढे चित्त से इस पर विचार करें ।

हमारे मित्र नारायण दत्त तिवारी ने इसी सिद्धान्त को पहले वादविवाद के समय आप के सामने अच्छी तरह से उपस्थित किया । इस सदन में जो वादविवाद हुये उनसे जो ध्वनि प्रतिध्वनित होती है वह इस संशोधन का समर्थन करती है । इस संशोधन से जैसा कि आपके सामने बताया गया कि जीवन के हर क्षेत्र में एक व्यवस्था स्थापित होगी। हम यह नहीं कहते कि मंत्री महोदय को ही एक हजार रुपये में बांध दो, और दूसरों के लिये न बांधा जाय। आप जीवन के किसी क्षेत्र में जाइये, एक हजार रुपये मासिक से ज्यादा आमदनी किसी की किसी भी प्रकार नहीं हो सकती , चाहे वह मकान के किराये के जरिये हो, या उद्योग-धंधों के जरिये, या किसी दूसरे रोजगार के जरिये हो। हर क्षेत्र में जो मीन्स आफ प्रोडक्शन (उत्पत्ति के-साधन) हों, जो मीन्स आफ इनकम (आय के साधन) हों वहां इस प्रकार व्यवस्था कीजिये, इस ढंग से प्लानिंग (संविधान) कीजिये कि एक हजार रुपये से ज्यादा जिसकी आमदनी हो वह आमदनी समाज के अर्थ में खर्च हो। एक हजार से नीचे वाली को आप निजी ढंग पर खर्च करने के लिये छोड़ दीजिये। मगर आप एकाएक इस तरह से ड्रास्टिक स्टैप (कठोर क़दम) नहीं उठा सकते, तो अगर हमारे कोई सम्मानित सदस्य या साथी हमारे संशोधन को इस डर से ठुकराने के लिये जाते हैं कि सारी आर्थिक व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जायगी, अराजकता फैल जायगी, तो मैं उनसे निहायत अदब के साथ निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इस डर से इस संशोधन को ठुकरावें नहीं। यह संशोधन उत्तर प्रदेश की शान और मर्यादा का संशोधन है । और हमारे मूल प्रस्तावक महोदय इस संशोधन को स्वीकार कर के मूल प्रस्ताव को परिवर्द्धित और परमार्जित करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का यह सदन गौरवान्वित होगा और एक आदर्श प्रस्तुत करेगा, दूसरे प्रदेशों और दूसरी सरकारों के लिये । उत्तर प्रदेश जैसा कि बार बार कहा जाता है, मुझे खुशी होती है कि हमारे देश का सबसे प्रधान प्रदेश है । गंगा जमुना की पवित्र धारायें यहां बहती हैं। यहीं से इस प्रकार के सिद्धान्त प्रतिष्ठित होने चाहिए । जैसा कि हमने बतलाया बम्बई के सूबे में स्टैंडर्ड आफ लिविंग (जीवन-स्तर) ज्यादा है, मगर वहां के मंत्रियों ने आप से कम तनख्वाह लेने का प्रस्ताव पेश कर दिया है । यह बातें भी हमारे संशोधन के समर्थन में आती हैं। अगर आप इससे हमारे संशोधन का समर्थन करने के लिये एक कदम आगे नहीं बढ़ते, तो मैं आप से अपील करूंगा, आपकी उदारता को लेकर, आपके त्याग को लेकर, उत्तर प्रदेश में जिसमें गंगा-यमुना जल प्रवाहित करती हैं उसको लेकर आप क्यों नहीं आगे बढ़ कर आदर्श प्रतिष्ठित करते हैं कि हम अपनी निजी आमदनी भी देश की आमदनी मानते हैं। इस को कबूल करते हैं तो इसको कार्यान्वित करने में क्यों हिचकिचाते हैं ?

माननीय अध्यक्ष--माननीय सदस्य फिर दोहरा रहे हैं। मुझे अब कहना पड़ेगा कि माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। अब आप को मौका नहीं है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अध्यक्ष महोदय, जो यहां वाद-विवाद इस संशोधन के संबंध में हुआ है मुझे कुछ ऐसा लगा कि वह कोई वास्तविकता नहीं रखता। उसमें एक कृत्रिमता की झलक लगती थी। जो यहां पर संशोधन पेश किया गया है वह यह है कि एक हजार रुपया वेतन दिया जाय उसमें जिसकी निजी जो कुछ आमदनी हो उससे निकाल दी जाय। जो पहले इस संशोधन के प्रस्तावक महोदय ने व्याख्यान दिया उसमें तो इस बात के लिये ज्यादा कहने का यत्न किया गया कि जो ज्यादा से ज्यादा आमदनी किसी की यहां मंजूर की जाय वह छोटी से छोटी आमदनी से दस गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके आधार पर यह एक हजार की रकम रखी गयी। यह सिद्धांत अच्छा है या बुरा, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर दस के बदले बारह हो जाय, तो कोई बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परन्तु जैसा कि मैंने कहा यह तो एक समाज के संगठन को बदलने की बात है। यदि हम कोई अलहदा कानून लायें और उसमें यह करें कि एक हजार से अधिक जिसकी आमदनी हो उसको उसे सरकार में देना पड़ेगा तब फिर यह हो सकता है। यह तो एक सिद्धांत को मानने की बात है, जो एक व्यापक सिद्धांत हो सकता है। लेकिन विशेष कर जो यहां मंत्री के रूप में सेवा करते हैं, सिर्फ उनके लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब जब तक हम इन बातों को मानते हैं कि हमारे यहां जो काम करने वाले हैं चाहे किसी क्षेत्र में हों, उनकी आमदनी अगर एक हजार से ज्यादा भी है तो इनकम टैक्स तीन रुपया फी सैकड़ा लगता है, या चार या पांच या दस रुपया फी सैकड़ा लगता है यानी हम उनके लिये ९० फी सैकड़ा रहने देते हैं कुछ हद तक, उससे ज्यादा आगे जा कर ७० फी सैकड़ा रहने देते है। ऐसी हालत में सिर्फ मंत्रियों के लिये एक नियम बनाना, वह जो हमारे समाज का संगठन है, और जिन नियमों को हम इस वक्त मान रहे हैं, उसके आधार स्वरूप की बात हो जाती है और उसके लिये कोई स्थान नहीं रहता। वैसा करना हितकर है या नहीं, यह सवाल मैं नहीं उठाता लेकिन यहां पर वह किसी तरह से लागू नहीं होता है। किसी रूप में किसी को कोई आमदनी है और वह अगर एक हजार से अधिक होगी तो वह नहीं रख सकता, यह चीज एक व्यापक चीज होनी चाहिए जो सब पर लागू होगी न कि सिर्फ मंत्रियों ही पर। मगर विरोधी दल के नेता का यह कहना कि एक से हजार तक आमदनी हो तो वह रख सकता है और जो एलाउन्स वगैरह उसको मिलते हैं वह भी रख सकता है लेकिन मंत्री होने पर उसको सजा दी जाय कि वह उसको नहीं रख सकता, तो यह नियम लागू नहीं हो सकता है। अगर कोई इस तरह का कानून बने कि जिनकी आमदनी एक हजार से ज्यादा हो वह सब सरकार में चली जाय तब तो इस पर विचार हो सकता है। इस तरह का कानून भी यहां नहीं बन सकता है, वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। हमें उसका अधिकार नहीं है। आप एक हजार की बात कहते हैं। हमने तो खुद ही घटा कर १,२०० रखे हैं। यह कोई दलील नहीं है कि हमने १००० रखा है, इसलिये वही मान लेना चाहिये, आप १००० रखते हैं, हमने १,२०० रखे हैं, इसमें कोई बहुत अन्तर नहीं है। जो हद आप १ हजार में बांधते हैं वही १,२०० पर भी हो सकती है। इस बारे में मैं पहले काफी कह चुका हूं, ज्यादा दोहराना नहीं चाहता।

बम्बई की मिसाल दी गई। मगर प्रस्तावक महोदय को मानना होगा कि बम्बई में पहले से वेतन बढ़ाया गया है। हमने तो घटाया है। तो हमने बम्बई के मुकाबले में भलाई की या बुराई की। बम्बई में पहले जिस तरह से वेतन मंत्रियों का था अब वह करीब-करीब दुगोड़ा हो गया है। हमने तो कम किया है। बम्बई की मिसाल दे कर फायदा क्या हुआ? अगर बम्बई में बढ़ाया गया है तब तो यह चीज लागू होती है कि हम भी बढ़ाते। क्या करना मैं समझता हूं कि कोई दोष नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी के बहुत से मेम्बर हैं जिन की आमदनी एक हजार से ज्यादा है और वे उस जायद आमदनी को पार्टी फंड में नहीं देते हैं।

उसमें अच्छे योग्य व्यक्ति हैं जिनको अच्छी आमदनी होती है और बहुत से अच्छे लोग हैं, जो एक हजार से ज्यादा आमदनी करते हैं ।

इंगलैण्ड में लेबर पार्टी है जिसको सोशलिस्ट पार्टी ही समझना चाहिये । उसका वहां शासन रहा । उन्होंने वहां कोई ऐसा नियम नहीं बनाया और न पहले से उन्होंने मंत्रियों की सेलरी या एलाउन्स कम किया और कभी नहीं किया कि किसी को निजी आमदनी का लिहाज किया गया हो । मैं समझता हूं कि वहां की सोशलिस्ट पार्टी ज्यादा मजबूत है और वह किसी तरह से यहां की सोशलिस्ट पार्टी से कम सिद्धांत को मानने वाली नहीं समझी जा सकती है । न्यूजीलैण्ड में भी लेबर गवर्नमेंट है वहां की सोशलिस्ट पार्टी ने भी वहां ऐसा नहीं किया कि निजी आमदनी का शुमार इस तरह से किया हो या जिनकी आमदनी एक हजार पौंड की या कोई इस तरह की लिमिट लगाई हो कि इतना दिया जाय । न वहां एक गुना और दस गुना या १२ गुने की बात की गई और न ऐसा फ़र्क माना गया ।

उत्तर प्रदेश में जो साम्यवाद की चर्चा है वह नैसर्गिक नहीं है । जिनको बाहर की बातें देखने का अवसर मिला है वह अगर इस चीज को व्यापक रूप में देखें तो उनको यह बात बिलकुल अजीब सी लगेगी । यह बात कहीं भी नहीं है । सोवियट रूस में भी यह बात नहीं है । आज भी वहां जो फ़ैक्टरीज के मैनेजर हैं उनको लाखों की आमदनी है । वहां के लेखक जो हैं । उनकी आमदनी लाखों रूबल में पहुंचती है मगर किसी तरह की दस्तंदाजी नहीं होती । यह होता है कि मरने के बाद जो उनका रुपया है, पैसा है उसका क्या हो यह दूसरी बात है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि जो उसकी आमदनी है उसे छीन लिया जाय । इसलिये मुझे खेद है कि मुझे इसमें कोई तत्त्व नहीं मालूम होता ।

एक बात और भी है कि अगर किसी के पास निजी आमदनी होगी । जितने भी मंत्री होते हैं उनमें आपस में पारस्परिक सम्मान और समानता का व्यवहार होता है । इसलिये अगर किसी के पास निजी आमदनी है और वह तनख्वाह नहीं लेता और जिनकी निजी आमदनी नहीं है और वह तनख्वाह लेते हैं तो इसमें भेद भाव पैदा होता है । वह समझने लगता है कि मैं बिला तनख्वाह काम करता हूं । इसलिये जो वेतन लेता है उससे मैं ऊंचा हूं । तो इस तरह का आपस में पारस्परिक भेदभाव पैदा होता है । इसलिये यह चीज नहीं होनी चाहिए ।

इसके अलावा और बहुत सी मौलिक बातें कही गईं उनका उत्तर मैं नहीं दे सकता और शायद आवश्यकता भी नहीं है और मुझमें योग्यता भी कम है । मगर जो बातें साधारण बातों से संबंध रखती हैं वह मैंने आपके सामने रख दी है । इस संशोधन के प्रस्तावक तो इसको वापस लेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने इसको सिद्धांत का प्रश्न बना दिया । उनकी समझ में बात भले ही आ जाय, लेकिन वह इसको वापस नहीं लेंगे । चाहे भले ही यह न्याय की बात हो या बुद्धिमत्ता की बात हो, मगर फिर भी वापिस नहीं लेंगे, क्योंकि वह मजबूर हैं । मैं आशा करता हूं कि भवन इसको स्वीकार नहीं करेगा ।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड २ रखा जाय:—

"२—उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्य मंत्री और मंत्री को जिसकी निजी आमदनी एक हजार रुपया मासिक या उससे अधिक होगी, कोई वेतन नहीं दिया जायगा । जिस मंत्री या मुख्य मंत्री की निजी आमदनी एक हजार रुपया मासिक से कम होगी उसे उतना मासिक वतन दिया जायगा कि उसकी कुल आमदनी एक हजार रुपया मासिक हो सके" ।

प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

हां—२० ,
नहीं—२५७ ।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंश हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

बिना किराए का सुसज्जित निवास-स्थान।

३--(१) इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री लखनऊ के पूरे वर्ष के लिये तथा उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे स्थान में तथा ऐसी अवधि के लिये जिसे इस विषय में राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों द्वारा निर्धारित किया जाय, बिना किराये या सुसज्जित निवास स्थान उससे संलग्न भूमि सहित पाने का अधिकारी होगा और उसका रख-रखाव सार्वजनिक व्यय से होगा।

(२) प्रत्येक उप-मन्त्री एक सौ रुपया प्रति मास मकान के किराये का भत्ता पाने का अधिकारी होगा।

माननीय अध्यक्ष---(श्री राजनारायण से) मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूं कि खंड २ के पास हो जाने से यह संशोधन कि "पंक्ति १ में शब्द "प्रत्येक मंत्री" के उपरान्त शब्द "और मुख्य मंत्री" बढ़ा दिये जायं, आप पेश नहीं कर सकते क्योंकि वह अप्रांगत हो जायगा। दूसरा भाग कि पंक्ति ३ के शब्द "बनाये जाने वाले" के उपरान्त शब्द "और इस भवन द्वारा स्वीकृत" बढ़ा दिये जायं, इसको आप पेश कर सकते हैं।

श्री राजनारायण--प्रमुख महोदय, जैसा आपने आदेश दिया खंड तीन का चूंकि पहला अंश पास हो चुका इसलिये इसके संबंध में अब मुझे कुछ नहीं कहना है। दूसरा अंश मैं पेश करता हूं कि पंक्ति ३ में शब्द "बनाये जाने वाले" के उपरान्त शब्द "और इस भवन द्वारा स्वीकृत" बढ़ा दिये जायं। मूल प्रस्ताव जो आपके सामने है वह यों "इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री लखनऊ में पूरे वर्ष के लिये तथा उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे स्थान में तथा ऐसी अवधि के लिये जिसे इस विषय में राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों द्वारा निर्धारित किया जाय, बिना किराये का सुसज्जित निवास स्थान उससे संलग्न भूमि सहित पाने का अधिकार होगा और उसका रखरखाव सार्वजनिक व्यय से होगा।"

मूल प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक मंत्री को, जो यह अधिकार होगा कि उसे एक सुसज्जित निवास-स्थान मिले और उससे संलग्न जो भूमि हो उसका रख-रखाव भी सार्वजनिक व्यय से हो। यह व्यय कैसे होगा यह सदन के सामने उपस्थित नहीं होगा। इसलिये जब मैंने इसको संशोधित करने की बात सोची थी तो एक संशोधन में पूरे तरीके से व्यवस्था कर दी थी कि इतना रख-रखाव में खर्च हो और इतना निवास-स्थान के सुसज्जित करने में व्यय हो। लेकिन इसमें यह रकम गोल है। मैं माननीय प्रमुख द्वारा सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने वे आंकड़े भी उपस्थित होने चाहिये कि एक मंत्री के भवन को सुसज्जित करने में कितना खर्च होना चाहिये और जो भूमि उसके निवास-स्थान से संलग्न हो उसके रख-रखाव में कितना खर्च होता है। इन बातों पर प्रकाश पड़ना चाहिये। जो नियम या उपनियम सरकार बनाये वह कार्यान्वित होने के पहले सदन के सम्मुख आने चाहिये। अगर आप यह संशोधन इसमें नहीं रखेंगे तो आप एक बहुत बड़ा अधिकार मंत्रियों को दे रहे हैं।

हम चाहते हैं कि भवन में यह विचार कर लिया जाय कि सजावट जो होनी चाहिये वह भारतीय ढंग से होनी चाहिये या अंग्रेजी ढंग से और उसमें कितना रुपया खर्च होगा, क्योंकि दोनों ढंगों में बड़ा फर्क है। भारतीय ढंग, भारतीय परम्परा, तथा उसके अनुसार मकान को सजाने की कलाविधि क्या है, इससे भी आप परिचित होंगे। हम जिन भी मंत्रियों के मकानों में गये और वहां जब इस बात की कोशिश की कि वे किस ढंग के हैं तो हमने वहां

भारतीयता की झलक बहुत कम पाई। भारतीय सजावट क्या होगी? इसको भी माननीय मंत्रियों को बताना होगा। इसलिये इस संशोधन के द्वारा अपने सब सम्मानित सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस संशोधन को अवश्य स्वीकार कीजिये। इस संशोधन में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। प्रस्तावक महोदय को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि उन्हीं को स्वयं बैठकर यह सोचना है कि किस प्रकार की सजावट उनको प्रिय है, किस प्रकार का रख-रखाव उनको करना है और उसमें कितना खर्चा वे करना चाहते हैं। आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि विरोधी दल के सदस्य भावावेश में आकर इस संशोधन को ठुकरा न दें।

मैं प्रमुख महोदय के द्वारा सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस पर ठंडे दिल से विचार करें। हमारा संशोधन अभी गिर गया, क्यों गिरा, इस पर भी विचार करना होगा, लेकिन केवल इसी विचार से आगे भी हर एक संशोधन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिये सम्मानित सदस्यों को अपना दृष्टिकोण नहीं बना लेना चाहिये। वह यह कि उन्हें केवल इसी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये कि यह संशोधन सोशलिस्ट पार्टी की ओर से उपस्थित किया गया है। आप यह न सोचें कि जो बातें ये पब्लिक मीटिंग में कहते थे उन्हीं को यहां रख रहे हैं। अगर यही तरीका अपनाया गया तो प्रमुख महोदय वह गलत होगा। चुनाव और वोट के बारे में जो कहा जाता है उसके बारे में तो हमारी आपत्ति है। आपको जो बहुमत प्राप्त हुआ है वह कैसे हुआ है ....

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य चुनाव के बारे में यहां कुछ न कहें, उनको संशोधन पर जो कुछ कहना है कहें।

श्री राजनारायण—माननीय प्रमुख महोदय, मैं यह इसलिये कह रहा था कि बहुमत दल के सदस्य उस बात को ध्यान में रख कर फैसला न कर लें जिसके लिये कि हमारा चार्ज (आरोप) स्वयं है। बहुमत दल का यह कहना कि अगर जनता हमारे साथ होती तो वह चुनाव में हमारा साथ देती, वह उनके साथ न जाती। इसके लिये तो हमारा चार्ज है ही। इसे आप बार-बार क्यों दुहराते हैं। अब मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस संशोधन पर ढंडे दिल से विचार करें और मुझे आशा है कि किसी को भी इस संशोधन को मानने में आपत्ति नहीं होगी। इस संशोधन में सिर्फ एक बात है कि जो भी नियम या उपनियम आप बनायें वे इस सदन के सामने पास होने के लिये लाये जायं। मेरा खयाल है कि इस बात के मानने में कोई एतराज नहीं होगा।

माननीय श्री गोविन्द वल्भ पन्त—अध्यक्ष महोदय, जो विधान का नियम है वह यह है कि जो मूल सिद्धांत होते हैं वे तो कानून के द्वारा ही सदन के द्वारा बनाये जाते हैं और जो उपनियम होते हैं, जो कि गौण बातें होती हैं वे सरकार के द्वारा निश्चित की जाती हैं। उन नियमों के संबंध में, जब कभी भी बजट पेश होता है पूरा विवरण पेश हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी छोटे-छोटे प्रश्न आदि कर सकते हैं। नियम और उपनियम की और बात है, कानून और नियम में अन्तर है। अगर उसके अनुसार काम किया जायगा तो इस सदन का काम कभी खत्म ही नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त जहां तक कि माननीय मंत्रियों का काम है, उनको प्रांत की बहुत जिम्मेदारी के काम करने होते हैं। सारा बजट उनके अधीन होता है। करोड़ों रुपया उनके हाथ से खर्च किया जाता है। उनके कर्त्तव्य उनको इस बात के लिये मजबूर करते हैं कि वे इस तरह के काम करें। ऐसी अवस्था में कोई कारण नहीं मालूम होता कि एक कानून सरकार द्वारा बनाया जाय और फिर उसके बाद इस तरह के नियम बनाने की जरूरत पड़े। वह तो सरकार के हाथ में ही रहने चाहिये। पहले से भी अब तक बराबर यही रवैया रहा है। फिर कोई कारण नहीं मालूम होता कि अब क्यों इसमें परिवर्तन किया जाय। इसलिये मुझे खेद है कि मुझे इस संशोधन का विरोध करना पड़ता है।

श्री राजनारायण ––प्रमुख महोदय, इस सदन में आगे भी कुछ प्रस्ताव पेश होने वाले हैं कि सदस्यों के वेतन और भत्ते के संबंध में उसकी जो धारायें चलती हैं उसकी एक धारा में यह वाक्य जोड़ दिया जाय कि आगे जो नियम उपनियम बनेंगे वह समय-समय पर विधान मंडल द्वारा अवधारित करेंगे। उसे विधान मंडल में पेश करने की बात कहते हैं, इसलिये मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अगर अब तक इस तरह की कोई बात न भी रही हो तो अगर यह अच्छी बात है और इसके मालिक हम ही हैं, नियम बनाने वाले हम ही हैं और वे नियम हमारे ही ऊपर लागू होंगे तो यह चीज अच्छी नहीं मालूम होती कि इसका भार दूसरे के ऊपर सुपुर्द कर दें। इसलिये मैं फिर भी अपील करूंगा, कर्बद्ध प्रार्थना करूंगा, साग्रह निवेदन करूंगा कि अगर वे हमारे इस संशोधन को स्वीकार करते हैं तो इससे मर्यादा सुरक्षित होगी, शान सुरक्षित होगी, प्रतिष्ठा सुरक्षित होगी और सदन के किसी सदस्य को यह उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं रह जायेगी कि मंत्रियों ने मनमाने ढंग से अपने रख रखाव के लिये खर्चे का इंतजाम कर लिया, मंत्रियो ने मनमाने ढंग से अपने भवन को सजाने के लिये खर्च किया। इसलिये जब कि पहले से यह सवाल उठा हुआ है और जब सूबे के कोने-कोने से इसके लिये कहा जाता है तो मैं आपके द्वारा निहायत अदब के साथ अपने उन बहुमत दल के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे जरा अपनी छाती पर हाथ धरें कि इस सदन के बाहर तो वे कहते हैं कि भाई तुम्हारा संशोधन बहुत सुन्दर है और इसीलिये मैंने इस सदन में डिवीजन कराया ताकि उनको कहने का अवसर न मिले कि अगर हम डिवीजन कराते तो मैं भी फ्लोर क्रास करता। तो मैं अपने बहुमत दल के सदस्यों से निहायत अदब के साथ प्रमुख महोदय के जरिये अपील करूंगा कि भाई, उस आत्मा से जो सच्ची बात निकलती है, जो समय की पुकार है उसे इस छोटे से भवन में खुल कर क्यों नहीं कहते, बाहर तर्क करने के लिये तो कहते हैं लेकिन सामने नहीं आना चाहते। पर्चे बंटवाते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिये से बंटवाते हैं कि सदस्यों को तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिये और मंत्रियों की तनख्वाह ज्यादा होनी जाहिये। यह सारी बातें करते हैं।

मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र उधर की ओर बैठने वाले इसके पक्ष में अपना मत प्रकट करेंगे और डिवीजन के समय हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। यह हमारा संशोधन एक उचित संशोधन है और आप अगर इसको स्वीकार करेंगे तो बाहर वालों को किसी को अंगुली उटाने का अवसर नहीं होगा। अगर आप बहुमत में आकर के मेरी उचित प्रार्थना को भी ठुकरा देंगे तो इससे देश का भला होने वाला नहीं है। इसलिये मैं फिर माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वह देश हित में मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें और किसी तरह से किसी दलदल में न फंसें और इसको स्वीकार करने से सबका लाभ है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मुझे कुछ नहीं कहना है।

माननीय अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "बनाये जाने वाले" के उपरान्त शब्द "और इस भवन द्वारा स्वीकृत" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

मूल प्रस्ताव यह है कि प्रत्येक उपमंत्री १०० रुपया प्रति मास मकान किराया का भत्ता पाने का अधिकारी होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है इसके पहले इसके दो अंश गिर चुके हैं। मुझे आशा थी कि बहुमत कृपा करके ठंढे दिल से विचार करने पर मेरे संशोधन को स्वीकार करेगा परन्तु इसके पूर्व हमारे दो संशोधन को वह अस्वीकार कर चुका है। उन में ही मिला-जुला यह तीसरा संशोधन हमने उपस्थित किया है। इस संशोधन पर हम उनसे

ही जोर के साथ आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि "प्रत्येक उपमंत्री एक सौ रुपया प्रतिमास मकान किराये का भत्ता पाने का अधिकारी होगा", यह निकाल दिया जाय। मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के जितने माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं उनके अन्दर इस प्रकार के त्यागी हैं कि जो ऐसे होनहार नौजवान हैं कि, जो उपमंत्री रहते हुये बिना एक पैसा लिये बिना तनख्वाह के काम कर सकते हैं। इसकी खबर मुझे बहुत अच्छी तरह से है। और यह रुपया जो बचेगा इसके द्वारा आप अपनी स्कीम चला सकते हैं और सकते हैं देश की भलाई का काम कर सकते हैं। विकास का काम कर और उससे दूसरा देश की उन्नति का काम हो सकता है। जब ऐसे योग्य होनहार न्यू ब्लड नौजवान आपके अन्दर मौजूद हैं, तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कि हम एक उपमंत्री के लिये मकान का किराया भी दें। हमारे पहले ९ मंत्री होते थे और अब १२ हो गये हैं। जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, एक मंत्री के ऊपर ५ और ६ हजार रुपये के बीच में खर्च होता है, तो इस तरह १५ हजार रुपया तो कम से कम माहवार हमारा बढ़ ही गया। अब इसकी क्या आवश्यकता रह जाती है कि उपमंत्री को तनख्वाह भी दें, भत्ता भी दें और मकान का किराया भी दें। इस सदन के सम्मानित सदस्य काउंसिलर्स रेजीडेंस में रहते हैं। एक उपमंत्री भी वहां रह सकता है और जो चाहे वही कमरा हम खाली कर सकते हैं और आफिस के लिये वुडन वाल (लकड़ी की दीवार) लग सकता है।

मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि थोड़ी देर में ही जो यह आदत सी पड़ गई है कि जो भी संशोधन आये उसे सोचो या न सोचो, अवश्य ठुकरा दो, कृपया इस बार ऐसा न करें। इसलिये मैं सम्मानित सदस्यों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि यह उपखंड निकाल दिया जाय। मैं प्रमुख साहब से प्रार्थना करूंगा कि ५ मिनट के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें ताकि हमारे बहुमत दल के लोग प्रमुख मंत्री के पास जावें और उनसे कहें कि विरोधी पक्ष का संशोधन बहुत अच्छा है और इसे स्वीकृत होना चाहिये। इस प्रकार से हाउस की मान और मर्यादा बढ़ेगी और प्रदेश का कुछ रुपया बच जावेगा।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मुझे खेद है कि इस संशोधन के संबंध में सिवा इसके कि राजनारायण जी ने यह संशोधन करना उचित समझा है और कोई दलील नहीं दी गई है। चूंकि वह इतने दल के साथ यहां नहीं हैं कि इस संशोधन को स्वयं ही मंजूर करा ले जावें, लिहाजा औरों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि इसे पास करें और न करें तो उनका निराधर होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी मौजूद हैं जो बिना कोई वेतन और मकान का किराया लिये काम करने के लिये तैयार हैं। यदि कोई वेतन न ले तो मकान तो सब ही को चाहिए। एक ओर यह कहना कि हम अल्पमत में हैं, तुम बहुमत में हो, इसलिये इसे स्वीकार नहीं करते हो और दूसरी तरफ यह दलील देना कि अल्पमत के संशोधनों को स्वीकार करना बहुमत वालों का कर्त्तव्य हो जाता है, ये दोनों बातें युक्तिसंगत नहीं हैं। हम लोगों की जहां तक सूझबूझ है उसके अनुसार इस बिल को बनाया गया है। जब तक हमें कोई काफी कारण इस बात के नहीं मालूम पड़ें कि जिससे हमें यह लगे कि जैसा हमने मसविदा बनाया है उसमें कोई संशोधन होने से उचित लाभ होगा, तो वह संशोधन नहीं होता है। और अगर इससे भी बुरा होता है तो वह भी संशोधन नहीं है। इस लिये मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं भवन के माननीय सदस्यों के सम्मुख माननीय राजनारायण जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। शायद जल्दी में हमारे कुछ संशोधन एजेंडा में आने से रह गये हैं जिन में एक संशोधन में यह भी लिखा था कि उपमंत्री शब्द ही हटा दिया जाय, क्योंकि हमारा विश्वास था कि भारतीय विधान के अनुसार इस भवन को अधिकार नहीं है कि हम कोई उपमंत्री नियत कर सकें। जहां पर कौंसिल आफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के शब्द लिखे थे, वहां पर डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के शब्द विधान में नहीं थे। चूंकि भारतीय विधान में इस प्रकार

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

का कोई टर्म नहीं था, इसीलिये हमने एक इस प्रकार का संशोधन उपस्थित किया था कि डिप्टी मिनिस्टर रखने का हमें कोई अधिकार नहीं है और यह शब्द उड़ा दिया जाय। परन्तु वह संशोधन शायद जल्दी में नहीं आ सकता है। इसके अलावा हमने मुख्य मंत्री का शब्द इसलिये जोड़ा चूंकि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में चीफ मिनिस्टर शामिल है, तो हमारा यह विश्वास है कि विधान में डिप्टी मिनिस्टर या इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है। यह हो सकता है कि बम्बई में या और किसी स्टेट में डिप्टी मिनिस्टर रख लिये गये हों लेकिन इस भवन के लिये यदि यह आवश्यक है कि हम विधान को मानें, तो इस भवन को यह निश्चय कर देना चाहिये कि हम डिप्टी मिनिस्टर नहीं रखेंगे।

इसके साथ ही साथ एक और उसूल की बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे मुख्य मंत्री जो सन् १९३७ में भी मुख्य मंत्री थे, उस समय मंत्रियों के मकान वगैरह के बारे में विरोधी दल के नेता ने इसी तरह का प्रश्न उठाया था और उसके उत्तर में जो हमारे मुख्य मंत्री ने कहा था उसे मैं पढ़ देना चाहता हूं। यदि इस भवन को और आपको कोई आपत्ति न हो। मुझे विश्वास है कि उस समय जो उनके विचार थे उसी के अनुसार हम आज भी चलेंगे। उस प्रोसीडिंग में यह है——

"I must confess at the outset that I fully appreciate the force of some of the remarks that have been made. I also expect that when we are getting a salary of Rs.500, the house in which we reside should bear some proportion to our salary, otherwise it does not seem a straight deal, and I must tell the honourable members that every moment that I have been occupying the so called Premier's house this idea has been bearing heavily on me, whether it is proper on my part to occupy such a huge house when I have made it public that I am not going to draw more than Rs.500 as my salary, and in order to find some solace for myself I requested the Hon'ble Mrs. Pandit to share that house with me, so that instead of one, there are two Ministers occupying it today, and I was also told by one whom I am prepared to regard as an authority, that even if we were to abandon that house it was so badly situated for men who could afford to occupy it that they would not be prepared to engage it for an adequate rent. It was something between the Governor on the one side and the Secretariat on another."

[मैं आरम्भ में ही इस बात को स्वीकार कर लेता हूं कि मैं उन कुछ बातों की जो कही गई हैं, सराहना करता हूं। मैं यह भी आशा करता हूं कि जब हमें ५०० रु० वेतन मिल रहे हैं तो उन मकानों का जिनमें हम रहते हैं हमारे वेतन के साथ कुछ अनुपात होना चाहिये अन्यथा यह अच्छा प्रतीत नहीं होता और मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि प्रत्येक क्षण, मैं जबसे प्रीमियर हाउस में रहता हूं, इस विचार का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है कि क्या मेरे लिये बड़े मकान में रहना उचित है जबकि मैंने यह बात सर्वविदित कर दी है कि मैं ५०० रु० वेतन से अधिक न लूंगा और अपने लिये संतोष प्राप्त करने के निमित्त मैंने माननीय श्रीमती पंडित से प्रार्थना की कि वह मेरे साथ उस मकान की सहभागी बन जायं जिसके फलस्वरूप एक के स्थान में उस मकान में दो मंत्री रहते हैं और मुझसे एक व्यक्ति ने कहा है कि जिन्हें मैं एक प्राधिकारी समझता हूं कि यदि हम उस मकान को छोड़ भी दें, तो वह ऐसे बुरे स्थान पर स्थित है कि ऐसे भी व्यक्ति जो उसका किराया देने योग्य हों वे उसे यथेष्ट किराये पर लेने के लिये तैयार न होंगे। यह एक ओर गवर्नर का और किराया दूसरी ओर सचिवालय के बीच में है।]

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य उतना ही हिस्सा पढ़ें जितने का इससे संबंध है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—उतना ही पढ़ रहा हूं—

"But irrespective of that, the point is that I cannot afford to maintain it : the charges for electricity alone will be enormous. So I am anxious to get away. I may assure honourable members and I think that it is but fair that we who are receiving Rs.500 per mensem should be occupying only residence which can bear at the most a decent proportion to our salary. I fully accept that principle. As to where we should reside that is a different thing. We had to make temporary arrangements. We were translated to this another world without any previous knowledge and we thought that in the circumstances we had to make the best of a bad job and so we got into these houses."

[किन्तु तदनुपेक्ष बात यह है कि मुझ में इसको रखने की शक्ति नहीं है, केवल बिजली का खर्चा बहुत अधिक होगा। अतः मैं इसको शीघ्र ही छोड़ना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला दूं और मैं समझता हूं कि यही उचित है कि हम लोगों को, जिन्हें ५०० रुपये प्रति मास वेतन मिलते हैं, ऐसे मकानों में रहना चाहिये जिनका खर्च अधिक से अधिक इतना हो कि हमारे वेतन का अच्छा अनुपात हो। मैं उस सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार करता हूं। हमें कहां रहना चाहिये, यह एक अलग बात है। हमें अस्थायी प्रबंध करने पड़े थे। पूर्व ज्ञान के बिना हम इस नरक में पहुंचा दिये गये और हमने सोचा कि उन परिस्थितियों में बुरी चीज से जितना भी लाभ उठाया जा सके उठाना चाहिये और इसलिये हम इन मकानों में आ गये।]

मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें सिद्धांततः यह स्वीकार कर लिया हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कि तनख्वाहों और मकानों में, जिनमें कि मंत्री लोग रहा करते हैं, उनके किराये में कुछ अनुपात होना चाहिये। तो अगर आप विधान की धाराओं को अस्वीकार करके उप मंत्री को रखते हैं, तो कम से कम इस सिद्धांत के अनुसार उनके मकान के किराये का जो अनुपात हो वह इसके अनुसार हो। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैंने तो सिद्धांत की बात जो कि हाउस में पहले मान ली गई है और जिसे हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पहले इस भवन के सम्मुख रखी उसको दुहरा दिया। इसके बाद मैं यही निवेदन करूंगा कि आदरणीय मुख्य मंत्री इस सिद्धांत को स्वीकार करें और अगर इसको पूरा स्वीकार न करें, तो कम से कम सिद्धांततः किसी न किसी रूप में तो इसे स्वीकार ही कर लें, क्योंकि यह तो मैंने उन्हीं के विचारों के अनुसार बात कही है।

श्री राजनारायण—आदरणीय प्रमुख महोदय, मैं तो कुछ समझ नहीं पाता जब मैं देखता हूं कि एक तरफ विशाल बहुमत हर तरह से तय करके बैठा है। मुझे तो इस समय कुछ और थोड़ा सा ढाढ़स बंधा कि एक व्यक्ति महोदय ने क्लोजर अभी तक नहीं मूव किया है। तो ऐसी हालत में उन्हीं बातों को बार बार दोहराना ज्यादा अनावश्यक ढंग से समय का खर्च करना होगा। इसलिये मैं अपने मुख्य मंत्री महोदय से निहायत अदब के साथ फिर अपील करूंगा आपके द्वारा कि वह मेरे संशोधन को अवश्यय स्वीकार कर लें।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यह जो संशोधन है वह तो इस बात का है कि उप मंत्रियों को १०० रुपये मकान के लिये न दिये जायं। इस संबंध में इतनी कोई करुणाजनक बात नहीं है। वह तो एक बहुत साधारण सी बात है कि दिये जायं या न दिये जायं। कुछ इसमें हृदय द्रवीभूत नहीं होता है। और जो नारायण दत्त जी ने पढ़ा उसका भी क्या संबंध है इससे जो कि इस वक्त आपके सामने संशोधन है वह भी मैं ठीक समझ नहीं पाया।

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

सज्जन यहां पुराने सन् १९३७ में थे उन्हें मालूम होगा कि मैं उस जमाने में एक बहुत बड़े मकान में रहता था जो कि इसके पास ही था और इससे मिला हुआ था और जिसमें करीब-करीब २० कमरे थे और इतना बड़ा था कि उसमें बिजली लगाने में ही काफी खर्च पड़ता था। जो सदस्य पहले के यहां हों उनको याद होगा कि वह कैसा मकान था। उस सिलसिले में यह बात कही गई। अब जो संशोधन इस समय है वह इससे भिन्न है। मगर मैं अब भी यह समझता हूं कि कोई अच्छे ढंग से मकान मिल सके तो अच्छा है और मैं उससे हट जाऊं। मगर यह बात सही है कि सरकारी मकानात बने हुये हैं। उन मकानों में कोई ज्यादा जगह नहीं है। मेरे मकान में अगर कोई मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिये जगह निकालना मुश्किल हो जाता है। मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ। दो दफा बातें कही गईं और तीसरी दफा भी दोहराई गईं कि मंत्रियों के ऊपर चार-चार और पांच-पांच हजार रुपये माहवार खर्च होते हैं। मैं भी एक मंत्री हूं और बहुत दिनों से हूं। मुझे तो यह काल्पनिक सी बात लगती है और मैं जानता नहीं कि कैसे ऐसी बातें कही जाती हैं। आखिर हम लोग सेवा करते हैं और इस सिलसिले में जो यहां से कानून बनता है उनके मुताबिक चलें तो इस किस्म की काल्पनिक बातों को अगर कोई सुने भी तो उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

जहां तक इस संशोधन की बात है यह तो उपमंत्रियों से संबंध रखता है और सौ रुपये में तो छोटी से छोटी एक दो कोठरियां मिल सकती हैं। लिहाजा यह कोई नहीं कह सकता कि यह ज्यादा किराया है।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का भाग हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

मंत्रियों के लिये सरकारी परिवहन तथा यात्रिक भत्ता।

४--(१) इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री के उपयोग के लिये उपयुक्त परिवहन की व्यवस्था की जायगी जिसका क्रय तथा रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार सार्वजनिक व्यय से किया जायगा।

(२) प्रत्येक उप-मंत्री को एक सौ पचास रुपया प्रति मास परिवहन भत्ता (कन्वेयेन्स एलाउन्स) दिया जायगा।

(३) प्रत्येक मंत्री तथा उप-मंत्री को सार्वजनिक कार्य के लिये की गई यात्राओं के निमित्त ऐसी दरों पर और ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं, यात्रिक तथा दैनिक भत्ता पाने का अधिकार होगा।

माननीय अध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) खंड ४ में भी आपने संशोधन का पहला भाग आप पेश नहीं कर सकते। पहले जो खंड २ के संबंध में भवन का निश्चय हो चुका इसके विपरीत यह पड़ता है। इसलिये यह पंक्ति ३ के शब्द "बनाये जाने वाले" के बाद जो संशोधन है, यदि आप चाहें तो पेश कर सकते हैं। यद्यपि उसके संबंध में जो सिद्धांत है उसके संबंध में भवन का दृष्टिकोण आपको मालूम हो चुका है। उचित समझें तो राज नारायण जी इसे भी पेश न करें और चाहें तो पेश कर सकते हैं, मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता।

श्री राजनारायण–प्रमुख महोदय, आपके द्वारा जो हमें आदेश और सुझाव मिला वह सुन्दर है। मगर जो हमारा संशोधन है यह सही है कि इसका अंश और इसकी स्पिरिट पूर्व संशोधन के गिर जाने से कुछ मर सी जाती है। मगर इसमें परिवहन का जो सवाल आता है वह एक अहम सवाल है। इसलिये इच्छा न रहते हुये भी इसको आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों के सामने उपस्थित करना चाहता हूं।

संशोधन है कि खंड ४ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द 'बनाये जाने वाले" के उपरान्त शब्द "और इस भवन द्वारा स्वीकृत" बढ़ा दिये जायं।

यह मैं आदरणीय स्पीकर महोदय के आज्ञानुसार आपकी सेवा में उपस्थित कर रहा हूं। यह संशोधन क्यों आया, यह आपके सामने खुलकर आना चाहिए। संशोधन इसलिये आया कि मूल प्रस्ताव में है कि 'इसके अतिरिक्त' यानी पूर्व जितनी बातें पास हो गयी हैं सैलरी, मकान, मकान को सुसज्जित करना और रख-रखाव आदि वह सवाल तो हो चुका। अब सवाल यह है कि 'उपयुक्त परिवहन की व्यवस्था की जायगी जिसका क्रय तथा रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार सार्वजनिक व्यय से किया जायगा ।'

प्रमुख महोदय, हमारे दिल में जरा यह उठता है कि क्या क्या हमारी यह सरकार, जो प्रिय सरकार और जनता की सरकार, पापुलर गवर्नमेंट कही जाती है , इसके पहले मंत्री लोग थे तो उनके लिये भी इस तरह से परिवहन का इन्तजाम होता था, उनके रहने आदि का भी इंतजाम होता था या उनको एक सैलरी मिल जाती थी और उसी में वे अपना इन्तजाम करते थे । जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हो सकती है, मुझे ऐसा मालूम है कि पहले के जो मंत्री रहते थे एक मुश्त सैलरी ले लेते थे और उसी में वह अपना इंतजाम आने-जाने का किया करते थे। मगर आज १,२०० तो हम तनख्वाह दे देते हैं, एक सुसज्जित भवन दे देते हैं, उसके रख-रखाव का भी सारा कोष ही से खर्चा होता है । परिवहन का भी हम इन्तजाम करें और परिवहन का कितना खर्चा हो, कैसे इन्तजाम हो, कैसे क्या हो, वह सदन के सदस्य जानें भी नहीं। यह बात मैं निहायत ही अनुचित समझता हूं। इसीलिये आपके सामने हमारा यह संशोधन उपस्थित है । मैं चाहता हूं कि इस संशोधन के जरिये आप मंत्रियों के लिये कोई निश्चित रक़म मुकर्रर कर दें। उतनी ही रकम परिवहन में खर्च होगी। मुझे मालूम हुआ ७५ गैलन पेट्रोल लखनऊ की सड़कों पर एक मंत्री महोदय खर्च करते हैं। ७५ गैलन तेल लखनऊ में आने-जाने में खर्च हो और एक गैलन में गाड़ी कितना चलती है उसके हिसाब से हमें बहुत काफी मालूम होता है । इसलिये यह निहायत जरूरी है कि आप हमारे संशोधन को मान कर राज्य सरकार को बाध्य कर दें कि वह नियम बनाये और उनको सदन में पेश करे । उन पर सदन में पूरी बहस होगी, विचार-विनिमय होगा । सारे आंकड़े आयेंगे कि कितना रुपया एक कार में खर्च हो। कितना रुपया पेट्रोल के लिये यहां मंजूर किया जाय और उसी रुपये के अनुसार बांध करके हमारे मंत्री महोदय परिभ्रमण करेंगे । इसलिये यह संशोधन आदरणीय सदन की सेवा में हमने रखने की हिम्मत की है और जब हम यह संशोधन रख रहे थे, तो हमें आशा थी कि यह संशोधन चूंकि मंत्रियों से संबंधित है, इसलिये पास होने में तनिक भी विलम्ब नहीं होगा । दूसरों के अधिकारों के लिये अगर हमारे मंत्री महोदय लड़ें, तो यह बड़े गर्व की बात है। जब मेम्बरों की तनख्वाह का सवाल आये तो अगर मंत्री महोदय यह कहें कि नहीं तुमको दो सौ, ढाई सौ रुपया जरूर लेना चाहिये, क्योंकि तुम्हें अपनी ड्यूटी परफार्म (पूरी) करनी है, तो यह समझने की बात है । लेकिन जब प्रस्ताव मंत्री महोदय से संबंधित है तो हमें आशा थी कि हमारा यह संशोधन अवश्य पास हो जायगा और उसी आशा को लेकर मैं आप से फिर अपील करता हूं कि आपकी पुरानी मिनिस्ट्री पर यह बहुत बड़ा चार्ज रहा है और अगर पुरानी मिनिस्ट्री बदल गयी होती, तो शायद हम दूसरे तरीके से प्रस्ताव ले आते, लेकिन वही पुराने मिनिस्टर हैं। तीन नये फेसेज (रूप) आ गये हैं

[श्री राजनारायण]

बराबर हमारे मंत्रियों पर दोषारोपण किया जाता है कि वे मोटरों को अनुचित ढंग से इस्तेमाल करते हैं। तरकारी खरीदने के लिये भी मोटर का इस्तेमाल होता है। सड़क सड़क पर आम जनता में यह चर्चा है। उसी बात को मद्देनजर रख कर हमने यह संशोधन पेश किया है। अभी-अभी मैं आ रहा था इस सदन में। हमें यही लखनऊ के रहने वाले कुछ नागरिक मिल गये, उन्होंने कहा कि क्या आप संशोधन पेश करेंगे? मैंने कहा जरूर। उन्होंने कहा कि साहब मोटर वाली बात जरूर कह दीजियेगा। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लखनऊ की गली-गली में यह चर्चा है। मुझे पहले लखनऊ में इस तरह रहने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था लेकिन आज मैं देखता हूं कि बच्चा-बच्चा कहता है कि मिनिस्टर की मोटरें व्यक्तिगत कामों में इस्तेमाल होती हैं और इसीलिये छः-छः महीने और साल साल भर में उनकी मोटरें बदली जाती हैं। एक जनतांत्रिक हुकूमत में मंत्रियों पर इस प्रकार का आक्षेप हो यह बात बहुत ही लज्जाजनक है। यह आक्षेप नहीं आना चाहिये और उनको खुद हमारे संशोधन का समर्थन करना चाहिए।

श्री गजेन्द्र सिंह--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के समक्ष माननीय राज नारायण के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक श्री राज नारायण जी के संशोधन का संबंध है, मैं समझता हूं कि उन्होंने माननीय मंत्रीगण को बहुत माकूल राय दी है कि वह अपने पेट्रोल के खर्च व मोटर खर्च के लिये पहले सदन से स्वीकृति ले लें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके चरित्र पर जो दोषारोपण किया जाता है वह उसके भागी बनते हैं। मैं माननीय मंत्रीगण पर आक्षेप नहीं करता और मैं तो उनसे आशा करता हूं कि वह कोशिश करते होंगे कि राष्ट्र के धन का ठीक प्रयोग करें, लेकिन मुझे दुख होता है जब यह देखा जाता है कि माननीय मंत्री लोग दूसरे कामों से जाते हैं, कांग्रेस के काम से जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिये जाते हैं और उन गाड़ियों में सरकारी पेट्रोल खर्च होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आप के द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी चुनाव के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी मेरी कांस्टीटुएन्सी में विधना गये थे वहां पर जितना इंतजाम हुआ वह सब सरकारी था और उनकी सुरक्षा के लिये.....।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--किस तारीख की बात है?

श्री गजेन्द्र सिंह--इसी चुनाव की बात है। अगर माननीय मुख्य मंत्री चाहेंगे तो मैं उनको तारीख भी बतला दूंगा।

जो वहां तहसीलदार साहब का इंतजाम था। तम्बू व कनातें लगाई गईं और वहां पर उन्होंने संघ का उद्घाटन भी किया। वहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े थे उनके लिये उन्होंने जनता से वोट देने की अपील की। उनके साथ सरकारी कार में कलेक्टर साहब, पुलिस सुपरिण्टेंडेण्ट साहब भी मौजूद थे। मैं नहीं समझ सका कि माननीय मुख्य मंत्री सरकार के खर्चे से गये थे या सूबा कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको वह कार वगैरह मिली थी और वहां से पेट्रोल वगैरह मिला था या वह सरकारी था और अगर संघ का उद्घाटन करने गये थे तो.....

माननीय अध्यक्ष--आप जो नाजायज इस्तेमाल के बारे में किसी सदस्य के विषय में कहना चाहते हैं। ऐसी भ्रमात्मक बात इस सदन में कहना ठीक नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह--मैं चाहता हूं कि ऐसी बात होनी चाहिये कि राज्य सरकार जो कुछ परिवहन में खर्च करे उसकी स्वीकृति सदन से ले। अक्सर देखा जाता है कि माननीय मंत्रीगण ६-६ महीने में और साल साल भर में कार बदला करते हैं। जहां तक कार का संबंध है वह शौक से रहें और हम भी चाहते हैं कि वह उनको मिले और पेट्रोल भी उनको मिलना चाहिये लेकिन यह हम मानने को तैयार नहीं हैं कि मंत्रियों के लड़के और लड़कियां इन कारों पर

स्कूल और कालेज जाया करें और शाक-भाजी भी बाजार से यही कारें राष्ट्रीय झंडा लगा कर लेने जाया करें । इस तरह का पेट्रोल का खर्च रोकने की जरूरत है । अगर सदन के सामने यह चीजें आवेंगी, तो सदन को मालूम होगा कि कितनी कारें आईं, कब बदली गईं और कितना पेट्रोल खर्च हुआ । यह तमाम चीजें सदन के सामने आयेंगी, तो हम समझते हैं कि इस तरह से माननीय मंत्रियों की तमाम बातें प्रकाश में आ जायंगी और फिर उनके ऊपर चार्ज नहीं लगाया जायगा और वह भी संकोच करेंगे। राष्ट्र का धन ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाय । अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो मैं यह कहता हूं कि हर मनुष्य में कमजोरी रहती है, हर मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता । माननीय सदस्यों में भी कमजोरी हो सकती है और माननीय मंत्रियों में भी कमजोरी हो सकती है । इसलिये सदन की स्वीकृति अगर ले ली जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा । इन शब्दों के साथ मैं श्री राजनारायण जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष,---अब आगे आज वाद-विवाद नहीं होगा। अब मैं चुनाव के संबंध में कुछ बातें कहूंगा ।

दैनिक कार्य-क्रम की पूर्व सूचना देने के लिये प्रार्थना

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने जो प्रस्ताव रखे जाते हैं उनमें कुछ सुधार होना चाहिए । एक बात यह है कि यह पता नहीं चलता कि प्रस्ताव कब आयंगे । इसलिये संशोधन देने में दिक्कत होती है । श्रीमान् जी ऐसी व्यवस्था करें कि कल जिन पर बहस होने वाली हो वह हमें पहले से लिख कर मिल जाने चाहिए । हम चाहते हैं कि हमारी दिक्कतों को महसूस किया जाय । हम चाहते कि हाउस को हम रचनात्मक सुझाव दें । ऐसा होता है कि प्रस्ताव आ जाते हैं और हमसे देन एंड देअर (तुरन्त) बहस करने के लिये कहा जाता है । हमारे लिये बड़ी दिक्कत हो जाती है । हमें रात-रात भर जागना पड़ गया है । कुछ प्रस्ताव आने वाले थे, इसलिये हमने रिपोर्ट पढ़ी कि सन् ३७ में क्या कहा गया था ।

माननीय अध्यक्ष---आपका मतलब यह है कि कोई प्रस्ताव या बिल आये तो एक रोज पहले आपको मालूम हो जाना चाहिए ।

श्री राजनारायण---तीन दिन पहले मालूम होना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष---अब भवन बहुत कम बैठने वाला है । इसलिये तीन दिन पहले नहीं हो सकता ।

श्री राजनारायण---दो दिन कर दीजिये ।

माननीय अध्यक्ष---जहां तक मुमकिन होगा मैं भवन के सदस्यों को सहूलियत देने की कोशिश करूंगा ।

श्री राजनारायण---ऐसे प्रस्ताव हैं कि हम उस दिन नहीं ले सके थे । हो सकता है कि कल उन पर बहस हो तो हमारे अमेंडमेंट ले लिये जायं ।

माननीय अध्यक्ष---अगर कल आयंगे तो समय अवश्य दिया जायगा ।

श्री राजनारायण---कुछ सदस्यों का कहना है कि वह परसों ही मिल गये ।

माननीय अध्यक्ष---आप मेरे कमरे में आ कर बातें कर लें ।

उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में सूचना

माननीय अध्यक्ष---उपाध्यक्ष का चुनाव कल होगा । इसके लिये ये नामांकन आये हैं ।

(१) श्री हरगोविन्द पन्त ।

इनके प्रस्तावक श्री जुगुल किशोर और समर्थक श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री हैं । और दूसरे प्रस्ताव में श्री मंगला प्रसाद प्रस्तावक और समर्थक श्री राजाराम हैं ।

[माननीय अध्यक्ष]

(२) श्री विष्णु दयाल।

इनके तीन प्रस्ताव आये हैं। एक के प्रस्तावक श्री कमला सिंह और समर्थक श्री वंशीदास धनगर हैं। दूसरे नामांकन में प्रस्तावक श्री मदन मोहन उपाध्याय और समर्थक श्री गजेन्द्र सिंह हैं। तीसरे नामांकन में श्री राज नारायण प्रस्तावक और श्री राम नारायण त्रिपाठी समर्थक हैं।

इस तरह से श्री हर गोविन्द पन्त और श्री विष्णु दयाल के नामांकनशन्स हुये हैं। कल चुनाव इसी भवन में होगा। जिस तरह से अध्यक्ष का चुनाव हुआ था उसी प्रकार यह होगा। कल कोई प्रश्न होंगे तो प्रश्नोत्तर के बाद चुनाव होगा। इसके बाद यह विधेयक जिस पर कि आज वाद-विवाद हो रहा था, वह लिया जायगा।

वित्त समिति के निर्वाचन के संबंध में सूचना

माननीय अध्यक्ष--वित्तसमिति के लिये १४ सदस्य चुने जाने वाले हैं। उसके लिये १६ सदस्यों के लिये नामांकन पत्र आये हैं और यदि कल तीन बजे तक नाम वापस लेने का जो समय है उस समय तक अगर ५ नाम वापिस नहीं लिये गये तो चुनाव होगा। जिनके नामांकन आये है वे ये हैं।

१--श्री कौशल पांडे
२--श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी
३--श्री राम अवध सिंह
४--श्री निहालुद्दीन
५--श्री भूपाल सिंह
६--श्री किशन चन्द्र शर्मा
७--श्री कालिका सिंह
८--श्री सुल्तान आलम खां
९--श्री राजाराम
१०--श्री वीरेन्द्र शर्मा
११--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल
१२--श्री रतन लाल जैन
१३--श्री अदील अब्बासी
१४--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)
१५--श्री जयपाल सिंह
१६--श्री धर्म सिंह
१७--श्री देव नन्दन शुक्ल
१८--श्री शिव प्रसाद
१९--श्री जायेन्द्र सिंह विष्ट

कोर्ट आफ वार्डस के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

माननीय अध्यक्ष--कोर्ट आफ वार्ड्स के लिये दो सदस्य चुने जाने वाले थे और और दो ही नाम आये हैं। कल तीन बजे तक नाम वापिस न हुये, तो इनको निर्वाचित कर लिया जायगा। नाम इस प्रकार हैं

१--श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, २--श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी।

हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

माननीय अध्यक्ष—हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के लिए दो नामजदगियां आयी हैं, श्री राजाराम जी और श्री शिवराजसिंह जी की अगर इनमें से कोई सज्जन अपना नाम वापस लेना चाहें तो कल तीन बजे तक वापिस ले सकते हैं अगर वापिस नहीं हुये तो उनको निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

विश्वविद्यालय अनुदान समिति के लिए तीन सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

माननीय अध्यक्ष—विश्वविद्यालय अनुदान समिति के लिए तीन सदस्यों का निर्वाचन होना था । उसके लिये पांच नामों का नामांकन हुआ । श्री राधामोहन सिंह, श्री वीरेन्द्र पति यादव, श्री गोपीनाथ दीक्षित, श्री छेदा लाल गुप्त, श्री मसी नक़वी । कल तीन बजे तक जो सदस्य नाम वापिस लेना चाहते हैं वे ले सकते हैं। अगर किसी का नाम वापिस नहीं किया गया और अगर तीन से अधिक सदस्य रहे तो चुनाव कल होगा ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

माननीय अध्यक्ष—माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन होना है । तीन नाम निर्देशन-पत्र निम्नलिखित तीन सदस्यों के पक्ष में आये हैं :—

१—श्री कैलास प्रकाश, २—श्री परिपूर्णानन्द, ३—श्री वीरेन्द्रपति यादव ।

दो सदस्य चुने जाने वाले हैं। कल तीन बजे तक नाम वापस लेने का समय है । यदि किसी ने नाम वापस नहीं लिया, तो इसका भी चुनाव होगा ।

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिए पांच सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

माननीय अध्यक्ष—प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड। इसमें पांच जगहें हैं। जिनके लिये छः नामांकन पत्र आये हैं

(१) श्री जवाहर लाल रोहतगी,
(२) श्री भगवानदीन,
(३) श्री श्रीनाथ भार्गव,
(४) श्री रघुवीर सिंह,
(५) श्री रामजी सहाय,
(६) श्री कमला सिंह ।

कल तीन बजे तक नाम वापस लेने का समय है । यदि एक नाम कल तक वापस नहीं हुआ तो इनमें चुनाव होगा ।

(इसके पश्चात् सदन ५ बजकर ८ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
२६ मई, १९५२ ई० ।